

भारत सरकार  
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग  
संचार भवन, 20, अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001. भारत

# एकीकृत अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस करार

आईएन ..... सेवा क्षेत्र

सं0 ..... दिनांक

कुल पृष्ठ .....

**एकीकृत अभिगम सेवाओं (यूएएस)**  
के लिए  
**लाइसेंस करार**

यह करार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक को श्री..... (नाम), निदेशक ..... (नाम), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (जिसे इस करार में इसके बाद लाइसेंस प्रदाता कहा जाएगा) के माध्यम से प्रथम पक्ष

तथा

श्री ..... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इस करार में इसके बाद लाइसेंसधारी कहा जाएगा, जिसका आशय, जब तक कि विषय-वस्तु से अन्यथा कुछ भिन्न न हो, व्यवसाय में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासकों, परिसमापकों, विधिक प्रतिनिधियों और अनुमति समनुदेशितों से भी होगा) के माध्यम से मैसर्स ..... लिमिटेड, जो कंपनी समनुदेशितों में है, द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

जबकि, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के खंड 4 के उपबंधों के अनुसार, लाइसेंसदाता को लाइसेंस प्रदान करने का विशेषाधिकार प्राप्त है तथा लाइसेंसधारी ने ..... सेवा क्षेत्र में एकीकृत अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का अनुरोध किया है और जबकि, लाइसेंसधारी के उक्त अनुरोध के अनुसरण में, लाइसेंसदाता, इसके बाद प्रस्तुत निबंधन और शर्तों पर ..... सेवा क्षेत्र में एकीकृत अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह करार निम्न के साक्ष्य स्वरूप है :-

1. लाइसेंस शुल्क के भुगतान और लाइसेंसधारी की ओर से इस करार में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तों के सम्यक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसदाता एतद्वारा भारतीय तार अधिनियम 1885 के खंड 4 के तहत संलग्न अनुसूची में वर्णित लाइसेंसशुद्धा सेवा क्षेत्र में एकीकृत अभिगम सेवा के संस्थापन और प्रचालन हेतु, गैर-अनन्य आधार पर, लाइसेंस प्रदान करता है।
2. एतद्वारा प्रदत्त लाइसेंस प्रभावी तिथि से 20 (बीस) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि किसी कारण से इसे पहले रद्द न किया जाए।
3. लाइसेंसधारी एतद्वारा लाइसेंस करार में निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों पर किसी संशोधन और शर्तों के बिना सहमति देता है और उनको पूर्ण रूप से पालन करने का रप्ट वचन देता है।

4. लाइसेंस की प्रभावी तिथि ..... होगी।
5. समान प्रवेश शर्तों या विभिन्न शर्तों के साथ प्रचालनों की संख्या पर बिना किसी रोक के भविष्य में समय-समय पर लाइसेंसधारी के सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त लाइसेंस भी जारी किए जा सकते हैं।
6. यह लाइसेंस भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के उपबंधों और समय-समय पर इनके अंतर्गत बनाए गए आशोधित नियमों अथवा सभी संविधियों के बदले लाई गई अन्य संविधि के अनुसार कार्य करेगा।

जिसके साक्ष्य रखरूप पक्षकारों ने ..... (दिन) ..... (माह) ..... (वर्ष) को  
एतद्वारा अपने-अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस करर का निष्पादन किया जाना है।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी  
ओर से हस्ताक्षरित

मैसर्स .....  
की ओर से ...../...../..... को  
हस्ताक्षरित

के द्वारा

श्री .....  
(नाम और पदनाम) निदेशक, दूरसंचार  
विभाग, नई दिल्ली

श्री .....  
(नाम और पदनाम), प्राधिकृत  
हस्ताक्षरकर्ता तथा मुख्तार नामा आम  
दिनांक ..... के स्वामी  
द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा पारित दिनांक  
..... के संकल्प सं0  
..... के अनुसरण में।

निम्न की उपस्थित में :

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

स्थान

व्यवसाय

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

स्थान

व्यवसाय

## विषय सूची

पृष्ठ संख्या

अनुसूची :

निबंधन और शर्तें

भाग I : सामान्य शर्तें

- शर्त 1 : लाइसेंस कंपनी का स्वामित्व
- शर्त 2 : लाइसेंस क्षेत्र
- शर्त 3 : लाइसेंस की अवधि
- शर्त 4 : लाइसेंस का विस्तार
- शर्त 5 : लाइसेंस का निबंधन और शर्तों में आशोधन
- शर्त 6 : "लाइसेंस के अंतरण" पर प्रतिबंध
- शर्त 7 : सेवा प्रदान करना
- शर्त 8 : सेवा की सुपुर्दगी
- शर्त 9 : सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता
- शर्त 10 : लाइसेंस का निलबंन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति
- शर्त 11 : लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कारवाई
- शर्त 12 : बाध्यकारी उपाय
- शर्त 13 : सेट ऑफ क्लॉज
- शर्त 14 : वे लीव
- शर्त 15 : टेलीफोन सेवा निर्देशिका का प्रकाशन
- शर्त 16 : सामान्य

भाग II

वाणिज्यिक शर्तें

- शर्त 17 : प्रशुल्क

भाग III

वित्तीय शर्तें

- शर्त 18 : देय शुल्क
- शर्त 19 : "समायोजित सकल राजस्व" की परिभाषा
- शर्त 20 : वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य बकायों के भुगतान की अनुसूची
- शर्त 21 : बैंक गारंटी
- शर्त 22 : लेखाओं की तैयारी

#### भाग IV : तकनीकी शर्तें

- शर्त 23 : तकनीकी शर्तें
- शर्त 24 : लागू व्यवस्था
- शर्त 25 : इंजीनियरिंग ब्योरा
- शर्त 26 : नेटवर्क अंतर्संयोजन
- शर्त 27 : इंटरफेस
- शर्त 28 : निष्पादन की गुणवत्ता
- शर्त 29 : आपातकालीन और लोक उपयोगी सेवाएं

#### भाग V प्रचालन शर्तें

- शर्त 30 : ग्राहक सेवा
- शर्त 31 : उपभोक्ता टर्मिनल
- शर्त 32 : लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व
- शर्त 33 : सार्वभौमिक अभिमम सेवा प्रदाता (यूएसएसपी) और किसी अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता के प्रचालन क्षेत्र में अवसरंचना का साझा उपयोग
- शर्त 34 : रोल-आउट दायित्व
- शर्त 35 : परिनिर्धारित नुकसानी
- शर्त 36 : निरीक्षण और संरक्षण की जांच

#### भाग VI सुरक्षा शर्तें

- शर्त 37 : निरीक्षण का अधिकार
- शर्त 38 : स्विचों की अवस्थिति
- शर्त 39 : सूचना की गोपनीयता
- शर्त 40 : लाइसेंसधारी के कठिपय कार्यों का निषेध
- शर्त 41 : सुरक्षा संबंधी शर्तें
- शर्त 42 : भारतीय तार अधिनियम का अनुप्रयोग

#### भाग VII फ्रिक्वेंसी अनुज्ञाप्ति

- शर्त 43 : फ्रिक्वेंसी अनुज्ञाप्ति
- अनुबंध-I : शर्तों और अभिव्यक्तियों की परिभाषा

- अनुबंध-II : राजस्व और लाइसेंस शुल्क के परिकलन के ब्योर से  
संबंधित शपथ पत्र के लिए प्रारूप
- परिशिष्ट-I से  
अनुबंध-II : लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का आरूप
- परिशिष्ट-II से  
अनुबंध-II : राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण का आरूप
- अनुबंध-III : वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी हेतु मानदंड
- अनुबंध-IV : वित्तीय बैंक गारंटी के लिए प्रारूप
- अनुबंध-V : निष्पादन बैंक गारंटी के लिए प्रारूप
- अनुबंध-VI : दूरसंचार सेवा क्षेत्र
- अनुबंध-VII : त्रिपक्षीय करार

## अनुसूची

## 1. लाइसेंस कंपनी का स्वामित्व

1.1 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि निम्नलिखित एफडीआई मानदंडों के अध्यधीन लाइसेंसधारी कंपनी की प्रदत्त पूँजी में कुल विदेशी इक्विटी, संपूर्ण लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय कुल इक्विटी के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

- (i) लाइसेंसधारी कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश को एफडीआई की उच्चतम सीमा के प्रयोजनार्थ जोड़ा जाएगा। विदेशी निवेशों में इनके द्वारा किए गए निवेश शामिल होंगे :- विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) अनिवासी भारतीय (एनआरआई) वैशिक जमा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (एफसीरीबी), अमरीकी जमा रसीद (एडीआर), वैशिक जमा रसीद (जीडीआर) तथा विदेशी संस्था द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश से तात्पर्य लाइसेंसधारक कंपनी और उसकी हॉलिंग वाली कंपनी/कंपनियों या विधिक निकाय (जैसेकि म्युचुअल फंड, न्यास) के शेयरों को धारित करने वाली कंपनी/कंपनियों में निकाय (जैसेकि म्युचुअल फंड, न्यास) के शेयरों को धारित करने से है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और समानुपाती आधार पर विदेशी निवेश करने से है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित लाइसेंसधारक कंपनी के शेयरों को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित लाइसेंसधारक कंपनी और उसकी हॉलिंग वाली कंपनी/कंपनियों में निकाय (जैसेकि म्युचुअल फंड, न्यास) के रूप में माना जाएगा। किसी भी स्थिति में "भारतीय" शेयर हॉलिंग 26 "भारतीय हॉलिंग" के रूप से जारी रहेगा। किसी भी स्थिति में "भारतीय" शेयर हॉलिंग 26 "भारतीय हॉलिंग" के रूप से जारी रहेगा।

(ii) 49 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वतः रूप से जारी रहेगा। लाइसेंसधारक कंपनी/भारतीय प्रवर्तकों/निवेशक कंपनियों तथा उसकी हॉलिंग कंपनियों में यदि 74 प्रतिशत की संपूर्ण उच्चतम सीमा में फर्क पड़ता है तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन अपेक्षित होगा। निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय (एफआईपीबी) इस बात पर ध्यान देगा कि यह निवेश ऐसे देशों से जिनसे सावधान रहने की जरूरत है और/या शत्रुतापूर्ण निकायों से तो नहीं हो रहा है।

(iii) एफडीआई भारत के कानून के अध्यधीन होगा न कि विदेशी देश/देशों के कानून के अध्यधीन।

1.2 लाइसेंसधारी लाइसेंसधारक कंपनी में भारतीय और विदेशी इक्विटी हॉल्डिंग (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) का विवरण देगा तथा लाइसेंसदाता को छमाही आधार पर जनवरी के पहले दिन तथा जुलाई के पहले दिन एफडीआई मानदंडों और सुरक्षा शर्तों से संबंधी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अनुपालन रिपोर्ट लाइसेंसधारक कंपनी के कंपनी सचिव या सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

1.3 भारतीय कंपनियों के विलय की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रतिस्पर्द्धा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े जैसाकि शर्त 1.4(ii) में उल्लिखित है।

1.4 लाइसेंसधारक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि :

- (i) शेयरधारिता में कोई बदलाव सभी अनुप्रयोज्य सांविधिक अनुमतियों के अध्यधीन होना।
- (ii) कोई भी एकल कंपनी/विधि सम्मत व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से या अपने सहभागियों के माध्यम से अभिगम सेवाएं जैसे बुनियादी, सेल्युलर एवं एकीकृत अभिगम सेवाओं के लिए एक ही सेवा क्षेत्र में एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनी में पर्याप्त इक्विटीधारक नहीं होगी। पर्याप्त इक्विटी का इसमें आशय होगा "10 % या अधिक की इक्विटी" प्रवर्तक कंपनी/विधि सम्मत व्यक्ति एक से अधिक लाइसेंसधारक कंपनियों में एक ही सेवा क्षेत्र के लिए अंशधारक नहीं हो सकता।

नोट : 11.11.2003 की स्थिति के अनुसार, सीएमटीएस के मौजूदा लाइसेंसधारकों पर उपरोक्त खंड 1.4

- (ii) लागू नहीं होगा और अगर इनमें से कोई यूएएसएल में अंतरित होता है तो यह दूसरे लाइसेंस को सरेंडर करना जरूरी नहीं होगा। साथ ही, 11.11.2003 की स्थिति के अनुसार मौजूदा बुनियादी और सेल्युलर लाइसेंसधारक रखयं या अपने सहभागियों के माध्यम से एक ही सेवा क्षेत्र में नए यूएएसएल के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, कोई ऐसी विधि सम्मत कंपनी जिसमें मौजूदा बुनियादी/सेल्युलर लाइसेंसधारकों के पास पर्याप्त इक्विटी हो वह नए यूएएसएल के लिए पात्र नहीं होगा।

(iii) लाइसेंसधारक कंपनी के प्रबंधन पर नियंत्रण करना भारतीय नागरिकों के ही हाथ में होगा।

1.5 लाइसेंसधारक कंपनी के नाम में किसी परिवर्तन की अनुमति भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उपबंधों के अनुसार ही दी जाएगी।

1.6 लाइसेंसधारी के पास कम से कम ..... करोड़ (मात्र ..... करोड़ रु0) की प्रदत्त इक्विटी पूँजी होगी।

1.7 लाइसेंसधारी के प्रवर्तकों के पास ..... करोड़ रु0 (रु0 ..... करोड़ मात्र) का संयुक्त निवल मूल्य होगा तथा केवल उन प्रवर्तकों के निवल मूल्य की गणना होगी जिनकी कंपनी के कुल इक्विटी में कम से कम 10% इक्विटी रटेक प्रत्यक्ष रूप से उनके नाम होगा। अन्य किसी यूएएसएल लाइसेंस इक्विटी के मामले में, लाइसेंसधारी इस सेवा क्षेत्र के लिए भी जैसाकि नए यूएएसएल के लिए निर्धारित है अतिरिक्त निवल-मूल्य का प्रबंध करेगा।

## 2. लाइसेंस का क्षेत्र

2.1 जैसा कि इस लाइसेंस करार के पैरा 2.2 में बताया गया है कि यह लाइसेंस गैर-अनन्य आधार पर सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया है, तथा अन्य भी उक्त सेवा के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

परंतु आगे यह, कि लाइसेंसदाता हमेशा रवयं या मनोनीत प्राधिकारी के माध्यम से उस सेवा क्षेत्र में जहां के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है के सहित भारत में कहीं भी सेवा के प्रचालन का अधिकार रखेगा।

विभिन्न सेवा क्षेत्रों का व्योरा अनुबंध-VI के रूप में संलग्न है।

2.2(क) (i) इन सेवाओं में निर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में लाइसेंसधारी के नेटवर्क के तहत संग्रहण, कैरेज, वॉइस और/या नॉन-वाइस मैसेज तथा सभी प्रकार की अभिगम सेवाएं प्रदान करना शामिल है। अभिगम सेवा प्रदाता इंटरनेट टेलीफानी इंटरनेट सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाओं का भी उपयोग कर सकता है। यदि अपेक्षित हो तो, अभिगम सेवा प्रदाता राष्ट्रीय लंबी दूरी/अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा सकता है। इसके अलावा, पैरा 2.2 ख(i) में सूचीबद्ध लाइसेंसधारी के नेटवर्क का उपयोग कर सकता है। अभिगम सेवा जैसा कि खंड 2.2(ग) और फिकर्ड बेतार अलग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अभिगम सेवा जैसा कि खंड 2.2(ग) और फिकर्ड बेतार सीमित नहीं है। तथापि, लाइसेंसधारी, जब तक कि लाइसेंसदाता द्वारा अन्यथा सलाह/निर्देश न दिया जाए पूर्ण मोबिलिटी सेवा के अंतर्गत अपने उपभोक्ता को रोमिंग सुविधा प्रदान करने के लिए भारत या विदेश में अन्य किसी भी सेवा प्रदाता (ओं) के साथ करार करने के लिए स्वतंत्र होगा। लाइसेंसधारी इस विषय पर ट्राई के आदेशों के तहत अपनी पसंद के प्रशुल्क के माध्यम से सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों में पूर्ण मोबाइल सेवा के एक उपसेट के रूप में "होम जोन, टैरिफ स्कीम" प्रस्तुत कर सकता है। इस सेवा के लिए नंबरिंग और इंटरकनेक्शन वही होगा जो पूर्ण मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए है।

2.2(क)(ii) लीज्ड सर्किट को प्वाइंट टू प्वाइंट गैर-स्विच्ड वास्तविक कनेक्शनों/पारेषण बैंडविड्थ से अलग सर्किट या पैकेट स्विच्ड (आईपी प्रोटोकाल) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के रूप में परिभाषित किया गया है। सार्वजनिक नेटवर्क को लीज्ड सर्किटों/सीयूजी से कनेक्ट नहीं किया जाना है।

2.2(क)(iii) अभिगम सेवा प्रदाता ट्रिप्पल प्ले अर्थात वॉइस, वीडियो और डाटा सहित ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान कर सकता है।

2.2(ख) (i) इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी बिना किसी भेदभाव के अपने सेवा क्षेत्र के भीतर आने वाले उपभोक्ताओं को अपने नेटवर्क पर मूल्य वर्द्धित सेवाओं के रूप में वॉइस मेल ऑडियोटेक्स सेवाएं, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, वीडियो टेक्स, ई-मेल, क्लोज्ड यूजर ग्रुप(सीयूजी) जैसी सेवाएं भी प्रदान कर सकता है। लाइसेंसधारी उपर्युक्त को छोड़कर अन्यथा उसे अलग लाइसेंस की आवश्यकता कर सकता है। लाइसेंसधारी उपर्युक्त को उपर्युक्त सेवा जो उपर्युक्त दी गई है या अनुबंध-I के मद सं0 75 में होगी। तथापि अन्य कोई मूल्य वर्द्धित सेवा जो उपर्युक्त दी गई है या अनुबंध-I के मद सं0 75 में सूचीबद्ध है को प्रदान करने से पूर्व इसकी सूचना लाइसेंसदाता और ट्राई को भेजनी पड़ेगी।

2.2(ख) (ii) इस लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारी द्वारा प्रदत्त वाइस मेल/आडियोटेक्स सेवाएं, वीडियो कानप्रॉसिंग, वीडियो टेक्स, ई-मेल, सीयूजी सेवा आदि के लिए अलग से कोई प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। तथापि, लाइसेंसधारी द्वारा इन सेवाओं के माध्यम से अर्जित सारा राजस्व, लाइसेंस करार के तहत लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के उद्देश्यार्थ राजस्व के रूप में गिना जाएगा।

2.2(ग) (i) उपभोक्ता के सीमित मोबिलिटी सुविधा प्राप्त करने के संबंध में, मोबिलिटी, स्थानीय क्षेत्र अर्थात् अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) जिस में उपभोक्ता पंजीकृत है तक ही सीमित होगी। ऐसी प्रणालियों को लगाने के दौरान, लाइसेंसधारी को संबंधित एसडीसीए जिसके भीतर सेवा प्रदान की गई है के राष्ट्रीय नंबरिंग प्लान के अनुसार एसडीसीए आधारित लिंकड नंबरिंग प्लान के अनुपालन करना होगा तथा पंजीकृत एसएसए से अन्य एसडीसीए में उपभोक्ता टर्मिनल उपरकर के मोबाइल के लिए एक एसडीसीए में पंजीकृत किया जा सकता है। बेतार अभिगम प्रणाली में ऐसे उपभोक्ता का साथ कार्य करना तथा प्रमाणित करना संभव नहीं होगा। बेतार अभिगम प्रणालियों में समान टर्मिनल केवल एक एसडीसीए में पंजीकृत किया जा सकता है। बेतार अभिगम प्रणालियों में समान टर्मिनल का उपयोग करते हुए एक एसडीसीए से अधिक में एक से अधिक पंजीकरण या उपभोक्ता टर्मिनल का उपयोग करते हुए एक एसडीसीए में सीमित अस्थाई ग्राहक/अंशदान सुविधाओं की अनुमति नहीं है तथा एक से अधिक एसडीसीए में सीमित मोबाइल सुविधा प्राप्त करने के लिए समान उपभोक्ता टर्मिनल का उपयोग नहीं किया जा सकता। मोबाइल सुविधा प्राप्त करने के लिए समान उपभोक्ता टर्मिनल का उपयोग नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रणाली भी इतनी आधुनिक होगी जिससे यह सुनिश्चित हो कि किन्हीं भी परिस्थितियों में एक एसडीसीए अन्य एसडीसीए में ग्राहक न जाएं तथा साथ ही एसडीसीए से बाहर कॉल भेजने के माध्यम से कॉलों को हस्तांतरित करना भी शामिल है। लाइसेंसधारी भी निश्चित रूप से इस संबंध में सुनिश्चित रहे कि ऐसी सीमित मोबाइल सेवा/सुविधा के मामले में मोबिलिटी एसडीसीए तक ही सीमित रहे।

2.2(ग) (ii) एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस क्षेत्र में स्थानांतरण के पश्चात लाइसेंसधारी ऐसे इच्छित उपभोक्ताओं के लिए सीमित मोबिलिटी सेवा भी प्रस्तुत करेगा।

2.2(घ) (i) लाइसेंसधारी को सर्किट और/या पैकेट स्विचों सहित, किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपरकर का उपयोग करते हुए सेवा प्रदान करने की अनुमति है, ताकि संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) / दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र / 3जीपीपी / 3जीपीपी-2 / ईटीएसआई / आईईटीएफ / एएनएसआई / ईआईए / टीआईए / आईएस जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

2.2(घ) (ii) भारत के अंतर्राष्ट्रीय बार्डर के निकट पड़ने वाले क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के संबंध में खंड 41.9 में निर्दिष्ट शर्त लागू होगी।

2.2(ङ) लाइसेंसधारी के लिए यह बाध्यकारी है कि वो अत्याधुनिक डिजिटल नेटवर्क की स्थापना द्वारा बेहतर स्तर की उपर्युक्त सेवाएं प्रदान करे।

2.3 लाइसेंसधारी अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता के बिना इंट्रा-सेवा क्षेत्र लंबी दूरी परियात को कैरी करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, तकनीकी व्यवहार्यता के अध्यधीन, अंतर्सेवा क्षेत्र लंबी दूरी कॉलों को उपभोक्ता को यह विकल्प देना होगा कि वह समान सेवा क्षेत्र में, जहां भी संभव हो अन्य सेवा प्रदाता का नेटवर्क उपयोग कर सके। लाइसेंसधारी अंतर दूरी परियात के बहन के लिए राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के साथ पारस्परिक रूप से करार भी कर सकता है।

2.4 लाइसेंसधारी केबल सेवा प्रदाता तक सीमित न रहते हुए सेवा प्रदान करने के लिए उपयुक्त ग्रामीण एक्सचेंजों सहित लार्ट माइल लिंकेजों के प्रावधान हेतु किसी भी फ्रेंचाइज को नियुक्त कर सकता है। तथापि, लाइसेंस की शर्तों और निर्बंधनों के अनुपालन की सुनिश्चितता की सारी सकता है। लाइसेंसधारी की होगी। लाइसेंसधारी और उसके फ्रेंचाइजी के बीच फ्रेंचाइज करार की शर्तें दोनों पार्टियों को शामिल करते हुए दोनों के बीच बातचीत के द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित होंगी।

2.5(i) उपभोक्ता के टर्मिनल उपस्कर के स्वामित्व का प्रकार उपभोक्ता के विकल्प पर होगा।

(ii) सेवा प्रदान करने के संबंध में कोई भी विवाद केवल पीड़ित पार्टी और लाइसेंसधारी के बीच का मामला होगा, लाइसेंसधारी सेवा प्रदान करने से पूर्व सभी को यथावत् रूप से इसकी सूचना देगा तथा किसी भी मामले में लाइसेंसदाता किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व और जिम्मेवारी के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। अतः लाइसेंसधारी इस मामले में सभी दावों, लागतों, प्रभारों या क्षतियों से लाइसेंसदाता को सुरक्षित रखेगा।

2.6 लाइसेंसधारी सेवा प्रदान करने में विहित सारी अवसंरचना के लिए खयं इंतजाम करेगा तथा संस्थापना, आवश्यक उपस्कर और प्रणालियों की नेटवर्किंग और प्रचालन, उपभोक्ता की शिकायतों का निरूपण, अपने उपभोक्ताओं के बिल जारी करना, राजस्व का संग्रहण, अपने प्रचालनों से उत्पन्न दावों और क्षतियों पर ध्यान देने के लिए एकमात्र रूप से जिम्मेवार होगा।

### **3. लाइसेंस की अवधि**

यह लाइसेंस प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा जब तक कि इसे दस्तावेज में कहीं भी उल्लिखित कारणों से पहले निरस्त किया जाए।

### **4. लाइसेंस अवधि का विस्तार**

4.1 यदि उपयुक्त माना जाए तो, लाइसेंसदाता लाइसेंस की अवधि को लाइसेंसधारी के अनुरोध पर एक बार में 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है बशर्ते कि यह अनुरोध पारस्परिक सहमति पर लाइसेंस अवधि के 19 वें वर्ष के दौरान किया गया हो। अवधि विस्तार की स्वीकृति के बारे में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा।

## 5. लाइसेंस की शर्तों में आशोधन

5.1 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि लाइसेंस प्रदाता की राय में जनहित अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा टेलीग्राफों के सही संचालन हेतु आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो तो वह किसी भी समय लाइसेंस की शर्तों में बदलाव कर सकता है। इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

## 6. "लाइसेंस के अंतरण" पर प्रतिवंध

6.1 लाइसेंस प्रदाता की नीचे वर्णित पूर्व लिखित सहमति के बिना लाइसेंसधारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से, तीसरे पक्ष को इस लाइसेंस को सुपुर्द अथवा अंतरित नहीं करेगा अथवा उप-लाइसेंस के लिए कोई करार नहीं करेगा और/अथवा किसी तीसरे पक्ष से लाइसेंस संबंधी किसी विषय के बारे में पूर्णतः अथवा आंशिक साझेदारी नहीं करेगा अर्थात् कोई उप-पट्टा/साझेदारी/ तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेगा। परंतु लाइसेंसधारी सेवा की व्यवस्था हेतु हर समय एजेंट और कर्मचारी नियोजित अथवा तैनात कर सकता है।

6.2 अंतर संवा क्षेत्र आमेलन और अधिग्रहण तथा साथ ही लाइसेंसों के हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि समय-समय पर इस विषय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्वरूप अंतरित कर सकता है और प्रतिस्पर्धा की सुनिश्चितता के लिए सेवा क्षेत्र में अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए कम से कम तीन प्रचालक हों।

6.3 इसके आगे, लाइसेंसधारक निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर लाइसेंसदाता की पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस करार को सुपुर्द या अंतरित कर सकता है और यदि अन्यथा, दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान में प्रतिस्पर्धा में कोई समझौता नहीं होगा।

(i) जब लाइसेंस प्रदाता, लाइसेंसधारक और ऋण दाताओं के बीच पहले से किए गए त्रिपक्षीय करार की प्रक्रिया पूरा होने की शर्तों के अनुसार अंतरण और सुपुर्दगी का अनुरोध किया गया हो; अथवा

(ii) जब कभी समामेलन अथवा पुनर्गठन अर्थात् विलय अथवा विभाजन लागू कानून के अनुसार उच्च न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित हो; उपबंधों के अनुसार हो; विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के अनुसार; और

(iii) अंतरण प्राप्तकर्ता समनुदेशिती करार शर्तों अथवा उस क्षेत्र में नए लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज में शामिल पात्रता मानदंड के अनुसार पूर्ण रूप से पात्र हो तथा पिछले और भविष्य के रॉल आउट दायित्वों सहित लाइसेंस करार की शर्तों के अनुपालन के लिए लिखित रूप से इच्छा प्रकट करे, और

(iv) अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा अंतरण/सुपुर्दगी की तारीख तक की सभी पूर्व देयताएं पूर्ण रूप से अदा कर दी गई हों और इसके पश्चात कार्य छोड़ने वाली कंपनी द्वारा पूर्व अवधि में भुगतान न किए गए किसी शेष सहित भविष्य की सभी देयताएं को अदा करने का वचन दे।

## 7. सेवा प्रदान करना

7.1 लाइसेंसधारी इस लाइसेंस करार के अंतर्गत एकीकृत अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी अनुप्रयोज्य प्रणालियों के स्वामित्व, संस्थापन, जांच और आरंभ करने के लिए जिम्मेवार और प्राधिकृत होगा।

## 8. सेवा की सुपूर्दगी

8.1 लाइसेंसधारी लाइसेंस की प्रभावी तिथि से एक वर्ष के भीतर अनुप्रयोज्य प्रणालियों को चालू करेगा। लाइसेंसदाता की प्राधिकृत जांच पार्टी द्वारा जारी जांच प्रमाणपत्र की तिथि, जैसा कि समय-करेगा। लाइसेंसदाता की निर्दिष्ट हो, लाइसेंस करार की शर्त 35 के तहत परिसमापन नुकसानी की गणना के समय पर निर्दिष्ट हो, लाइसेंस करार की शर्त 35 के तहत परिसमापन नुकसानी की गणना के उद्देश्य से सेवा के चालू होने की तारीख मानी जाएगी। तथापि, लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी समय उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने की शुरूआत कर सकता है।

#### 9. सचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता

9.1 लाइसेंसधारक समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले नियमों/आदेशों के अनुसार लाइसेंसदाता और ट्राई को प्रणाली पासवर्ड सहित ऐसे दस्तावेज, विवरण, अनुमान, प्रतिवेदन, रिपोर्ट या अन्य सूचना इस प्रकार और ऐसी समय सीमा में प्रस्तुत करेगा जैसाकि उनमें से कोई एक मांग करे। लाइसेंसधारक ट्राई को ट्राई अधिनियम, 1997 या किसी संशोधित, आशोधित कानून के प्रावधान के अंतर्गत समय-समय पर जारी किसी आदेश, निदेश और विनियम के अनुसार सूचना भी उपलब्ध कराएगा।

9.2 लाइसेंसधारक, किसी भी ऐसे अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता (ऐसे अन्य सेवा प्रदाताओं सहित, जिनके लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस अपेक्षित नहीं है) जिसका किसी निर्धारित समय पर लाइसेंस/मंजूरी समाप्त अथवा स्थगित हो गया हो अथवा प्रचालन में नहीं है, को किसी भी स्थिति में संयोजकता अथवा इसी प्रकार की सेवा की इजाजत नहीं देगा। जहां संयोजकता पहले से है, लाइसेंसधारक को बिना समय गंवाए तत्काल कनेक्शन काटने अथवा संयोजकता समाप्त करनी होगी। लाइसेंसप्रदाता से इस संबंध में कोई भी संदर्भ प्राप्त होने पर, ऐसे संदर्भ प्राप्त होने के एक घंटे के अंदर कनेक्शन काटना होगा। कनेक्शन काटने के संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

## **10. लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति**

10.1 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि जनहित में अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा टेलीग्राफ के सुचारू संचालन हेतु लाइसेंस प्रदाता की राय में, यदि आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो तो वह किसी भी समय पूर्णतया अथवा अंशतः इस लाइसेंस के प्रचालन को निलंबित कर सकता है। लाइसेंस प्रदाता को देय लाइसेंस शुल्क उस अवधि के लिए दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसमें लाइसेंस का उद्देश्यार्थ लाइसेंसधारी की राय मांगने के लिए नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं होगा तथा लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

परंतु पूर्वोक्त कार्रवाई के फलस्वरूप हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए लाइसेंस प्रदाता जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस की अवधि विस्तार के लिए लाइसेंस का निलंबन कोई कारण अथवा आधार नहीं होगा तथा निलंबन की अवधि पहले ही व्यतीत अवधि के रूप में गिनी जाएगी।

10.2(i) लाइसेंस की किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर, किसी अन्य उपलब्ध उपचार के प्रति पूर्वाग्रह लाइसेंस प्रदाता लाइसेंसधारी को इसके पंजीकृत कार्यालय को जारी 60 दिन के लिखित नोटिस के बिना, लाइसेंस प्रदाता द्वारा लाइसेंसधारी को पूर्णतया अथवा अंशतः निरस्त कर सकता है : द्वारा, निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में इस लाइसेंस को पूर्णतया अथवा अंशतः निरस्त कर सकता है :

यदि लाइसेंसधारी :

- (क) शुल्क के समय पर भुगतान और लाइसेंस प्रदाता को देय अन्य शुल्कों सहित लाइसेंस के अंतर्गत किसी दायित्व(वों) के निष्पादन में असफल रहे;
- (ख) लाइसेंस प्रदाता द्वारा लाइसेंसधारी को दी गई समय अवधि के दौरान सेवा/उपस्कर में किसी त्रुटि/कमी को सुधार न पाए।
- (ग) परिसमाप्त हो जाए अथवा उसे समाप्त करने के आदेश दिए जाएं।
- (घ) लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर द्वारा लाइसेंस के निरस्तीकरण की सिफारिश की जाए।
- (ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों का पालन करने में असफल रहे।

10.2(ii) लाइसेंस करार की शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस प्रदाता अधिकतम 50 करोड़ रु0 की वित्तीय शास्ति भी लगा सकता है। यह शास्ति अनन्य रूप से परिसमाप्त नुकसानी के लिए है जैसाकि इस लाइसेंस करार के खंड 35 के अंतर्गत दिया गया है।

10.3 लाइसेंसधारी, लाइसेंस प्रदाता को कम से कम 60 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर लाइसेंस को लौटा भी सकता है। लाइसेंसधारी अपने सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस भेजकर परिणामस्वरूप सेवा वापसी की भी सूचना भेज सकता है। लाइसेंसधारी लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख तक के सभी शुल्क अदा करेगा। लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख, लाइसेंस प्रदाता को प्राप्त ऐसे नोटिस की तारीख से गिनकर 60वां कलैण्डर दिन होगा।

10.4 लाइसेंस के समाप्त होने अथवा छोड़ने संबंधी नोटिस की लंबित अवधि के दौरान, लाइसेंसधारी की यह जिम्मेवारी होगी कि वह सेवा की गुणवत्ता बनाए रखे। ऐसा न होने पर, लाइसेंस प्रदाता के पास उपलब्ध किसी अन्य उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इसे वार्तविक उल्लंघन समझा जाएगा।

10.5 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि लाइसेंस को रद्द करने संबंधी नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन का नोटिस देकर, जनहित में लाइसेंस को किसी भी समय रद्द कर सकता है।

10.6 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह लाइसेंसधारी की संपूर्ण सेवा, उपरकरों और नेटवर्कों का अधिग्रहण कर सकता है अथवा जनहित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध की स्थिति में अथवा कम तीव्रता संघर्ष अथवा ऐसी समान परिस्थितियों में लाइसेंस को रद्द/समाप्त/निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस प्रदाता के पास अधिकार सुरक्षित है कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो तो किसी क्षेत्र को प्रचालन जोन से बाहर रख सकता है।

10.7 लाइसेंस शर्तों को पूरा न करने संबंधी उल्लंघन की जानकारी नियमित निगरानी के परिणामस्वरूप या शिकायतों के माध्यम से लाइसेंसदाता के नोटिस में आ सकती है। जहाँ भी उपयुक्त समझा जाए लाइसेंसदाता ख्ययं या शिकायत के आधार पर यह जानने के लिए जाँच कर सकता है कि लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुपालन के संबंध में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है तथा इस जाँच के आधार पर लाइसेंसधारी सभी उचित सुविधाओं में विस्तार करेगा तथा हर प्रकार की अङ्गचन को हटाने का प्रयत्न करेगा।

10.8 लाइसेंसधारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इस अवधि के दौरान भी जब लाइसेंस को लौटाने/समाप्त करने का नोटिस लंबित है, सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखेगा तथा यदि उक्त नोटिस अवधि लाइसेंसधारी नोटिस अवधि के अंत तक तथा विशेष रूप से उस तिथि से जिससे लाइसेंस लौटाने को समाप्त करना प्रभावी होता है, से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

## **11. लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई**

11.1 यदि लाइसेंस करार के अंतर्गत ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लाइसेंस प्रदाता को लाइसेंस करार को समाप्त करना पड़े तो लाइसेंसप्रदाता, जहाँ ऐसा करार निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया हो।

त्रिपक्षीय करार में दी गई शर्तों के अनुसार कार्रवाई करेगा। हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय करार न होने के मामलों में निम्न शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

11.2 लाइसेंस को समाप्त करने अथवा छोड़ने अथवा अवधि खत्म होने की स्थिति में, सभी देयताओं जिसका भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंसधारक को किया जाना है, को चुकाने के संबंध में आश्वस्त होने पर ही लाइसेंसधारी को बैंक प्रत्याभूतियाँ साँपी जाएंगी। लाइसेंसधारी के लाइसेंसदाता को देय राशियों का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, लाइसेंसधारी को आगे कोई सूचना दिए बिना लाइसेंसदाता को देय राशि की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई(ओं) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बैंक प्रत्याभूतियों के भुनाने के माध्यम से बकाया राशि वसूली जाएगी।

## 12. बाध्यकारी उपाय

12.1 यदि किसी समय इस लाइसेंस के जारी रहने के दौरान किसी पक्षकार द्वारा इसके अंतर्गत किसी दायित्व का समग्र रूप से या आंशिक रूप से निष्पादन को युद्ध या शत्रुता द्वारा, सार्वजनिक शत्रुता, नागरिक क्षेत्र, विधंसा, राज्य की कार्रवाई या सांविधिक प्राधिकारी से निदेश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड्डताल और तालाबंदी (जो लाइसेंसधारक के प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं तक सीमित नहीं हो), दैवी कार्य (जिसे यहां घटना कहा जाएगा) द्वारा रोका जाता है या विलम्बित होता है, बशर्ते कि किसी ऐसी घटना के होने के बारे में इसके घटित होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर इसकी सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे दी जाती है, कोई भी क्लैण्डर दिवसों के भीतर इसकी सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे दी जाती है, कोई भी पक्ष इस घटना के कारण लाइसेंस समाप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा न ही किसी पक्ष का ऐसा निष्पादन न करने या निष्पादन में विलम्ब के मामले में दूसरे पक्ष के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार होगा। परंतु ऐसी घटना के समाप्त होने के पश्चात, लाइसेंस के तहत सेवा व्यवहार्य होने पर शीघ्रताशीघ्र शुरू की जाएगी। इस तरह सेवा शुरू करने (और समय-सीमा जिसके भीतर सेवा शुरू की जा सकती है) या न करने के संबंध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

12.2 तथापि, बाध्यकारी उपाय संबंधी उपर्युक्त घटनाओं के कारण किसी भी तरह लाइसेंस की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी।

12.3 जबकि यह लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने का कोई आधार भी नहीं होगा, घटना की परिस्थितियों पर आधारित विवेक पर, बाध्यकारी खंड के कारण ऐसी अप्रचालक अवधि(यों) के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की देयता को तथापि लाइसेंसदाता द्वारा कम किया/छोड़ा जा सकता है।

### 13. सेट ऑफ क्लाज़ :

13.1 यदि कोई धनराशि अथवा दावा लाइसेंसधारक से लाइसेंसदाता को इस लाइसेंस करार के लिए अथवा अन्यथा किसी रूप में देय हो जाता है तो ऐसी धनराशि अथवा दावे को (विधि द्वारा दिए गए अथवा लगाए गए किसी प्रतिदावे के लिए सेट ऑफ संबंधी किसी अधिकार को प्रतिबंधित किए बिना) तब देय अथवा इस लाइसेंस करार या अन्य करार अथवा लाइसेंसदाता तथा लाइसेंसधारक के

बीच किसी अन्य करार अथवा ठेके के अंतर्गत तत्पश्चात् किसी समय लाइसेंसधारक को देय होने वाली किसी राशि अथवा धनराशि में से घटा लिया जाएगा अथवा समयोजित कर दिया जाएगा।

13.2 लाइसेंसधारक कंपनी को भुगतान की जाने वाली पूर्वोक्त धनराशि में कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसे धनराशि में परिवर्तित किया जा सके, शामिल होगी।

13.3 सेट ऑफ संबंधी अधिकार का प्रयोग करने के पश्चात्, लाइसेंसदाता ऐसी कार्रवाई की सूचना लाइसेंसधारक कंपनी को लिखित रूप में तुरंत स्पष्ट रूप से देगा।

#### **14. वे लीव :**

14.1 लाइसेंसधारक कंपनी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए स्वयं अपना प्रबंध करेगी। तथापि, केंद्र सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-III के अंतर्गत टेलीग्राफ लाइनें रखापित करने के उद्देश्यार्थ, लाइसेंसधारी को अपेक्षित शक्तियां प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकती है। बशर्ते की आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता या किसी ऐजेंसी से अनुमति/रवीकृति प्राप्त करने में हुए विलंब को रॉल-आउट दायित्वों को पूरा न होने के कारण के रूप में न माना जाए तथा साथ ही इस लाइसेंस की शर्तों के द्वारा लगाए किसी दायित्व को पूरा न कर पाने के लिए एक वैध कारण के रूप में नहीं लिया जाए।

#### **15. टेलीफोन सेवा निर्देशिका का प्रकाशन :**

15.1 दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं की सूचना को धारित करने वाली टेलीफोन सेवा निर्देशिका के प्रकाशन के संबंध में ट्राई का निर्णय लागू होगा तथा मान्य होगा।

#### **16. सामान्य :**

16.1 लाइसेंसधारक इस लाइसेंस करार के निवंधन और शर्तों तथा लाइसेंसदाता/ट्राई द्वारा जारी अनुदेशों तथा समय-समय पर यथा संशोधित ट्राई अधिनियम 1997 के उपबंधों के अनुसार ट्राई के आदेशों/निदेशों/विनियमों से बंधा होगा।

16.2 इस लाइसेंस से संबंधित सभी विवाद ट्राई अधिनियम, 1997 के उपबंधों, जिसमें कोई भी संशोधन या आशोधन जो भी हो शामिल है के अनुसार दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के क्षेत्राधिकार में होंगे।

16.3 यह लाइसेंस करार भारतीय तार अधिनियम 1885 या भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के अंतर्गत सावंधिक उपबंधों और नियमों के अनुसार कार्य करेगा। इन संविधियों के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश लाइसेंसधारी के लिए मान्य होगा।

## भाग-II वाणिज्यिक शर्तें

### **17. प्रशुल्क :**

17.1 लाइसेंसधारी द्वारा समय-समय पर जारी प्रशुल्क आदेशों/विनियमों/निदेशों के अनुसार सेवा के लिए प्रशुल्क की वसूली करेगा। लाइसेंसधारी समय-समय पर यथा संशोधत द्वाई अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर जारी द्वाई के निदेशानुसार इसके आदेशों/विनियमों/निदेशों के माध्यम से प्रशुल्कों, अधिसूचनाओं के प्रकाशन और सूचना प्रदान करने के बारे में भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा।

### भाग-III वित्तीय शर्तें

#### **18. देय प्रशुल्क**

##### **18.1 प्रवेश शुल्क :**

इस लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व लाइसेंसधारक द्वारा ..... रु0 का एक मुश्त अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान किया गया है।

##### **18.2 लाइसेंस शुल्क**

उपर्युक्त वर्धित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारक को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की .....% की दर से वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा जिसमें स्पेक्ट्रम प्रभार शामिल नहीं है।

वार्षिक लाइसेंस शुल्क 1.4.2004 से समयोजित सकल राजस्व की .....% की दर पर होगा। वार्षिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करना होगा। तथापि, राजस्व भागीदारी लाइसेंसदाता के पास इस करार के प्रवर्तन के दौरान किसी भी समय उपर्युक्त लाइसेंस शुल्क को संशोधित करने का अधिकार है।

##### **18.3 रेडियो स्पेक्ट्रम प्रभार**

18.3.1 लाइसेंसधारक को डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा समय समय पर अलग से यथा अधिसूचित राजस्व भागीदारी आधारित लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त, स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करना होगा। तथापि, राजस्व भागीदारी आधारित स्पेक्ट्रम प्रभार की लेवी के सीमित प्रयोजन के लिए "एजीआर" परिकलन करते समय तार लाइन उपभोक्ता से प्राप्त राजस्व की गणना नहीं की जाएगी।

18.3.2 इसके अतिरिक्त, प्वाइंट टू प्वाइंट लिंकों और अन्य अभिगम लिंकों के लिए स्पेक्ट्रम का इरतेमाल करने हेतु बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध के ब्योरा और आदेश के अनुसार पृथक रूप से रॉयल्टी का भुगतान करना होगा। स्पेक्ट्रम के उपयोग/बेतार टेलीग्राफी उपरकर के स्वामित्व के लिए शुल्क/रॉयल्टी विभिन्न कारकों जैसे कि फ्रीक्वेंसी, होप और लिंक लैंथ, प्रचालन क्षेत्र और अन्य संबंद्ध पहलुओं इत्यादि पर निर्भर करता है। लाइसेंस प्राप्त प्रचालकों द्वारा माइक्रोवेब लिंकों की स्थापना करने हेतु फ्रीक्वेंसियों के प्राधिकार तथा लाइसेंस जारी करने के कार्य का मौजूदा नियमों के अनुसार पृथक रूप से डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा निपटान किया जाएगा।

## **19. "समायोजित सकल राजस्व" की परिभाषा**

### **19.1 सकल राजस्व**

सकल राजस्व में संस्थापन प्रभार, विलंब शुल्क, हैंडसेटों की बिक्री की प्राप्तियाँ (अथवा कोई अन्य टर्मिनल उपस्कर इत्यादि), ब्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्णित सेवाएं, अनुपूरक सेवाएं, अभिगम या इंटर कनेक्शन प्रभार, रोमिंग प्रभार, अवसंरचना की स्वीकृत, साझेदारी से प्राप्त राजस्व अथवा कोई अन्य विविध राजस्व व्यय के संबंधित मद हेतु बिना किसी बढ़ोत्तरी इत्यादि शामिल है।

**19.2 समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के निर्धारण के प्रत्योजनार्थ, एजीआर का निर्धारण करने के लिए सकल राजस्व में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाएगा :**

- i. भारत के भीतर अन्य पात्र/योग्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तविक रूप से प्रदत्त पीएसटीएन संबंधी काल प्रभार (अभिगम प्रभार);
- ii. अन्य पात्र/योग्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तविक रूप से हस्तांतरित रोमिंग राजस्व और;
- iii. विक्रय कर और सेवा करके संघटक के रूप में यदि सकल राजस्व शामिल किया गया था तो सरकार को वास्तविक रूप से प्रदत्त सेवा के संबंध में सेवा कर तथा विक्रय कर।

## **20. वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य बकायों के भुगतान की समय-सूची**

**20.1 लाइसेंस शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रथम वर्ष की समाप्ति लाइसेंस करार की शुरुआत की तारीख के बाद 31 मार्च को होगी और प्रथम वर्ष के लाइसेंस शुल्क का निर्धारण "वर्ष" की वास्तविक अवधि के लिए यथानुपात आधार पर होगा। दूसरे वर्ष से आगे के वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अंग्रेजी कैलेण्डर के 12 महीने का होगा।**

**व्याख्या :** लाइसेंस के प्रथम वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क की गणना पूर्ववर्ती तिमाहियों जो प्रायः प्रत्येक तीन महीने की होती है, को छोड़ने के पश्चात दिनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जाएगी।

**20.2 लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों में किया जाएगा। लाइसेंसधारक द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान वर्ष की संबद्ध तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस लाइसेंस शुल्क का भुगतान, लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र के साथ विधिवत प्रमाणित करके, बोर्ड संकल्प द्वारा प्राधिकृत सामान्य पावर आफ अटार्नी के साथ तिमाही के लिए वास्तविक राजस्व के आधार पर (प्राप्ति के आधार पर) करना होगा। तथापि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क का भुगतान तिमाही के लिए प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च तक करना होगा, बशर्ते कि न्यूनतम भुगतान पिछली तिमाही के लिए अदा किए गए राजस्व हिस्से के बराबर हो।**

20.3 लाइसेंसधारक किए गए भुगतान और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए देय वास्तविक राशि (प्राप्ति के आधार पर) के बीच अंतर का समायोजन और भुगतान कथित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर करेगा।

20.4 त्रैमासिक भुगतान अनुबंध-II में दिए गए विवरण के साथ निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा जिसके साथ समायोजित सकल राजस्व का परिकलन और पिछली तिमाही के लिए देय लाइसेंस शुल्क दर्शाना होगा। प्रत्येक वर्ष के पूर्वोक्त विवरणों की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अधीन नियुक्त किए गए लेखा लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक (जिसे इसके पश्चात लाइसेंसधारक का लेखापरीक्षक कहा गया है) से लेखा लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक (जिसे इसके पश्चात लाइसेंसधारक का लेखापरीक्षक कहा गया है) से लेखा परीक्षा करानी अपेक्षित होगी। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध-II में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

20.5 निर्धारित अवधि के बाद लाइसेंस शुल्क अथवा लाइसेंस के अंतर्गत देय कोई अन्य बकाये के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के कारण संबंधित कथित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में जो दर (1 अप्रैल) की शुरूआत में होगी, उसी के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेंडिंग दर (पीएलआर) से 2% से अधिक दर पर ब्याज लगेगा। ब्याज मासिक रूप से मिश्रित लिया जाएगा और महीने के कुछ दिनों को ब्याज की गणना के प्रयोजनार्थ पूरा महीना के रूप में गिना जाएगा। महीना अंग्रेजी कलेप्डर के माह के रूप में माना जाएगा।

20.6 वर्ष के लाइसेंस शुल्क का अंतिम रूप से समायोजन कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल राजस्व आंकड़ों के आधार पर होगा।

20.7 लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7(सात) दिनों के भीतर करार के खंड 20.4 के निबंधनों में प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणों में दर्शाये आंकड़े और वार्षिक लेखाओं में दर्शाये आंकड़ों जिसके साथ प्रकाशित वार्षिक लेखांकन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा यथा लेखा परीक्षित तिमाही विवरण भी होगा, के बीच सामंजस्य बनाकर प्रस्तुत करना होगा। उपर्युक्त यथा निर्धारित वार्षिक वित्तीय लेखा और विवरण अनुबंध में यथा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार करना होगा।

20.8 यदि वित्तीय वर्ष की चारों (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा की गई कुल राशि में देय लाइसेंस शुल्क के 10% से अधिक तक कमी आती है तो इस पर कम भुगतान की संपूर्ण राशि का 50% का जुर्माना लगेगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से 60 दिनों के भीतर कम भुगतान की राशि का भुगतान 60 दिनों के भीतर कर दिया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा। कम भुगतान की इस राशि, जुर्माना सहित का भुगतान वार्षिक लेखाओं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में शर्त 20.5 की शर्तों के अनुसार उस पर पुनः ब्याज लगा दिया जाएगा।

20.9 डब्ल्यूपीसी प्रभारों के लिए देय शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान उस समय और उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि दूरसंचार विभाग का डब्ल्यूपीसी संबंध ने समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

20.10 इस लाइसेंस करार में यथा उल्लिखित संपूर्ण राशि बकाया और देय हो रही है तो उसका लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किसी भी राष्ट्रीय बैंक से डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग अथवा किसी अन्य प्राधिकारी, यदि लाइसेंसदाता द्वारा ऐसा कोई पदनामित किया जाए, के पक्ष में करना होगा।

20.11 लाइसेंसदाता अदा की गई राजस्व हिस्सेदारी का समुचित और सही-सही सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसके पहले और इसके बाद में लिखित इस अनुसूची की शर्त सं 20.4, 20.7, 22.5 और 22.6 में जो कुछ भी कहा गया है, यदि आवश्यक मानता है तो उनमें आशोधन, फेरबदल, प्रतिरक्षापन और संशोधन कर सकता है।

20.12 लाइसेंसधारक अपने नेटवर्क से हुई कॉलों परंतु अन्य सेवाप्रदाता के नेटवर्क में गई तथा समाप्त हुई कॉलों के कैरेज के लिए अलग से अभिगम प्रभारों का भुगतान करेगा। लाइसेंसधारक द्वारा अन्य लाइसेंस सेवा प्रदाताओं से प्राप्त नेटवर्क संशोधनों के लिए भी अलग से भुगतान करेगा। यह द्राई के निर्णय द्वारा शासित किया जाएगा।

## 21. बैंक गारंटी

### 21.1 निष्पादन बैंक गारंटी

लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व निर्धारित आरूप में रु 20/10/2 करोड़ ("क" / "ख" / "ग" श्रेणी सेवा क्षेत्रों के लिए) के बराबर राशि की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबजी) जमा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त लाइसेंस की प्रभावी तिथि के एक वर्ष पूरा होने पर तथा एक वर्ष के लिए अनुबद्ध कवरेज मानदंड पूरा हो जाने पर लाइसेंसधारी द्वारा प्रदत्त स्वयं प्रमाणन पर श्रेण क/ख/ग सेवा क्षेत्रों के लिए निष्पादन बैंक गारंटी कम हो कर 10/5/1 करोड़ रु 0 हो जाएगी।

खंड 34 में यथा अनुबन्ध रॉल आउट दायित्वों के पूरा होने पर बकाया निष्पादन बैंक गारंटी कवरेज के संबंध में टीईसी द्वारा जारी जांच प्रमाणपत्र/जांच प्रमाणपत्रों की प्राप्ति पर छोड़ दी जाएगी।

### 21.2 वित्तीय बैंक गारंटी

लाइसेंसधारी संलग्न निर्धारित प्रपत्र में किसी भी अनुसूचित बैंक या ऐसी बैंक गारंटी जारी करने के लिए यथा प्राधिकृत किसी सावर्जनिक वित्तीय संस्थान से एक वर्ष के लिए मान्य वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा। आरंभ में 50/25/5 करोड़ रु 0 (क्रमशः श्रेणी "क" / "ख" / "ग" सेवा क्षेत्र के लिए) की वित्तीय बैंक गारंटी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार, एफबीजी की धनराशि लाइसेंस शुल्क के समक्ष दो तिमाहियों के लिए देय अनुमानित राशि के बराबर होगी तथा अन्य भुगतान अन्यथा प्रतिभूति न हो तथा अन्य कोई अतिरिक्त राशि लाइसेंसदाता द्वारा उपयुक्त मानी जाए। वित्तीय बैंक गारंटी

की धनराशि लाइसेंसदाता द्वारा आविधिक समीक्षा के अध्यधीन होगी तथा सभी देयताओं का अंतिम रूप से निपटान हो जाने तक समय-समय पर इसका नवीकरण किया जाएगा।

21.3 स्पेक्ट्रम का उपयोग करने तथा साथ ही बैतार टेलीग्राफी उपस्कर को रखने के लिए शुल्क, प्रभार तथा रायल्टी डब्ल्यूपीसी को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक रूप से देय अनुमानित राशि की समकक्ष धनराशि की वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करके अलग से प्रतिभूति की जाएगी, जिसकी वैधता एक वर्ष के लिए होगी, जिसका ऐसी सभी देयताओं का अंतिम रूप से भुगतान करने तक समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा।

21.4 आरंभ में बैंक गारंटी एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी तथा समय-समय पर इसका नवीकरण किया जाएगा। लाइसेंसधारक वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर लाइसेंसदाता से कोई मांग अथवा नोटिस प्राप्त किए बिना वित्तीय बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पूर्व समान शर्तों के लिए उसकी वैधता अवधि ख्वयं बढ़ा लेगा। ऐसा करने में किसी चूक से लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होगा और लाइसेंसदाता वित्तीय बैंक गारंटी को भुनाने और उसी के जोखिम और लागत पर लाइसेंसधारक को कोई नकदीकरण पर कोई ब्याज अथवा मुआवजा, कुछ भी हो, नहीं दिया जाएगा।

21.5 लाइसेंसदाता, लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस की निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने के मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी पूर्वाग्रह के बिना वित्तीय बैंक गारंटी/गारंटियों को भुना सकता है।

## 22. लेखाओं की तैयारी

22.1 लाइसेंसधारक सेवा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का आहरण, रखरखाव और उन्हें प्रस्तुत करेगा और लाइसेंसदाता अथवा द्राई द्वारा जैसा भी मामला हो, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों, दिशा-निर्दशों अथवा विनियमों का पूर्णस्लपेण अनुपालन करेगा।

22.2 लाइसेंसधारक निम्नलिखित कार्य के लिए बाध्य होगा :

(क) लाइसेंस अवधि की पूरी हुई प्रत्येक तिमाही अथवा इससे कम अवधियों जैसा लाइसेंसदाता निर्धारित करे, के संबंध में अपने करोबार में लेन-देन को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने और व्याख्या करने, लागत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने (पूंजीगत लागत सहित) लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारक के कारोबार की राजस्व और वित्तीय स्थिति जिसमें लगाई गई परिसम्पत्तियों का तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल है, और राजस्व की मात्रा निर्धारित करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु लाइसेंसधारक के कारोबार से संबंध अन्य देनदारियों से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव और संकलन करना।

(ख) पूरे हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किए गए उन प्रत्येक लेखांकन विवरणों के बारे में अधिप्रापण, लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक की

रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताना कि क्या उनके विचार से इस शर्त के प्रयोजनार्थ वह विवरण पर्याप्त है और तत्पश्चात् लाइसेंसदाता को उक्त रिपोर्ट के साथ प्रत्येक लेखांकन विवरणों की प्रतिलिपि उस अवधि, जिससे वे संबद्ध हों, की समाप्ति के पश्चात् संप्रेषित करना जो तीन महीने से अधिक न हो।

(ग) कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र पर शपथ का प्रमाणित विवरण, जिसमें सेवा से प्रत्येक तिमाही के अर्जित राजस्व का अलग-अलग पूर्ण लेखा विवरण और साथ में संबंधित तिमाही का भुगतान विवरण भी हो, लाइसेंसदाता को संप्रेषित करना।

22.3(क) लाइसेंसदाता अथवा ट्राई के पास जैसा भी मामला हो, इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा के संबंध में किए गए व्यवसाय के बारे में किसी भी लेखा बही जिसका रखरखाव लाइसेंसधारक करे, की जांच करने के लिए किसी भी समय मांग करने का अधिकार है और लाइसेंसधारक जांच के लिए उन्हें आपूर्ति करने और प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

22.3(ख) लाइसेंसधारक निरपवाद रूप से कंपनी के विधिवत लेखा परीक्षित व अनुमोदित लेखाओं के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी बिलिंग और अन्य लेखांकन रिकार्ड (इलेक्ट्रॉनिक और हार्डकॉफी) को सुरक्षित रखेगा और इस कार्य में किसी भी कोताही को किसी अन्य उल्लंघन के समान स्वतः वास्तविक उल्लंघन माना जाएगा और यह लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त कारण होगा।

22.4 लाइसेंसधारक के रिकार्ड की जांच लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अध्यधीन होगी ताकि लाइसेंसदाता को देय उसके राजस्व हिस्सेदारी की धनराशि के स्वतंत्र सत्यापन में सुविधा रहे।

22.5 लाइसेंसदाता के विचार में जब यह आए कि प्रस्तुत किए गए विवरण अथवा लेखांकन गलत अथवा भ्रामक हैं तो वह लाइसेंसधारक के खर्च पर लेखा परीक्षक नियुक्त करके लाइसेंसधारक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने का आदेश दे सकता है और नियुक्त लेखा परीक्षक/परीक्षकों के पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को मिली होती हैं। ऐसे लेखा परीक्षकों की परिलक्षियां, लाइसेंसदाता द्वारा जैसी भी निर्धारित की जाएंगी, वे लाइसेंसधारक द्वारा वहन की जाएंगी।

22.6 लाइसेंसदाता "विशेष लेखा परीक्षकों" द्वारा लाइसेंसधारक कंपनी के लेखाओं/रिकार्डों की "विशेष लेखा परीक्षा" भी करा सकता है जिसका भुगतान लाइसेंसदाता द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जाएगा। इसे लाइसेंसधारक कंपनी वहन करेगी। यह उपर्युक्त पैरा 22.5 में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा के स्वरूप का होगा। "विशेष लेखा परीक्षकों" को भी वही सुविधा और वही शक्तियां उपलब्ध होंगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा परिकल्पित कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उपलब्ध हैं।

22.7 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर निर्धारित लेखांकन मानदंडों और मार्गनिर्देशों जैसा भी मामला हो, के अनुसार कंपनी का वार्षिक वित्तीय लेखा तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

**23. तकनीकी शर्तें :**

23.1 लाइसेंसधारी सेवा के प्रचालन हेतु प्रयुक्त होने के लिए प्रस्तावित प्रौद्योगिकी का ब्योरा उपलब्ध कराएगा। प्रौद्योगिकी आईटीयू/टीईसी अथवा अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय मानकी संगठन/निकायों/उद्योग द्वारा जारी मानकों पर आधारित होनी चाहिए। कोई भी डिजिटल प्रौद्योगिकी जो एक लाख अथवा अधिक उपभोक्ताओं द्वारा विश्व में कहीं भी लगातार एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोग की गई हो को, इसके बदले हुए रूपों पर ध्यान न देते हुए, अनुमति दी जा सकती है। एक लाख अथवा अधिक उपभोक्ताओं के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्माताओं द्वारा प्रदत्त संतुष्टिपूर्वक कार्य संबंधी प्रमाणपत्र को स्थापित प्रौद्योगिकी समझा जाएगा।

23.2 लाइसेंसधारी अपनी ख्याल की कीमत पर, लाइसेंसप्रदाता द्वारा मानेटरिंग के लिए अपेक्षित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में प्रयोग होने वाली अपेक्षित सुविधा/उपरकर उपलब्ध कराएगा।

23.3 लाइसेंसधारी राष्ट्रीय मूल योजना का पालन सुनिश्चित करेगा (जिसमें समय-समय पर दूरसंचार विभाग द्वारा जारी राष्ट्रीय क्रमांक रूटिंग और ट्रांसमिशन योजना तथा लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा विहित तकनीकी मानक शामिल हैं)। लंबी दूरी प्रचालक की पसंद उपलब्ध कराने की स्थिति में लाइसेंस प्रदाता अथवा ट्राई द्वारा इस विषय पर जारी प्रचलित विनियम, निदेश अथवा संकल्प के अनुसार उपरकर डायनेमिक कॉल-बाई-कॉल चयन और पूर्व चयन जैसी चयनित सुविधाओं को समर्थन देगा।

23.4 एकीकृत अभिगम सेवा के लिए राष्ट्रीय योजना, लागू राष्ट्रीय क्रमांक योजना के अनुसार होगी। लाइसेंसप्रदाता के पास यह अधिकार होगा कि वह राष्ट्रीय मूल योजना अथवा इसके अंश जैसे राष्ट्रीय योजना, रूटिंग योजना, ट्रांसमिशन योजना इत्यादि को संशोधित कर सके।

23.5 डब्ल्यूपीसी फ्रीक्वेंसी की सुपुर्दगी राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना-2002 (एनएफएपी-2002) में विहित निर्धारित बैंड से करेगा। स्थिति दर स्थिति, प्रयोग, औचित्य और उपलब्धता के आधार पर रेक्ट्रम की सुपुर्दगी पर विचार किया जाएगा। सभी मामलों में सुपुर्द फ्रीक्वेंसी संसक्त और समान नहीं होगी यद्यपि जहां तक संभव हो, बड़े हिस्से को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी रेक्ट्रम के आबंटन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश और इस संबंधी प्रभार समय-समय पर अलग से जारी किए जाएंगे।

23.6 लाइसेंसप्रदाता और ट्राई को पूर्व सूचना देते हुए, बाद में प्रौद्योगिकी द्वारा स्वीकृत किसी भी मूल्य संवर्धन/उन्नयन की स्थिति में लाइसेंसधारी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

**24. लागू व्यवस्था :**

24.1 सेवा प्रचालन की प्रक्रिया में, लाइसेंसधारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगा :-

- (i) उपभोक्ता के परिसर में उपरकर की संस्थापना, जोकि उपभोक्ता की पसंद पर निर्भर करेगा, को छोड़कर साइट्स की संस्थापना के लिए
- (ii) उपरकर के समुचित रखरखाव के लिए
- (iii) निष्पादन मानदंड को बनाए रखने के लिए

(iv) खंड 28 के अनुसार सेवा गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए

## 25. इंजीनियरिंग ब्यौरा :

(क) लाइसेंसधारी लाइसेंसदाता को ऐसे तरीके से और ऐसे समय, जैसाकि लाइसेंसप्रदाता अथवा इसका प्राधिकृत प्रतिनिधि मांग करे, लागू व्यवस्था के संबंध में सिस्टम/नेटवर्क का इंजीनियरिंग, योजना और आयाम की सभी गणनाओं सहित पूरा तकनीकी ब्यौरा, संबंधित प्रासंगिक साहित्य, ड्राईग्स, संस्थापना सामग्री उपलब्ध कराएगा।

(ख) सेवा के शुरू होने से पहले अथवा लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय यदि लाइसेंसप्रदाता का जांच दल और/अथवा टीईसी जांच करना चाहे तो लाइसेंसधारी उन्हें सभी औजार जांच उपकरण और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराएगा।

(ग) टीईसी/लाइसेंसप्रदाता द्वारा निष्पादन जांच के लिए लाइसेंसधारी की ओर से सिस्टम उपलब्ध कराने में हुए किसी विलंब को इस लाइसेंस की शर्तों द्वारा अभ्यारोपित रॉलआउट दायित्वों को पूरा न करने के लिए वैध कारण नहीं समझा जाएगा।

## 26. नेटवर्क अंतर्संयोजन :

26.1 विभिन्न सेवा प्रदाताओं के नेटवर्कों में अंतर्संयोजन टेलीकॉम इंजीनियरिंग केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सीसीएस सं0 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तथा नेटवर्कों की तकनीकी सुगमता और तकनीकी एकीकरण के आधार पर भी और समय-समय पर द्राई द्वारा जारी अंतर्संयोजन विनियमों के समग्र ढाँचे के अंतर्गत होना चाहिए। तथापि, यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तो लाइसेंसप्रदाता द्वारा आर 2 एमएफ सिंगलिंग सहित अंतर्संयोजन की इजाजत दी जा सकती है।

26.2 अंतर्संयोजन करारों पर वार्तालाप के लिए लाइसेंसधारी अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर उपयुक्त व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें अंतर्संयोजित नेटवर्क निम्नलिखित उपलब्ध कराएगा:-

(क) अंतर्संयोजित सिस्टमों के बीच मैसेज के ट्रांसमिशन और रिस्पशन के लिए यथोचित मांग पूरी करना  
(ख) लागू व्यवस्था द्वारा मैसेज के ट्रांसमिशन और रिस्पशन के लिए पर्याप्त क्षमता और पर्याप्त सं0 में ऐसे एक अथवा अधिक अंतर्संयोजन बिंदुओं, जितने तार्किक रूप से अपेक्षित हो, की स्थापना और रखरखाव

(ग) उनके लागू सिस्टमों को अंतर्संयोजित करने तथा अंतर्संयोजन को बनाए रखने के लिए।

26.3 किसी उपरकर का प्रावधान और अंतर्संयोजन के प्रयोजन के लिए इसकी संस्थापना संबंधित पक्षों के आपसी करार पर निर्भर करेगी।

26.4 किसी सेवाप्रदाता के साथ प्रत्येक इंटरफेस के लिए अंतर्संयोजन जांच लाइसेंसधारी और संबंधित अन्य पक्ष के बीच हुए आपसी करार के आधार पर होगी। अंतर्संयोजन जांच की सारिणी आपसी सहमति के आधार पर बनेगी। इन जांच के लिए लाइसेंसधारी उपयुक्त समय, कम से कम 30 दिन, प्रदान करेगा। सेवा प्रदाताओं के बीच कमियों/विचलनों के सुधार के लिए हुए अंतर्संयोजन जांच अथवा आपसी करार, यदि कोई हो, के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, लाइसेंसधारी सेवा शुरू कर सकता है। संचालित अंतर्संयोजन में आई कमियों/विचलनों के सुधार में असहमति होने पर, लाइसेंसप्रदाता का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

26.5 लाइसेंसधारी के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वह सभी पात्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और एनएलडी प्रचालकों को अंतर्संयोजन उपलब्ध कराए जिससे एनएलडी/आईएलडी प्रचालक के माध्यम से उपभोक्ता अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल करने के लिए स्वतंत्र रूप से चयन कर सके। अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉल के लिए, लाइसेंसधारी आमतौर पर राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक के नेटवर्क के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक की सहायता लेता है जो लाइसेंसप्रदाता/ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किसी दिशा-निर्देशों/आदेशों/निदेशों/विनियम के पालन के अधीन है। ऐसी स्थिति में जब कि आईएलडी गेटवे स्थिरिज/प्लाइंट ऑफ पर्जेस और अभिगम प्रदाता के (जीएमएससी/ट्रांजिट स्विच) स्तर-I टीएक्स के समान स्टेशन पर स्थापित हो, लाइसेंसधारी, अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी लाइसेंसधारी को अंतर्संयोजन के लिए सीधे तौर पर मना नहीं करेगा।

26.6 लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच सीधे अंतर्संयोजन की स्वीकृति दी गई है। लाइसेंसधारी ट्राई द्वारा जारी प्रचलित विनियमों, निदेशों अथवा संकल्पों के अनुपालन के अधीन अन्य सेवा प्रदाताओं से अंतर्संयोजन करेगा। अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के संबंधित लाइसेंसिंग नेटवर्क की समाप्ति के एक घंटे के अंदर अथवा इस संबंध में लाइसेंसप्रदाता से प्राप्त सूचना के बाद लाइसेंसधारी द्वारा निर्देशित समय के अंदर अंतर्संयोजन वापिस लेना होगा।

26.7 नेटवर्कों के बीच अंतर्राष्ट्रीय बिंदु लाइसेंसप्रदाता/ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/आदेशों/नियमों/विनियम के आधार पर संचालित होगा।

26.8 लाइसेंसधारी अन्य लाइसेंसीकृत सेवा प्रदाताओं के साथ उनके संबंधित अंतर्संयोजन करारों में उपयुक्त नियमित अंतर्संयोजन बिलिंग व्यवस्था लागू करेगा।

## 27. इंटरफ़ेस :

27.1 लाइसेंसप्रदाता और ट्राई द्वारा आपसी रूप से सहमति पर समय-समय पर दिए गए ऐसे अन्य निर्देशों के अधीन नेटवर्क-नेटवर्क इंटरफ़ेस के संबंध में गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हुए लाइसेंसधारी लाइसेंसीकृत नेटवर्क का प्रचालन और रखरखाव करेगा। लाइसेंसधारी अथवा उसके फ्रैंचाइजी की ओर से ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा गुणवत्ता अनुबंधों और टीईसी के नेटवर्क-नेटवर्क मानदंडों को पूरा करने में विफलता को लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। सेवा उपलब्ध कराने के उद्द्य से, लाइसेंसधारी अपने उपरकर की संरक्षण करेगा ताकि अन्य सेवा प्रदाताओं के उपरकर से प्रतिस्पर्धा हो सके, जिसके लिए लाइसेंसधारी के लागू सिस्टम अंतर्संयोजन के लिए चाहिए। लाइसेंसधारी अपने प्रचालनों से उत्पन्न दावों और नुकसानों को निपटाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार होगा।

27.2 अंतर नेटवर्क कॉल हेतु अन्य नेटवर्कों से सुविधा प्राप्त करने संबंधी शुल्क, ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/विनियमों/दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते हुए अन्य सेवा प्रदाताओं के बीच हुए आपसी करार पर आधारित होगा।

27.3 लाइसेंसधारी की सेवा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्कों के उन्नयन/आशोधन की लागत सहित नेटवर्क संसाधनों पर आपसी सहमति, द्राई द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और विनियमों के मध्येनजर होगी।

## 28. निष्पादन की गुणवत्ता :

28.1 लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट की गई सेवा गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। लाइसेंसधारी इन सेवा गुणवत्ता मानकों का दृढ़ता से पालन करेगा और उनसे संबंधित अपेक्षित जानकारी समयानुसार प्रदान करेगा।

28.2 लाइसेंसधारी निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगा :

- (i) निष्पादन और सेवा गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना
- (ii) सेवा गुणवत्ता की विनिर्दिष्ट सीमा के अंदर एमटीटीआर (रिस्टोर के लिए औसत समय) को बनाए रखना।
- (iii) लाइसेंसधारी सेवा के संबंध में त्रुटियों ओर परिशोधन रिपोर्ट की संख्या का रिकार्ड रखेगा, जोकि जब भी और जिस रूप में अपेक्षित हो लाइसेंस प्रदाता/ट्राई के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

28.3 लाइसेंसधारी, अपने उपभोक्ताओं द्वारा दायर शिकायतों के लिए जिम्मेवार होगा। लाइसेंसधारी विनिर्दिष्ट एमटीटीआर के अंदर की विषमताओं को सुधारेगा और प्रत्येक संस्थापना, आंकड़ों और समग्र रखरखाव स्तर के निष्कर्ष के विवरण को बनाए रखेगा।

28.4 सेवा के वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी देने से पहले लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई अंतर्संयोजन जांचों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद और/अथवा लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय लाइसेंसधारी के नेटवर्क में निष्पादन संबंधी जांच और सेवा गुणवत्ता मानदंडों का मूल्यांकन कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नेटवर्क सेवा गुणवत्ता के विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता है। लाइसेंसधारी इन जांचों के लिए प्रवेशाधिकार तथा उपकरणों, उपरकर इत्यादि सहित अन्य सहायता प्रदान करेगा।

28.5 लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता/ट्राई, अवसंरचना प्रदाता(ओं) जिनके साथ वह करार/पट्टे के लिए संविदा/हाथरिंग/खरीददारी अथवा अवसंरचना के प्रावधान अथवा बैंडविड्थ के प्रावधान के लिए ऐसे किसी उपकरण के लिए उपरोक्त द्वारा विहित सेवा गुणवत्ता को लागू और सुनिश्चित करेगा। सेवा गुणवत्ता की सुनिश्चितता की जिम्मेवारी लाइसेंसधारी की होगी।

**29. आपातकालीन और लोक उपयोगी सेवाएं :**

29.1 लाइसेंसधारी अपनी ओर से अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ हुए आपसी रूप से सहमत वाणिज्यिक करारों के माध्यम से पुलिस, आग, एम्बुलेंस, रेल/सड़क/वायु दुर्घटना जांच, पुलिस कंट्रोल, आपदा प्रबंधन इत्यादि जैसी सभी लोक उपयोगी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। पुलिस, आग, एम्बुलेंस इत्यादि जैसी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस संबंध में प्राप्त कॉल, उसी क्षेत्र के संबंधित अधिकारी के नियंत्रण कक्ष को भेजी जाएगी।

### 30. ग्राहक सेवा :

30.1 लाइसेंसधारी लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के किसी भी स्थान के किसी भी आवेदक से बिना किसी भेदभाव के टेलीफोन कनेक्शन संबंधी मांग/अनुरोध को पंजीकृत करेगा, जब तक लाइसेंसप्रदाता द्वारा अन्यथा निदेश न हो जाए। लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और समान वाणिज्यिक सिद्धांत पर सेवा उपलब्ध कराएगा तथा उसके लिए एक पारदर्शी, जांच के लिए खुली, प्रतीक्षा सूची को बनाए रखना अपेक्षित होगा। लाइसेंसधारी ऐसे उपभोक्ता(ओं) के साथ करार करते समय उपभोक्ता(ओं) को पास यह अधिकार है कि वह अन्य किसी कार्रवाई के अतिरिक्त उपयुक्त दंड, जो वित्तीय दंड तक सीमित नहीं होगा, लगा सकता है। लाइसेंसधारी विहित तरीके से पंजीकरण शुरू करने के पश्चात ही वाणिज्यिक आधार पर सेवा की शुरूआत करेगा। किसी क्षेत्र में सेवा आरंभ करने से पूर्व, लाइसेंसधारी को वह पता पंजीकृत कर सके। इस पते में किसी प्रकार के परिवर्तन को लाइसेंसधारी द्वारा विधिवत सूचित किया जाएगा।

बशर्ते इसमें निहित कोई बात, लाइसेंसधारी के अपने भावी उपभोक्ताओं संबंधी साख संबंधी योग्यता के अधिकार को प्रभावित और पूर्वाग्रहित नहीं करेगी।

30.2 लाइसेंसधारी सेवा प्रावधान को विस्तृत रूप से प्रचारित करेगा और लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र में मांग पंजीकरण को मना नहीं करेगा। यदि किसी आवेदक को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराना तकनीकी अथवा अन्य कारणों से लाइसेंसधारी के नियंत्रण के बाहर हो तो लाइसेंसधारी एक उचित समय के अंदर ऐसे मामलों में कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रयास करेगा।

30.3 जब तक लाइसेंसप्रदाता किसी भी कारण से लाइसेंस को रद्द अथवा निलंबित नहीं करता, लाइसेंसधारी अपने ग्राहकों को सेवा की निरंतरता को सुनिश्चित करेगा।

30.4 यह लाइसेंसधारी की जिम्मेवारी होगी कि सेवा के उपयोग के लिए अपने-अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करे अथवा बिल जारी करवाए। मदीकृत बिलिंग सूचना उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी ऐसे रिकार्ड्स को बनाए रखेगा। लाइसेंसधारी की बिलिंग व्यवस्था से समुचित विस्तृत बिलिंग सूचना उपलब्ध होगी जिससे बिल की वारतविकता के संबंध में ग्राहक की संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी निदेश लागू होंगे।

30.5 लाइसेंसधारी, जहां कहीं लागू हो, अपने ग्राहकों को नियमित मदीकृत बिलिंग सेवा (लंबी दूरी की कॉल के लिए) पेश करेगा। हर स्थिति में, लाइसेंसधारी अपने ग्राहकों के संबंध में जिम्मेवार होगा और इस संबंध में दायित्वों की पूर्णता को सुनिश्चित करेगा। लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता अथवा द्राई व्हारा समय-समय पर तिनिटीज्य बिलिंग चक्रों के आवश्यक रिकार्ड को भी बनाए रखेगा।

30.6 इस संबंध में ग्राहकों की सभी शिकायतें लाइसेंसप्रदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-चिर्णशों आदेशों अथवा विनियमों अथवा निदेशों के अनुसार संबोधित/निपटाई जाएगी।

30.7 लाइसेंसधारी के संविदाकृत दायित्वों (अन्य सेवाप्रदाताओं सहित विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाता जिन्हें भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस की जरूरत नहीं है) में, जिसमें वे शर्तें भी शामिल हैं जिनके अंतर्गत सेवा प्राप्त, उपयोग और रद्द भी की जा सकती है।

30.8 लाइसेंसधारी मरम्मत, दोष समाधान, क्षतिपूर्ति अथवा धन वापरी से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को लिखित रूप में अधिसूचित करेगा। इस संबंध में सभी शिकायतों का समाधान/निपटान लाइसेंसप्रदाता अथवा द्वाई द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों, आदेशों अथवा विनियमों अथवा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

30.9 सेवा के प्रावधान संबंधी कोई भी विवाद केवल पीड़ित पक्ष और लाइसेंसधारी के बीच का मामला होगा, लाइसेंसधारी को ये सभी बातें सेवा प्रदान करने से पहले सभी को सूचित करनी होंगी और लाइसेंसप्रदाता किसी भी मामले में किसी भी देयता अथवा उत्तरदायित्व का वहन नहीं करेगा। अतः लाइसेंसधारी सभी दावों, खर्चों, प्रभारों अथवा क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों में लाइसेंसप्रदाता को प्रतिपूर्ति से अलग रखेगा।

### **31. उपभोक्ता टर्मिनल (फिक्सड, मोबाइल टेलीफोन अथवा हैंडसेट) :**

31.1 लाइसेंसधारी के पास यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ता/मोबाइल टर्मिनलों की बिक्री, किराया खरीद, पट्रो और किराया संबंधी कार्य करें। उपभोक्ता के परिसर में टर्मिनल का समुचित उपयोग लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच हुए करार के अनुसार होगा।

32.2 यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी लाइसेंसधारी की होगी कि उपभोक्ता टर्मिनल का प्रचालन लाइसेंस और डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार हो रहा है। उपभोक्ता टर्मिनल में सिम कार्ड अहस्तांतरणीय है।

31.3 नेटवर्क में प्रयुक्त उपभोक्ता टर्मिनल आईटीयू/ईटीएसआई/टीईसी के संबंध में तथा अंतरराष्ट्रीय मानकीकृत निकाय जैसे अंतरराष्ट्रीय विख्यात एजेंसी से प्रमाणित प्रकार/प्रतिमान होगा और अनुमोदित कोई अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक होगा। इस करार के अंतर्गत केवल ऐसी श्रेणी की उपभोक्ता यूनिट जिसे ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया हो भारत में लाई और प्रचालित की जा सकती है।

31.4 उपर्युक्त खंड 31.3 के आधार पर उपभोक्ता अपने विकल्प पर किसी भी स्रोत से उपभोक्ता टर्मिनल प्राप्त कर सकता है।

### **32. लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व :**

32.1 यह लाइसेंस समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और द्वाई अधिनियम, 1997 अथवा इनके स्थान पर किसी अन्य संविधि द्वारा संचालित होगा।

32.2 लाइसेंसधारी जब कभी आवश्यक हो, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराएगा। इस लाइसेंस करार में कहीं भी

उपबंधित तथा विहित कुछ भी, भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा प्रभावी किसी अन्य कानून के उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित किसी भी चीज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

**33. स्वीकृत अभिगम सेवा प्रदाता (UASP) और किसी अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता के प्रचालन क्षेत्र में अवसंरचना का साझा उपयोग :**

लाइसेंसधारी द्वारा अवसंरचना के साझा उपयोग की इजाजत निम्नानुसार दी जाती है :

- (i) "निष्क्रिय" अवसंरचना जैसे भूमि, टावर, डार्क फाइबर इत्यादि के साझा प्रयोग की अनुमति है।
- (ii) अपने सेवा क्षेत्र के अंतर्गत अपने ख्यालों की अवसंरचना से अन्य लाइसेंसीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उनके प्रयोग के लिए (पुनः बिक्री की स्वीकृति नहीं है) प्लाइंट टू प्लाइंट बैंडविड्थ के प्रावधान की भी इजाजत है।
- (iii) अन्य लाइसेंसीकृत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा स्थित के साझा उपयोग की स्वीकृति है।

**34. रॉल आउट दायित्व :**

34.1 संस्थापना, सेवा प्रावधान के लिए आवश्यक उपस्करणों तथा सिरटमों की नेटवर्किंग और प्रचालन, उपभोक्ता शिकायतों का निपटान, अपने उपभोक्ताओं को बिल जारी करना, राजस्व के इसके हिस्सों का संकलन, इसके प्रचालनों से पैदा दावों और हजारों के निपटान की पूरी जिम्मेवारी लाइसेंसधारी की होगी।

**34.2(क) श्रेणी "क", "ख" और "ग" सेवा क्षेत्र के लाइसेंस (लाइसेंसों) के लिए लागू :**

लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि

- (i) पहले वर्ष में कम से कम 10% जिला मुख्यालयों को सुविधायुक्त किया जाएगा और लाइसेंस प्रभावी होने की तारीख से तीन वर्ष के अंदर 50% जिला मुख्यालयों को सुविधायुक्त किया जाएगा।
- (ii) लाइसेंसधारी को जिला मुख्यालयों के स्थान पर जिले में किसी अन्य कर्बे को सुविधायुक्त करने की भी इजाजत दी जाएगी।
- (iii) जिला मुख्यालय/कर्बे को सुविधायुक्त करने से अभिप्राय है कि स्थूनिसिपल सीमा के अंदर के कम से कम 90% क्षेत्र को अपेक्षित गलियां और निर्मित सुविधा मिले।
- (iv) लाइसेंस की प्रभावी होने की तारीख से जिला मुख्यालय को लिया जाएगा।
- (v) सुविधायुक्त किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/कर्बों की पंसंद और जिला मुख्यालयों/कर्बों में 50% से आगे का विस्तार लाइसेंसधारियों के अपने कारोबारी निणय पर निर्भर करता है।
- (vi) ग्रामीण क्षेत्रों को बाध्यकारी रूप से सुविधायुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

**34.2(ख) मैट्रो सेवा क्षेत्र लाइसेंस(सों) पर लागू :**

प्रभावी तारीख से 1 वर्ष के अंदर लाइसेंसधारी को 90% सेवा क्षेत्र गलियां और इन-बिलिंग कवरेज उपलब्ध कराना होगा।

### 35. परिनिर्धारित नुकसानी :

35.1 इस लाइसेंस में निर्धारित सेवा की समयावधि संबंधी प्रावधान को इस करार का सार समझा जाएगा और सेवा ऐसी निर्धारित समयावधि के अंदर शुरू हो जानी चाहिए। निर्धारित विहित तिथि में किसी विस्तार को मंजूर नहीं किया जाएगा। यदि लाइसेंसप्रदाता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना निर्धारित तारीख के बाद सेवा शुरू होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी शुरूआत पर परिनिर्धारित नुकसानी वसूली की जाएगी। सेवा शुरू होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर, ऐसी शुरूआत पर परिनिर्धारित नुकसानी वसूली की जाएगी। बशर्ते निर्धारित तिथि के 15 कलेंडर दिन बाद सेवा शुरू होती है तो लाइसेंसप्रदाता बिना परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली के सेवाएं स्वीकार करेगा।

35.2 यदि लाइसेंसधारी सेवा शुरू करने के लिए विहित अवधि के अंदर सेवा अथवा इसका कोई अंश (अर्थात् सेवा प्रदान करने में विफल अथवा अपेक्षित सुविधा मानदंड/नेटवर्क रॉल आउट दायित्व को पूरा करने में विफलता) शुरू नहीं कर पाता तो लाइसेंसप्रदाता पहले 13 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 5 लाख रु0 की दर से, अगले 13 सप्ताह के लिए 10 लाख रु0 की दर से और इसके पश्चात 26 सप्ताह के लिए 20 लाख रु0 की दर से परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करेगा जो कि अधिकतम 7 करोड़ रु0 होगी। परिनिर्धारित नुकसानी की गणना के लिए सप्ताह के हिस्से को पूरा सप्ताह समझा जाएगा। लाइसेंस करार की शर्तों के अंतर्गत 52 सप्ताह से अधिक का विलंब होने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सप्ताह से अभिप्राय सोमवार (आधी रात) से रविवार तक 7 कैलेंडर दिनों से है, जिसमें दोनों दिन शामिल हैं और परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली के लिए कोई भी अतिरिक्त दिन पूरे सप्ताह के रूप में गिना जाएगा।

### 36. निरीक्षण और संस्थापना की जांच :

36.1 लाइसेंसप्रदाता/ट्राई, यदि आवश्यक हो तो सेवा गुणवत्ता की जांच के लिए अपेक्षित सभी निष्पादन जांचों को भी करेगा। लाइसेंसधारी संस्थापित उपरकर संबंधी सभी आवश्यक साहित्य, ड्राईंग इत्यादि और लाइसेंसप्रदाता/ट्राई को जांच करने के लिए सभी उपकरण, जांच उपकरण और जांच दल के लिए अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी सेवा शुरू होने से एक महीने पहले निष्पादन जांचों की आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसप्रदाता द्वारा निष्पादन जांच करने की स्थिति में और कुछ सूची लाइसेंसप्रदाता को उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसप्रदाता द्वारा निष्पादन जांच करने की जिम्मेवारी पूर्णतया लाइसेंसधारी की कमियां पाए जाने पर, कमियों को सुधारने में हुई किसी भी देरी की जिम्मेवारी पूर्णतया लाइसेंसधारी की होगी।

36.2 बीएसएनएल/एमटीएनएल/अथवा अन्य सेवा प्रदाता के साथ प्रत्येक इंटरफेस की स्वीकृति जांच लाइसेंसधारी और शामिल अन्य पक्ष द्वारा आपसी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। अंतर्संयोजन जांच सारणी पर आपसी सहमति होगी।

## भाग-VI सुरक्षा स्थितियां

### **37. निरीक्षण का अधिकार :**

37.1 लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा विस्तार के लिए प्रयुक्त साइटों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को (विशेष रूप से परंतु जो इस तक सीमित नहीं है) लीजड लाइनों, जंकशनों, समापन इंटरफेसों, हार्डवेयर/सफ्टवेयर, सेमीकंडक्टरों की मेमोरी, चुंबकीय और आप्टिकल किस्मों, तारशुदा या वायरलेस विकल्पों, वितरण फ्रेमों तक अभिगम का अधिकार होगा और वे निष्पादन परीक्षण संचालित करेंगे जिसमें निवेश/निर्गत प्रणालियों या टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ संवाद करना शामिल है। लाइसेंसधारी प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जैसाकि लाइसेंसप्रदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांग की जाए। लाइसेंसप्रदाता सामान्यतः उपयुक्त नोटिस देने के बाद निरीक्षण करेगा, नोटिस सिर्फ उन परिस्थितियों में देने की जरूरत नहीं है जिनमें निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।

37.2 यह पता लगाने के लिए कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में कोई उल्लंघन किया है, लाइसेंसप्रदाता जहां कहीं उपयुक्त समझे स्वेच्छा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर सकता है और लाइसेंसप्रदाता ऐसी जांच में, बिना किसी रुकावट के सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

### **38. स्विचों की अवस्थिति :**

38.1 लाइसेंसधारी अनुरोध पर, लाइसेंसप्रदाता को स्विचिंग केंद्रों, ट्रांसमिशन केंद्रों का रूटिंग ब्योरा सहित अवस्थिति ब्योरा उपलब्ध कराएगा।

38.2 लाइसेंसप्रदाता द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सुरक्षा वृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में, लाइसेंसप्रदाता के अनुमोदन के बाद उपस्कर की किसी संस्थापना के कार्यान्वयन और प्रोजेक्ट का निष्पादन किया जाएगा।

### **39. सूचना की गोपनीयता :**

39.1 लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपस्कर नहीं लगाएगा। लाइसेंसधारी के विर्तिदृष्ट अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क पर लगने वाले किसी भी एन्क्रिप्शन उपस्कर को लगाने के लिए लाइसेंसप्रदाता या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी से पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करना होगा। तथापि, संचार की निजता की रक्षा करना और संदेश का अनधिकृत अंतरावरोधन न हो यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी की जिम्मेवारी होगी।

39.2 इन शर्तों में निहित स्थितियों के अध्यधीन लाइसेंसधारी तीसरे पक्ष और उसके व्यवसाय जिसको वह सेवा प्रदान करता है और जिससे उसने अपनी सेवा के माध्यम से सूचना प्राप्त की है, की सूचना संबंधी निजता और गोपनीयता की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और निम्नलिखित की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा :

(क) लाइसेंसधारी की ओर से कार्यरत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी ऐसी किसी भी सूचना का, जो तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान करने के संबंध में आवश्यक हो, के अलावा, खुलासा या उपयोग नहीं करेगा।

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी सूचना, जो तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान करने के प्रसंग में आवश्यक हो, के अलावा, को प्राप्त नहीं करेगा।

### परंतु उपर्युक्त पैरा वहां लागू नहीं होगा जहां :

(क) यह सूचना किसी पक्ष विशेष से संबंधित हो और उस पक्ष ने उस सूचना का खुलासा करने या उपयोग करने के संबंध में लिखित सहमति दे दी हो और ऐसी सूचना का उस सहमति के अनुसार खुलासा या उपयोग किया गया हो, अथवा

(ख) यह सूचना पहले ही सार्वजनिक हो और सबको मालूम हो।

39.3 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि लाइसेंसधारी, उसकी और से कार्य कर रहा कोई भी व्यक्ति और लाइसेंसधारी के समूह का कोई सदर्श्य (सहयोगी) और उनकी और से कार्य कर रहा कोई भी व्यक्ति ग्राहक की सूचना संबंधी गोपनीयता का अनुपालन करे।

39.4 लाइसेंसधारी, सेवा आरंभ करने से पूर्व, लाइसेंस प्रदाता को लिखित में यह पुष्टि करेगा कि लाइसेंसधारी ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर लिए हैं कि वह तथा उसके कर्मचारी ग्राहक की सूचना की गोपनीयता का अनुपालन कर रहे हैं।

### 40. लाइसेंसधारी के कतिपय कार्यों का निषेध :

40.1 लाइसेंसधारी यहां इस लाइसेंस के बल पर इस लाइसेंस करार में यथा परिभाषित सेवा को छोड़कर अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य नहीं करेगा।

40.2 किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा में निहित कोई भी बात लाइसेंसधारी को किसी भी प्रयोज्य प्रणाली से संबंधित विज्ञापन और प्रोत्साहनवर्धक कार्यकलापों में सलंगन होने से नहीं रोकती।

40.3 लाइसेंसधारी, देश के स्थापित कानूनों का पालन करते हुए अपने नेटवर्क से किसी भी रूप में विवादित, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय-वस्तु, संदेश और संचार जो कॉपीराइटर, बौद्धिक संपदा इत्यादि का उल्लंघन करता हो, को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघन संबंधी किसी विशिष्ट अवसर की एक बार लाइसेंसधारी को रिपोर्ट करने के बाद, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री का परिचालन तत्काल रोका जाए।

40.4 लाइसेंसधारी बिना किसी विलंब के अपने उपरकर और नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने वाले अशांति फैलाने वाले, कष्टप्रद या विद्वेषपूर्ण कॉलों, संदेशों या संचार का पता लगाने वाली सुविधाएं पुलिस, उत्पाद शुल्क, गुप्तचर विभाग के अधिकारियों आदि सहित भारत सरकार के अधिकृत अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जब ऐसी सूचना अपराधों की जांच या पता लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक हो। इस संबंध में लाइसेंसधारी की विफलता के कारण उत्पन्न किसी भी क्षति का भुगतान लाइसेंसधारी करेगा।

40.5 यदि कोई गोपनीय सूचना करार के समुचित कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारी को दी जाती है तो लाइसेंसधारी और इसके कर्मचारियों, एजेंटों तथा सेवकों के लिए इसकी गोपनीयता कायम रखना बाध्यकारी होगा।

#### **41. सुरक्षा संबंधी शर्तें :**

41.1 लाइसेंसधारी सरकार को निश्चित समय पर विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि जासूसी, विध्वंशात्मक क्रियाकलापों, तोड़फोड़ या किसी अन्य गैर कानूनी क्रियाकलाप को रोका जा सके।

41.2 लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मांग पर, तकनीकी छानबीन के लिए स्थिरिंग केंद्रों, ट्रांसमिशन केंद्रों, रुटों इत्यादि और निरीक्षण, दृश्य निरीक्षण और प्रचालन निरीक्षण के लिए पूरे साधन उपलब्ध कराएगा।

41.3 सभी विदेशी कार्मिक, जिन्हें लाइसेंसधारी के नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए, लाइसेंसधारी द्वारा तैनात किए जाने की संभावना है, को तैनाती से पहले सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रदान की जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो इस संबंध में मानक कस्टोटी अपनाएगा।

41.4 लाइसेंसधारी संचार की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संदेशों का अनाधिकृत अंतरावरोधन न हो।

41.5 लाइसेंसप्रदाता के पास इन शर्तों को आशोधित करने अथवा नई शर्तें शामिल करने का अधिकार होगा, यदि यह देश की सुरक्षा और जनहित में अथवा टेलीग्राफ के समुचित प्रावधान के लिए आवश्यक हो।

41.6 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई दूरसंचार संस्थापना सुरक्षा दृष्टि से जोखिम न हो और किसी संविधि, नियम अथवा विनियम और लोक नीति के विरुद्ध न हो।

41.7 सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसप्रदाता द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त उपयुक्त निगरानी उपस्कर लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार द्वारा ऐसी परिस्थितियों में जारी विशिष्ट ओदश और निदेश लागू होंगे।

41.8 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार सेवा क्षेत्र को परिभाषित करने के प्रयोजन से लाइसेंसधारी द्वारा भौगोलीय सीमाओं का यदि कोई सही चित्रण किया गया हो तो, उसे भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन चाहिए। भारत की स्थलीय सीमाएं, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा जारी मानचित्र में दिए गए अनुसार होंगी।

41.9(i) भारतीय भू-भाग के ऐसे क्षेत्र जहाँ लाइसेंसधारी(रियों) को बेतार/मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने की मंजूरी नहीं होगी, में बेतार/मोबाइल सेवा के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगता 500 मी० चौड़ा क्षेत्र "नो सर्विस जोन" होगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा के 500 मी० के अंदर सिगनल का प्रयोग न हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंसधारी अपेक्षित प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा और "नो सर्विस जोन" में कोई बेतार/मोबाइल सुविधा नहीं होगी।

41.9(ii) लाइसेंसधारी जहां कहीं लागू हो, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जम्मू कश्मीर और पठानकोट क्षेत्र के अखनूर क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगता 10 किमी0 का "बफर जोन" बनाएगा, जहां वह मोबाइल सेवाओं के लिए अपनी सेल साइट (साइटों)/बीटीएस(ओं)/रेडियो ट्रांसमीटर (ट्रांसमीटरों) को तैनात नहीं करेगा।

41.9(iii) लाइसेंसधारी (धारियों) द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 41.9(iii) लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) सहित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आवधिक सरप्राइज लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) सहित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आवधिक सरप्राइज चकिंग की जाएगी। यदि "नो सर्विस जोन" में मोबाइल सिग्नलों के उपयोग और/अथवा "बफर जोन" में सेल साइट (साइटों)/बीटीएस(ओं)/रेडियो ट्रांसमीटर (ट्रांसमीटरों) की तैनाती संबंधी किसी उल्लंघन का पता चलता है तो लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार वित्तीय शास्ति लगाने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी।

41.10 लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके नामिति के अतिरिक्त समय-समय पर लाइसेंसप्रदाता को बताए हुए केंद्रीय/राज्य सरकार के नामित व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह प्रत्येक एमएससी/एक्सचेंज के दूरसंचार ट्रैफिक अथवा लाइसेंसधारी द्वारा स्थापित नेटवर्क के किसी अन्य तकनीकी रूप से व्यवहार्य बिंदु की निगरानी कर सके। लाइसेंसधारी को इसके साथ-साथ, सरकारी सुरक्षा एजेंसियों की कॉल की निगरानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए। लाइसेंसधारी की ओर से हार्डवेयर और कॉल की निगरानी के लिए अपेक्षित साफ्टवेयर, को लाइसेंसधारी द्वारा अपनी लागत पर, अभियांत्रित, उपलब्ध/संस्थापित किया जाएगा। साफ्टवेयर, को लाइसेंसधारी द्वारा अपनी लागत पर, अभियांत्रित, उपलब्ध/संस्थापित किया जाएगा। पसंद पर उनके अपने परिसर में अथवा लाइसेंसधारी के परिसर में स्थापित होंगे की लागत, संबंधित सरकार पसंद पर उनके अपने परिसर में अथवा लाइसेंसधारी के परिसर में स्थापित होंगे की लागत, संबंधित सरकार वहन करेगी। यदि सुरक्षा एजेंसियां निगरानी की सुविधा के लिए लाइसेंसधारी के परिसर में उपस्कर लगाने की इच्छुक हैं तो लाइसेंसधारी इस संबंध में स्थल और प्राधिकृत सुरक्षा कार्मिकों की प्रविष्टि सहित सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। लाइसेंसप्रदाता द्वारा दोनों के लिए डाटा और स्पीच के लिए परिभाषित संबंध में लाइसेंसप्रदाता निदेश जारी कर सकता है। निगरानी कॉलों के साथ निम्नलिखित रिकार्ड भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए :

- (i) की गई कॉल/कॉलिंग पार्टी मोबाइल/पीएसटीएन क्रमांक
  - (ii) इंटरस्पशन का समय/तारीख और अवधि
  - (iii) लक्षित उपभोक्ताओं की जगह। इस समय लक्षित उपभोक्ताओं की जगह के लिए सेल आईडी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तथापि तकनीकी गतिविधियों और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के एकीकरण के आधार पर, जोकि लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी है, समय-समय पर जगह की वार्तविकता के संबंध में लाइसेंसप्रदाता निदेश जारी कर सकता है।
  - (iv) लक्षित उपभोक्ता द्वारा किया गया कॉल फारवर्डिंग टेलीफोन न0
  - (v) की गई किंतु संपन्न न हो पाने वाली कॉलों का डाटा रिकार्ड
  - (vi) रेमिंग में उपभोक्ता का कॉल डाटा रिकार्ड
- विनिर्दिष्ट अवधि में सिस्टम द्वारा नियंत्रित सभी विशेष कॉलों का, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जब कभी आवश्यक हो मांगा गया कॉल डाटा रिकार्ड लाइसेंसधारी को उपलब्ध कराना होगा।

41.11 सरकार उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा देश के कुछ क्षेत्रों में मोबाइल टर्मिनलों के उपयोग को बंद कर सकती है। लाइसेंसधारी नामित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में तत्काल और किसी भी स्थिति में, अनुरोध पर 6 घंटे के अंदर सेवा से इंकार कर सकता है। लाइसेंसधारी विशिष्ट क्षेत्र के अंदर मोबाइल टर्मिनल क्रियाकलाप की निगरानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा।

41.12 लाइसेंसधारी अपने नेटवर्क में भारी भरकम एन्क्रिप्शन उपरकर नहीं लगाएगा। लाइसेंसधारी को विर्तिदृष्ट अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क पर लगने वाले किसी भी एन्क्रिप्शन उपरकर को लाइसेंसप्रदाता या इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी से पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करना होगा। संचार की निजता की रक्षा और संदेश का अनाधिकृत अंतरावरोधन न हो, यह सुनिश्चित करना लाइसेंसधारी की जिम्मेवारी होगी।

41.13 लाइसेंसप्रदाता को भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी किसी निदेश के अनुसार आपात स्थिति में/युद्ध या कम प्रभाव डालने वाले संघर्ष या किसी अन्य घटना की स्थिति में लाइसेंसधारी (आंशिक रूप में अथवा सेवा क्षेत्र में समग्र रूप से) से सेवा, उपरकर और नेटवर्क को वापिस लेने का अधिकार है। ऐसी दशाओं के तहत भारत सरकार द्वारा जारी कोई विशिष्ट आदेश अथवा निदेश लाइसेंसधारी पर लागू होगा और उसका कठोरता से पालन किया जाएगा।

41.14 लाइसेंसधारी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ताओं की पूरी सूची उपलब्ध (पासवर्ड कंट्रोल सुविधा सहित) कराई जाएगी ताकि पासवर्ड की मदद से प्राधिकृत आसूचना एजेंसी किसी भी समय, सुविधानुसार उपभोक्ता सूची प्राप्त कर सके। सूची को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों को जब कभी आवश्यक हो हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। लाइसेंसधारी प्रत्येक ग्राहक का उपभोक्ता के रूप में पंजीकरण करने से पहले उचित सत्यापन भी सुनिश्चित करेगा और इस संबंध में समय-समय पर जारी लाइसेंसप्रदाता के अनुदेशों का सख्ती से पालन करेगा। प्रत्येक उपभोक्ता अपने खयं के प्रयोग के लिए यूजर टर्मिनल में प्रयुक्त सिम कार्ड अथवा हैंड-हल्ड सब्सक्राइबर टर्मिनल (जहां सिम कार्ड प्रयोग नहीं होते) के लिए पंजीकरण करेगा। लाइसेंसधारी उपभोक्ता को यह स्पष्ट कर देगा कि उसके नाम पंजीकृत सिम कार्ड अहस्तांतरणीय है और सेवा के उचित निजी प्रयोग के लिए वह खयं ही जिम्मेवार होगा।

41.15 एक ग्राहक को उपभोक्ता के रूप में पंजीकृत करने से पहले उसकी सूचना संबंधी अपेक्षित ब्योरा के लिए लाइसेंसप्रदाता द्वारा एक फार्मेट विहित किया जाएगा। सेवा उपलब्ध कराने से पहले उपभोक्ता की फोटो पहचान पूर्व-अपेक्षित होगी।

41.16 लाइसेंसधारी के उपभोक्ताओं संबंधी डाटाबेस के बारे में, लाइसेंसप्रदाता और उसके प्रतिनिधि(यों) की पहुंच होगी। लाइसेंसधारी अपने उपभोक्ताओं की सूची को अद्यतन करेगा और जैसा विहित हो लाइसेंसप्रदाता को वैसे अंतराल पर उपलब्ध कराएगा। लाइसेंसधारी किसी भी विहित मौके पर लाइसेंसप्रदाता अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं का ब्योरा उपलब्ध कराएगा।

41.17 लाइसेंसधारी नेटवर्क पर हुए संचार के आदान-प्रदान के संबंध में सभी वाणिज्यिक रिकार्ड को बनाए रखेगा। ऐसे रिकार्ड को लाइसेंसप्रदाता सुरक्षा कारणों से कम से कम एक वर्ष छानबीन के लिए रखेगा और शायद बाद में उसे नष्ट कर दे, जब तक लाइसेंसप्रदाता द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए।

41.18 कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (सीएलआई) उपलब्ध कराई जाएगी। नेटवर्क भी दुर्भावनापूर्ण कॉल की पहचान और सीएएमए के संबंध में सहायता प्रदान करेगा।

41.19 लाइसेंसधारी निम्नलिखित को सुनिश्चित/कार्यान्वित करेगा :-

(i) एक उपभोक्ता को एक स्थान पर अधिक संख्या में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराते समय बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु 10 या अधिक कनेक्शन को ज्यादा कनेक्शन समझा जाना

चाहिए। ऐसे ज्यादा कनेक्शन उपलब्ध कराते समय व्यक्ति का विशेष सत्यापन किया जाना चाहिए। ज्यादा कनेक्शन उपलब्ध कराने संबंधी सूचना संबंधित (वीटीएम) सेल, दूरसंचार विभाग, उप महानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग, और लाइसेंसप्रदाता द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों को मासिक आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

41.19(ii) उपभोक्ताओं द्वारा दिन और रात तथा विभिन्न टेलीफोन नॉ पर की गई ज्यादातर आउटगोइंग कॉल का ब्योरा रखा जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलों में इनकमिंग कॉल का ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसा इस प्रयोजन हेतु एक विशेष कार्यक्रम चला कर किया जा सकता है। सेवाप्रदाता को समुचित धोखाधड़ी प्रबंधन और निवारक कार्यक्रम चलाने चाहिए तथा टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली मिनट की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए और प्रयोग की अधिकतम सीमा पार करने वाले सभी टेलीफोन कनेक्शन पर सदाशय प्रयोग हेतु निगरानी रखनी चाहिए। इस जांच का रिकार्ड बनाए रखना लाइसेंसप्रदाता द्वारा किसी भी समय जांचा जा सके। संदिग्ध उपभोक्ताओं की सूची/ब्योरा की चाहिए, जिसे लाइसेंसप्रदाता द्वारा किसी भी समय जांचा जा सके। संदिग्ध उपभोक्ताओं की सूची/ब्योरा की सूचना संबंधित (वीटीएम) सेल, दूरसंचार विभाग, उप महानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग और लाइसेंसप्रदाता द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को दी जाए।

41.19(iii) गुप्त/गैर कानूनी दूरसंचार सुविधाओं का पता लगाने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार विभाग की संबंधित वीटीएम सेल को सक्रिय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से, प्रत्येक लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के संबंध में दूरसंचार की निगरानी के लिए गुप्तचर एजेंसियों को भेजे जाने वाले नोडल अधिकारियों और वैकल्पिक नोडल अधिकारियों के नाम दूरसंचार विभाग की संबंधित (वीटीएम) सेल, उप महानिदेशक (सुरक्षा), दूरसंचार विभाग और दूरसंचार विभाग की अभिगम सेवा सेल को भी भेजे जाने चाहिए। दूरसंचार विभाग का वीटीएम सेल नोडल अधिकारी/वैकल्पिक नोडल अधिकारी से संपर्क जाने चाहिए। दूरसंचार विभाग का वीटीएम सेल नोडल अधिकारी/वैकल्पिक नोडल अधिकारी के उपलब्ध न होने के मामले में, करेगा और जब तक ऐसा नामांकन प्राप्त नहीं होता अथवा ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने के मामले में, वीटीएम सेल ऐसी सहायता/समन्वय के लिए लाइसेंसधारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संपर्क करेगा।

41.19(iv) कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (सीएलआई) के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा कारणों से भी इसकी आवश्यकता होती है और इस संबंध में कोई भी उल्लंघन सुरक्षा की अवमानना होगी। आमतौर पर, उपभोक्ताओं को सीएलआई रिस्ट्रक्शन उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। इस सुविधा को उपलब्ध कराने से पहले सीएलआईआर मांगने संबंधी कारणों की समुचित जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। यह सेवाप्रदाता की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने स्टाफ के सदस्यों को इस सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के संबंध में उचित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहे। सीएलआईआर प्राप्त उपभोक्ताओं के नाम की सूची, उनके पूरे पते और ब्योरे सहित एक पासवर्ड संरक्षित वेबसाइट पर होनी चाहिए ताकि प्राधिकृत सरकारी एजेंसियां दूरुपयोग की जांच और अन्वेषण के लिए उन्हें देख और डाउनलोड कर सकें। तथापि, ज्यादा कनेक्शनों, कॉल सेंटर, टेलीमार्केटिंग सेवाओं के संबंध में सीएलआईआर उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।

41.19(v) ऐसी सुविधाओं के सदाशयी प्रयोग के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए सेवाप्रदाताओं द्वारा नियमित अंतराल पर अधिक संख्या में प्रयोग करने वालों के परिसरों की जांच की जानी चाहिए। लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण के मानित अधिकारी द्वारा जांच/सत्यापन के लिए ऐसे निरीक्षण का रिकार्ड कम से कम एक वर्ष के लिए रखा जाना चाहिए।

41.19(vi) पट्टेशुदा सर्किटों की भी उनके सदाशयी प्रयोग और किसी दुरुपयोग का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए।

41.20 लाइसेंसधारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए :

- (i) तकनीकी नेटवर्क प्रचालनों के मुख्य प्रभारी अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी को निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- (ii) अवसंरचना/नेटवर्क रूपरेखा (नेटवर्क का तकनीकी ब्योरा) का ब्योरा केवल जरूरत के आधार पर ही दूरसंचार उपरकर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसीकृत कंपनियों से जुड़े/मूल निकायों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि किसी अन्य को ऐसी सूचना उपलब्ध करानी हो तो लाइसेंसप्रदाता (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) से निकासी प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।
- (iii) सुरक्षा कारणों से, लाइसेंसप्रदाता द्वारा चिह्नित/विर्निदिष्ट ऐसे निकायों के घरेलू परियात भारत से बाहर किसी रथान पर ले जाना/अंतरित नहीं करेंगे।
- (iv) लाइसेंसीकृत कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए, कि उपभोक्ता द्वारा एक नेटवर्क से संप्रेषित सूचना सुरक्षित और संरक्षित है, समयानुसार उपयुक्त कदम उठाएगा।
- (v) लाइसेंसीकृत कंपनी के गैर कानूनी अंतरावरोधन संदेशों से जुड़े अधिकारी/कार्मिक निवासी भारतीय नागरिक होंगे।
- (vi) लाइसेंसीकृत कंपनी के बोर्ड में बहुसंख्यक निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।
- (vii) अध्यक्ष, प्रबंधक निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/अथवा मुख्य वित्त अधिकारी पदों, यदि उन्हें विदेशी नागरिक धारित किए हों, के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा जांच करानी होगी। सुरक्षा जांच आवधिक रूप से अथवा वार्षिक आधार पर अपेक्षित होगी। यदि सुरक्षा जांच के दौरान कुछ प्रतिकूल पाया जाता है तो गृह मंत्रालय का निदेश लाइसेंसधारी पर बाध्यकारी होगा।
- (viii) लाइसेंसधारी निम्नलिखित सूचनाओं को भारत के बाहर किसी व्यक्ति/रथान को अंतरित नहीं करेगा:
  - (क) उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखांकन सूचना (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग के अलावा) (नोट : यह सांविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय रूपरेखा की सामग्री के प्रकटीकरण को प्रतिबंधित नहीं करता); और
  - (ख) प्रयोक्ता सूचना (रोमिंग के दौरान भारतीय प्रचालक के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं संबंधी सूचना के अतिरिक्त)
- (ix) लाइसेंसधारी को अपने उपभोक्ताओं की पता लगाने योग्य पहचान उपलब्ध करानी होगी। तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग उपभोक्ताओं को सेवा उपलब्ध कराने के मामले में, भारतीय कंपनी रोमिंग करार के हिस्से के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग उपभोक्ताओं की पता लगाने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- (x) लाइसेंसप्रदाता अथवा लाइसेंसप्रदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर, लाइसेंसधारी एक निश्चित समय बिंदु पर किसी उपभोक्ता की भौगोलिक स्थिति (बीटीएस स्थिति) उपलब्ध कराएगा।
- (xi) भारत में अनुमोदित स्थल(लों) के माध्यम से विदेश के केवल अनुमोदित स्थल(लों) को ही नेटवर्क का रिमोट अभिगम उपलब्ध कराया जाएगा। सुरक्षा एजेंसियों से विचास-विमर्श कर, लाइसेंसप्रदाता (दूरसंचार विभाग) स्थल(लों) के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा।
- (xii) किसी भी स्थिति में, आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और संबंध (संबंधितों) को किसी रिमोट अभिगम द्वारा, लाइसेंसप्रदाता द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विधिपरक अंतरावरोधन व्यवस्था (एलआईएस), विधिपरक अंतरावरोधन निगरानी (एलआईएम), परियात का कॉल ब्योरा और ऐसे किसी संवेदनशील सेक्टर/डाटा तक पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

- (xiii) लाइसेंसीकृत कंपनी को सामग्री की निगरानी के लिए रिमोट अभिगम सुविधा प्रयोग करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
  - (xiv) भारत की ओर से नामित सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसप्रदाता को उपयुक्त तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिनमें निगरानी के प्रयोजन हेतु रिमोट अभिगम सूचना की नमूना इमेज ऑन लाइन उपलब्ध होनी चाहिए।
  - (xv) भारत में प्रचालित नेटवर्क संबंधी रिमोट अभिगम क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा परीक्षा ब्योरा छह माह की अवधि के लिए रखा जाना चाहिए और अनुरोध करने पर लाइसेंसप्रदाता अथवा लाइसेंसप्रदाता द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी को उपलब्ध कराना चाहिए।
  - (xvi) लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि केंद्रीयकृत अवस्थिति से विधिप्रक्रिया अंतरावरोधन और निगरानी के लिए उनके उपस्कर में आवश्यक प्रावधान (हार्डवेयर/साप्टवेयर) उपलब्ध हैं।
  - (xvii) लाइसेंसधारी अपने सिस्टमों के प्रासंगिक प्रचालनों/विशेषताओं के संबंध में सतर्कता तकनीकी निगरानी (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी अधिकारियों/कार्मिकों को परिचित/प्रशिक्षित करेगा।
  - (xviii) लाइसेंसप्रदाता के पास यह विकल्प रहेगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील किसी क्षेत्र में, लाइसेंसीकृत कंपनी को प्रचालन से रोक सकता है।
  - (xix) वॉयस और डाटा की निजता को बनाए रखने के संबंध में निगरानी, इस संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत नियमावली के अनुसार होगी।
  - (xx) परियात की निगरानी के लिए, लाइसेंसीकृत कंपनी अपने नेटवर्क और अन्य सुविधाओं सहित लेखा परिस्कारों को सुरक्षा एजेंसियों को मुहैया कराएगा।

#### 42. भारतीय तार अधिनियम का उपयोग :

42. भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 को लागू करने और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी तरीके अपनाएंगा। सेवा, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय तार नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

42.2 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों के अनुसार लाइसेंसप्रदाता द्वारा सूचित केंद्र/राज्य सरकार के नामित प्राधिकारियों को समय-समय पर अपने नेटवर्क के माध्यम से संदेश के अंतरावरोधन के लिए लाइसेंसधारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

भाजतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) निम्नानुसार है :

"किसी लोक आपातकाल अथवा लोक सुरक्षा की दृष्टि की स्थिति में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की ओर से विशेष तौर पर प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि सहमत हो कि, किसी टेलीग्राफ द्वारा ट्रांसमिशन के लिए लाया गया अथवा ट्रांसमिटिड अथवा प्राप्त कोई संदेश भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा, बाह्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था अथवा वर्ग विशेष के किस अपराध को उकसाने वाले अथवा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग से प्राप्त अथवा संप्रेषित कोई संदेश अथवा किसी विषय विशेष से संबंधित किसी संदेश को, यह आवश्यक समझे अथवा ऐसा शीघ्र करना आवश्यक हो कि इसे ट्रांसमिटिड नहीं किया जाएगा अथवा इसे रोका जाए अथवा सरकार को अथवा अधिकारी को आदेश के संबंध में बताया जाए।

बशर्ते केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रत्यायित संवाददाता द्वारा भारत में प्रकाशन के लिए भेजे गए प्रेस संदेश को जब तक इस उपधारा के अंतर्गत उनके ट्रांसमिशन को निषेध न कर दिया जाए, अंतरावरोधित अथवा रोका नहीं जाएगा।"

**43. फ्रीक्वेंसी अनुज्ञाप्ति :**

43.1 डब्ल्यूपीसी रकंध, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की ओर से एक अलग से विशिष्ट अनुज्ञाप्ति और लाइसेंस (जिसे इसके पश्चात डब्ल्यूपीसी रकंध कहा जाएगा) अपेक्षित होगा जो उक्त अनुज्ञाप्ति और लाइसेंस (जिसे इसके पश्चात डब्ल्यूपीसी रकंध कहा जाएगा) अपेक्षित होगा जो उक्त अनुज्ञाप्ति और लाइसेंस की भुगतान सहित विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत एकीकृत अभिगम सेवा के लाइसेंस करार डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की भुगतान सहित विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत एकीकृत अभिगम सेवा के लाइसेंस करार के अधीन दूरसंचार सेवा के बेतार अवयवों की स्थापना और कब्जा और प्रचालन के लिए उपयुक्त फ्रीक्वेंसी/बैंड के उपयोग की मंजूरी देगा। अनुज्ञाप्ति और डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की ऐसी मंजूरी सामान्य नियमावली, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी और इसमें शामिल आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर आधारित होगी।

43.2 इस प्रयोजन हेतु, डब्ल्यूपीसी रकंध से उपलब्ध एक विहित आवेदन प्रपत्र में "बेतार सलाहकार, भारत सरकार, डब्ल्यूपीसी रकंध, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, संचार भवन, नई दिल्ली-110001" को अलग से एक आवेदन भेजा जाएगा।

43.3 फीकर्ड स्टेशनों और इनके एंटीना मास्ट के संबंध में डब्ल्यूपीसी रकंध से स्थल का निकासी प्रमाण पत्र लेना होगा जिसके लिए आवेदनकर्ता एक विहित आवेदन प्रपत्र में अलग से सचिव, फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) को निम्नलिखित पते पर आवेदन भेजेंगे :

सचिव (एसएसीएफए), डब्ल्यूपीसी रकंध,  
संचार मंत्रालय,  
दूरसंचार विभाग,  
संचार भवन,  
नई दिल्ली-110001.

**व्याख्या :** फ्रीक्वेंसी आबंटन और अन्य संबंधित मुद्दों/विषयों में समन्वय के संबंध में विषयों पर बातचीत करने के लिए संचार मंत्रालय में एसएसीएफए एक शीर्ष निकाय है। साइट निकासी प्रमाण पत्र से अभिप्राय मुख्य बेतार प्रयोक्ताओं के करार से है जो कि अन्य रेडियो सिस्टम वायु जोखिमों के साथ तुलना की दृष्टि से प्रस्तावित फीकर्ड एंटीना की अवस्थिति के संबंध में है। इसके लिए अंतर-विभागीय समन्वय की जरूरत है और यह एक अंतर्गत प्रक्रिया है। आमतौर पर साइट निकासी प्रमाण पत्र प्रक्रिया में एंटीना/मास्ट की संरक्षणा और ऊंचाई की प्रकृति के आधार पर दो से छह महीने लगते हैं।

43.4 विभिन्न प्लाइट टू प्लाइट रेडियो लिंक की स्थापना के लिए विभिन्न एजेंसियों को विहित फ्रीक्वेंसी बैंड, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (इसके पश्चात एनएफएपी-2002 कहलाएगी) में दिए गए हैं। केवल बैंड का संकेत ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की गारंटी नहीं है, इसे मामला दर मामला आधार पर समन्वित किया जाएगा।

43.5 उपलब्धता और समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्पेक्ट्रम आबंटन और फ्रीक्वेंसी बैंड निम्नानुसार होंगे :

43.5(i) उपभोक्ता अभिगम नेटवर्क में बेतार प्रचालन के लिए फ्रीक्वेंसी का आबंटन दूरसंचार विभाग की डब्ल्यूपीसी रकंध द्वारा प्रदान किया जाएगा जो कि लागू राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना और विभिन्न

प्रयोक्ताओं के बीच समन्वय के आधार पर चिह्नित प्रीक्वेंसी बैंड में से दी जाएगी। शुरूआत में टीडीएमए आधारित सिस्टम के मामले में अधिकतम संचयी आबंटन  $4.4 \text{ मेगाहर्ट्ज} + 4.4 \text{ मेगाहर्ट्ज}$  तक, सीडीएमए आधारित सिस्टम के मामले में 200 किलो हर्टज प्रति कैरियर अथवा 30 किलो हर्टज प्रति कैरियर की दर से अथवा अधिकतम  $2.5 \text{ मेगाहर्ट्ज} + 2.5 \text{ मेगाहर्ट्ज}$  और मामला दर मामला उपलब्धता के आधार पर  $1.25 \text{ मेगाहर्ट्ज}$  प्रति कैरियर की दर से आबंटन किया जाएगा। जबकि सुविधाजनक रूप से बड़े हिस्से को उपलब्ध मेगाहर्ट्ज प्रति कैरियर की दर से प्रयास किया जाएगा फिर भी आबंटित प्रीक्वेंसी संचयी रूप में और सभी मामलों में समान अथवा कराने का प्रयास किया जाएगा। लाइसेंस के अंतर्गत सेवाओं के रॉल आउट के लिए उपयुक्त पूरे सेवा क्षेत्र के अंदर हो जरूरी नहीं है। लाइसेंस के अंतर्गत सेवाओं के रॉल आउट के लिए उपयुक्त प्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए, लागू किए जाने वाले सिस्टम का/के प्रकार दिया जाना चाहिए।

43.5(ii) सभी प्रकार के परियात/दिशानिर्देशों/समय-समय पर विहित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए, पहले से आवंटित स्पेक्ट्रम का ईष्टतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के बाद, उपर्युक्त अनुबंध के अलावा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आबंटन पर भी विचार किया जा सकता है। तथापि, किसी नए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारी को सीडीएमए सिस्टम के संबंध में अधिकतम  $5 + 5 \text{ मेगाहर्ट्ज}$  अथवा टीडीएमए आधारित सिस्टम के लिए अधिकतम  $6.2 + 6.2 \text{ मेगाहर्ट्ज}$  का ही आंवटन किया जाएगा। स्पेक्ट्रम 824 - 844 मेगाहर्ट्ज का पेयर 869 - 889 मेगाहर्ट्ज के साथ, 890 - 915 मेगाहर्ट्ज का पेयर 935-960 मेगाहर्ट्ज के मेगाहर्ट्ज का पेयर 1710 - 1785 मेगाहर्ट्ज का पेयर 1805 - 1880 के साथ, के रूप में आबंटित किया जाएगा। साथ, 1710 - 1785 मेगाहर्ट्ज का पेयर 1805 - 1880 के साथ, के रूप में आबंटित किया जाएगा।

43.5(iii) किसी नए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंसधारी की स्थिति में माइक्रो - सेल्युलर आर्टिटेक्चर आधारित सिस्टम के लिए समर्पित कैरियर के लिए 1880 - 1890 मेगाहर्ट्ज बैंड, सीडीएमए सिस्टम के संबंध में अधिकतम  $3.75 + 3.75 \text{ मेगाहर्ट्ज}$  अथवा टीडीएमए सिस्टम के संबंध में  $4.4 + 4.4 \text{ मेगाहर्ट्ज}$  आबंटित किया जाएगा।

43.5(iv) लाइसेंसप्रदाता के पास यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताएं किसी भी समय स्पेक्ट्रम की मात्रा सहित स्पेक्ट्रम के आबंटन की प्रक्रिया को आशोधित और/अथवा संशोधित कर सकता है।

43.6 लाइसेंसधारी रेडियो स्पेक्ट्रम के अन्य प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के लिए कष्टकारक अंतरावरोधन का कारण नहीं बनेगा अथवा कारण की इजाजत नहीं देगा। अन्य प्रयोक्ताओं के लिए कष्टकारक अंतरावरोधन को समाप्त करने के लिए लाइसेंसधारी सरकार द्वारा जारी सभी अनुदेशों और आदेशों का पालन करेगा।

43.7 लाइसेंसप्रदाता/बेतार आयोजना और समन्वय रक्खंद/ट्राई को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंस प्राधिकृत स्पेक्ट्रम प्रयोक्ताओं के साथ समय-समय पर तकनीकी पहलु से संरक्षण कर सके।

43.8 उपग्रह मीडिया के माध्यम से लाइसेंसधारी द्वारा बैंड के प्रावधान के संबंध में लाइसेंसधारी उपग्रह संचार प्रणाली, वीएसएटी प्रणाली इत्यादि विषय पर प्रचलित सरकारी आदेशों, नियमों और निदेशों का पालन करेगा।

43.9 रथलीय भू-भाग के प्रयोग और भू-केंद्र इत्यादि की स्थापना और प्रचालन के लिए लाइसेंसधारी एसएलएफए निकासी प्रमाण पत्र और अन्य प्राधिकरणों से निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अलावा सीधे नेटवर्क प्रचालन और नियंत्रण केंद्र (एनओसीसी) से समन्वय करेगा और निकासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

## शब्दों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषा

जब तक विषय-वरतु के लिए अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रयुक्त किए गए विभिन्न शब्दों और अभिव्यक्तियों के लिए नियत किए गए अर्थ निम्नलिखित पैराग्राफ में दिए अर्थों के अनुसार होंगे :

- 1. प्रयोज्य प्रणालियां:** "प्रयोज्य प्रणालियों" से आशय लाइसेंस करार की प्रचालन संबंधी, तकनीकी और गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं तथा अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करने के लिए संगत आईटीयू मानकों, आईटीयू-टी, आईटीयू-आर की सिफारिशों, टीईसी के विनिर्देशों और अंतर-राष्ट्रीय मानकीकरण निकायों जैसे 3जीपीपी/3जीपीपी-2/ईटीएसआई/आईईटीएफ/एएनएसआई/ईआईए/टीआईए/आईएस के मानकों को पूरा करने की दृष्टि से निर्मित नेटवर्क के समर्त आवश्यक उपरकरों, प्रणालियों/उप प्रणालियों और संघटकों से है।
- 2. लेखा परीक्षक** से आशय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के प्रयोजनार्थ तथा इसके अनुरूप अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक से है।
- 3. बेस स्टेशन** से आशय एक स्थिर रेडियो ट्रांसमीटर/रिसीवर स्टेशन से है जो मोबाइल टेलीफोन स्टेशन और मोबाइल स्विचिंग सेंटर (एमएससी) के बीच का संपर्क स्थापित करता है।
- 4. बेस स्टेशन कंट्रोलर अथवा बीएससी** से आशय बेस स्टेशनों के किसी समूह पर नियंत्रण रखने और निश्चित पारेषण माध्यम के जरिए ऐसे बेस स्टेशनों से संपर्क रखने वाले एक नेटवर्क घटक से है।
- 5. बीएसएनएल** से आशय भारत संचार निगम लिमिटेड और/अथवा इसके उत्तराधिकारियों से है।
- 6. सेल** से आशय किसी भौगोलिक क्षेत्र को वायरलैस टेलीग्राफी की सेवा प्रदान करने वाले ऐसे स्टेशन से है जो ऐसे संदेशों को पारेषित करने अथवा प्राप्त करने के लिए समर्पित है जोकि उसके क्षेत्र में तैयार की गई अथवा अपनाई गई और चालू रहने के दौरान इस क्षेत्र में अस्थायी तौर पर अवस्थित किए जाने के दौरान इस्तेमाल किए जाने में सक्षम दूरसंचार प्रणालियों द्वारा भेजे गए हों अथवा भेजे जाने हों।
- 7. सेल्युलर दूरसंचार प्रणाली** से आशय एक दूरसंचार प्रणाली से है जिसमें :

  - (i) जिस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसे अनेक सेलों में विभाजित किया जाता है ;
  - (ii) प्रणाली में समाविष्ट वायरलैस टेलीग्राफी के स्टेशनों पर एक सेंट्रल प्रोसेसर द्वारा स्वतः नियंत्रण रखा जाता है।
  - (iii) प्रणाली में समाविष्ट वायरलैस टेलीग्राफी से दूरसंचार प्रणालियों के लिए स्टेशनों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रेडियो फ्रीक्वेंसियों, जिनको चालू रहने के दौरान इस्तेमाल किए जाने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है अथवा अपनाया गया है, का आबंटन स्वतः हो जाता है।
  - (iv) चालू रहने के दौरान सेल से सेल को प्रेषित किए जा रहे संदेशों के संवहन के दौरान उनके पारेषण अथवा प्राप्ति करते समय इस्तेमाल किए जाने में सक्षम बनाने हेतु तैयार की गई अथवा अपनाई गई दूरसंचार प्रणाली के कार्य करने के समय संदेश का संवहन स्वतः हैंडेड-आफ होता है ; और

(v) वायरलेस टेलीग्राफी के स्टेशनों के उत्सर्जन की शक्ति स्वतः नियंत्रित होती है ताकि तकनीकी रूप से यथा संभव यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायरलैस टेलीग्राफी का प्रत्येक स्टेशन केवल उसी सेल में कारगर रूप से सेवाएं प्रदान कर सके जिसमें वह अवस्थित है।

8. "संपर्कसाध्य (कनेक्टेबल) प्रणाली" से आशय ऐसी दूरसंचार प्रणाली से है जिसे सार्वजनिक दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस के तहत प्राधिकृत किया जाता है और प्रयोज्य प्रणाली से जोड़े जाने के लिए प्राधिकृत होती है।

9. "सेवा चालू करने" से आशय समस्त आवश्यक उपस्करों का संरक्षण करना और उपभोक्ताओं को सेवा की पेशकश करना है ताकि विहित किए गए निष्पादन रॉल-आउट दायित्वों को पूरा किया जा सके।

10. "ग्राहक" के अंतर्गत कोई उपभोक्ता अथवा कोई व्यक्ति अथवा विधिक संस्था शामिल है जो लाइसेंसधारक को शुल्क देता है/उससे सेवाएं प्राप्त करता है।

11. "पदनामित प्राधिकरण" वह संस्था है जिसे लाइसेंस प्रदाता द्वारा अनुदेश जारी करने तथा उनका अनुपालन करवाने के लिए प्राधिकृत किया गया है अथवा अधिकार प्रदान किया गया है।

12. सीधी एक्सचेंज लाइन (डीईएल) उपभोक्ता के टर्मिनल उपस्कर और टर्मिनल एक्सचेंज के बीच का टेलीफोन कनेक्शन।

13. विवाद समाधान : भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, यदि इस करार के उपबंधों के कारण अथवा उनके संबंध में लाइसेंसधारक और लाइसेंस प्रदाता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवादों का निपटान दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण में किया जाएगा। द्वाई अधिनियम, 1997 में किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन अथवा प्रतिस्थापन किए जाने की स्थिति में, इस प्रकार परिवर्तित उपबंध उक्त विवाद के अधिनिर्णय हेतु लागू होंगे।

14. "डीओटी" से आशय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार है जो लाइसेंस प्रदाता भी है। लाइसेंस करार में जहां भी डीओटी और लाइसेंस प्रदाता का प्रयोग किया गया है उन्हें एक-दूसरे के स्थान पर रखा जा सकता है।

15. "प्रभावी तारीख" : प्रभावी तारीख वह तारीख है जो इस लाइसेंस करार में विनिर्दिष्ट की गई है।

16. आपात स्थिति से आशय बड़ी दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं और ऐसी घटनाओं, जिनमें टॉक्सिक अथवा रेडियो एक्टिव सामग्री शामिल है, सहित किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से है।

17. किसी स्थान से संबंधित आपातकालीन सेवाओं से आशय उस स्थान के लिए संबंधित सार्वजनिक, पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस तथा तटरक्षक सेवाओं से है।

18. इंजीनियरिंग : सेवा के विनिर्दिष्ट ग्रेड (जीओएस) को पूरा करने के लिए नेटवर्क संसाधन प्रदान करने की दृष्टि से परिमापीय नियमों का तकनीकी अनुप्रयोग और उसके परिणाम।

19. "प्रवेश शुल्क" निर्धारित शुल्क की वह अप्रतिदेय राशि है जिसका भुगतान किसी सेवा क्षेत्र में एकीकृत अभिगम सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व करना होता है।

20. "मूलभूत योजना" में दूरसंचार विभाग द्वारा जारी और समय-समय पर यथा संशोधित नंबरिंग प्लान, ट्रैफिक रूटिंग और स्विचिंग प्लान तथा ट्रांसमीशन प्लान को शामिल किया गया है।

21. "गेटवे मोबाइल स्विचन केंद्र" से आशय अतिरिक्त कार्यात्मकता वाले ऐसे मोबाइल स्विचन केंद्र से है जिसकी सहायता से एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से इंटरफेस करता है।

22. "सकल राजस्व" : सकल राजस्व में व्यय आदि की संबंधित मद के लिए किसी मद को शामिल किए बिना संस्थापना प्रभारों, विलंब शुल्क, हैंड सेटों (अथवा किसी अन्य टर्मिनल उपस्कर आदि) की बिक्री से हुई आय, ब्याज के कारण प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्द्धित सेवाओं, पूरक सेवाओं, एक्सेस अथवा इंटरकनेक्शन प्रभारों, रोमिंग प्रभारों, अवसंरचना की अनुमत्य भागीदारी से प्राप्त राजस्व और कोई अन्य विविध राजस्व शामिल होगा।

समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को एजीआर के परिकलन हेतु सकल राजस्व में से निकाल दिया जाएगा :

- i. भारत के भीतर अन्य योग्य/पात्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तविक रूप से अदा किए गए पीएसटीएन संबंधी कॉल प्रभार (अभिगम प्रभार)
- ii. अन्य योग्य/पात्र दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तविक रूप से हस्तांतरित रोमिंग राजस्व
- iii. सेवा प्रदान करने के लिए सेवा कर तथा सरकार को वास्तव में भुगतान किया गया विक्रय कर यदि सकल राजस्व को विक्रय कर और सेवा कर के घटक के रूप में शामिल किया गया है।

23. "अवसंरचना प्रदाता" से आशय ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है जो डार्क फाइबर्स, राइट-ऑफ-वे, डक्ट स्पेस, टावर्स आदि सहित दूरसंचार नेटवर्क के निष्क्रिय घटक प्रदान करते हैं और साथ ही अन्य सेवा प्रदाताओं को एक छोर से दूसरे छोर तक बैंड विड्थ प्रदान करते हैं।

24. "संरक्षित क्षमता" से आशय लाइनों की कुल संख्या से है जिसके लिए उपभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान करने हेतु एक्सचेंज में स्विचन उपस्कर उपलब्ध है।

25. "इंटरकनेक्शन" का आशय वही है जैसा कि इसके संबंध में ट्राई द्वारा जारी किए गए इसके विनियमों के तहत परिभाषित किया गया है।

26. "अंतर राष्ट्रीय सेवाओं" से आशय ऐसी दूरसंचार सेवाओं से है जो देश के भीतर से की जाती हैं और देश के बाहर टर्मिनेट होती हैं।

27. "अंतर सेवा क्षेत्र परियात" से आशय लंबी दूरी के ऐसे परियात से है जो एक दूरसंचार सेवा क्षेत्र से उत्पन्न होता है तथा दूसरे दूरसंचार सेवा क्षेत्र में टर्मिनेट होता है।

28. "अंतरा सेवा क्षेत्र परियात" से आशय लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र के सीमा-क्षेत्र के भीतर से उत्पन्न होने वाले और इसी के भीतर टर्मिनेट होने वाले लंबी दूरी के परियात से हैं।

29. "उधारदाता" से आशय त्रिपक्षीय करार की अनुसूची में उल्लिखित पक्षकारों से और इसमें वित्त पोषण करने वाले किसी सिंडिकेट/भागीदारी में किसी सिंडिकेट सदस्य अथवा भागीदार उधारदाता को शामिल किया जाता है।

30. "लाइसेंस" : लाइसेंस से आशय भारतीय तार अधिनियम की धारा 4 और भारतीय बेतार अधिनियम 1933 के तहत प्रदान किए गए अथवा इनके अधीन प्रदान किए जाने का प्रभाव रखने वाले लाइसेंस से है।

31. "लाइसेंस शुल्क" से आशय लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस की अवधि के लिए निर्धारित अंतरालों और दरों पर भुगतान किए जाने वाले शुल्क से है।

32. "लाइसेंसधारक" : एक ऐसी पंजीकृत भारतीय कंपनी जिसे विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र के भौगोलिक सीमा क्षेत्र के भीतर सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

33. "स्थानीय कॉलों" से आशय ऐसी कॉलों से है जो एक ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर से की जाती है और इसी के भीतर टर्मिनेट होती है जिनको स्थानीय काल प्रभार की दरों पर प्रभारित किया जाता है और जिन रिमोट सब्सक्राइबर्स यूनिट (आरएसयू)/रिमोट लाइन यूनिट (आरएलयू) में स्विचन कार्य होते हैं उनको इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ एक एक्सचेंज के रूप में माना जाएगा।

34. "लंबी दूरी का नेटवर्क" पारेषण और स्विचन घटकों का ऐसा नेटवर्क है जो विभिन्न एसडीसीए के बीच स्विच्ड युक्त इंटरकनेक्शन प्रदान करने के लिए पूर्वनिर्धारित ढंग से जुड़ा रहता है। वास्तविक रूप में नेटवर्क के घटकों को सह-अवस्थित किया जा सकता है अथवा उनको अपेक्षाकृत बड़े घटकों का भाग बनाया जा सकता है।

35. "लंबी दूरी की कॉल" को किसी स्थानीय क्षेत्र में टर्मिनेट होने वाली ऐसी कॉल के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी अन्य क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी।

36. "लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र (एलडीसीए)" से आशय एक ऐसे क्षेत्र से है तो देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित और ट्रंक कालों के प्रभारण के प्रयोजनार्थ इस प्रकार घोषित किए गए क्षेत्रों में से एक है जो सामान्यतया गौण स्विचन क्षेत्र के साथ को-टर्मिनेशन होता है।

37. "लंबी दूरी प्रभारण केंद्र (एलडीसीसी)" : किसी लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र में कोई विशेष ट्रंक एक्सचेंज जिसे लंबी दूरी की कॉलों के प्रभारण के प्रयोजनार्थ इस प्रकार घोषित किया गया है। एसएसए का मुख्यालय आम तौर पर एलडीसीसी होता है।

38. संदेश से आशय ऐसी किसी बात से है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत आती है।

39. "मोबाइल स्टेशन" से आशय मोबाइल सेवा में ऐसी किसी स्टेशन से है जिसे चालू रहने के दौरान अथवा अनिर्दिष्ट प्लाइंटों पर रुकने के दौरान उपयोग के लिए नियत किया गया है। लाइसेंस करार में जहां कहीं भी मोबाइल स्टेशन अथवा मोबाइल हैंडसेट अथवा यूजर मैनुअल का प्रयोग किया गया है उनको एक-दूसरे के स्थान पर रखा जा सकता है।

40. "मोबाइल स्विचन केंद्र, एमएससी के रूप में भी ज्ञात" से आशय नेटवर्क के एक भाग के रूप में संरक्षित स्विचिंग उपस्कर से है जो इस लाइसेंस के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए कालों के समस्त स्विचिंग कार्यों का निष्पादन करता है।

41. एमटीएनएल से आशय महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड से है।

42. "राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी)" की सेवा का उल्लेख लंबी दूरी पर स्थिच्छ युक्त दूरसंचार सेवा के परिवहन के लिए किया गया है।

43. "राष्ट्रीय लंबी दूरी का सेवा प्रदाता" (एनएलडीओ) वह दूरसंचार प्रदाता है जो राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा संबंधी लाइसेंस के क्षेत्र के भीतर लंबी दूरी तक दूरसंचार का वहन करने के लिए अपेक्षित डिजिटल क्षमता प्रदान कर रहा हो, जिसके अंतर्गत आईटीयू द्वारा परिभाषित विभिन्न प्रकार की टेलीसर्विस जैसे वॉयस, डाटा, फैक्स, टेक्स्ट, वीडियो और मल्टी-मीडिया आदि शामिल हों।

44. "नेटवर्क" से आशय लागू करने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रचलित परिवर्तन दर पर प्रदत्त इक्विटी पूँजी तथा मुक्त आरक्षित राशि के भारतीय रूपए में परिवर्तित राशि के कुल योग से है।

45. "प्रचालक" से आशय उस व्यक्ति से है जिसे किसी संगत कनेक्टेबल प्रणाली को संचालित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो।

46. "अन्य सेवा प्रदाताओं" से आशय उन प्रचालकों से है जो विभिन्न अभिगम प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई अवसंरचना का प्रयोग करते हुए टेली-बैंकिंग, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन टेली-ट्रेडिंग, ई-कॉमर्स आदि जैसी सुविधाओं के प्रयोग के लिए सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ये अन्य सेवा प्रदाता अभिगम प्रदाताओं के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते और स्थिच्छ टेलीफोनी उपलब्ध नहीं कराते हैं।

47. "प्याइंट आफ प्रेज़ेन्स (पीओपी)" का अभिप्राय मांग पर निर्धारित गुणवत्ता की सेवा और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से सेवा का ग्रेड प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा उपयुक्त क्षमता की प्रयोज्य प्रणालियों की स्थापना से है।

48. "ओआर/व्यूआर विनिर्देशन" का अभिप्राय जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो, दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र, दूरसंचार विभाग के ओआर/व्यूआर विनिर्देशनों में निहित तकनीकी और गुणवत्ता से संबंधित अपेक्षाएं हैं।

49. "पब्लिक स्थिच्छ टेलीफोन नेटवर्क" (पीएसटीएन) का अर्थ एक विनिर्दिष्ट स्थिच्छ पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क आम जनता के लिए एक द्वि-मार्गीय स्थिच्छ दूरसंचार सेवा है।

50. "पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन)" का अर्थ रस्ते आधारित मोबाइल नेटवर्क है।

51. "सेवा की गुणवत्ता" : सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन सेवा की श्रेणी, गलत प्रोसेसिंग के कारण कॉलों की क्षति, बिट मूल दर या प्रत्युत्तर समय संबंधी पर्यवेक्षणीय उपायों के आधार पर किया जाता है और इसके अंतर्गत सेवित ग्राहक प्रति इकाई जनसंख्या दोषों की संख्या की स्वीकार्य श्रेणी मीन टाईम टू रेस्टोर (एमटीटीआर), एमटीटीआर से परे आगे ले जाए गए दोषों तथा उनके संतोषजनक निपटान को भी शामिल किया जाता है।

52. "रेडियो ट्रांसमीटर" का अर्थ बेस स्टेशनों पर रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर से है।

53. "निरीक्षण का अधिकार" : लाइसेंस प्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा विस्तार के लिए प्रयुक्त साइटों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। लाइसेंस प्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, विशेष रूप से परंतु जो इस तक सीमित नहीं है, लीजड लाइनों, जंक्शनों, समापन इंटरफेसों,

हार्डवेयर/साफ्टवेयर सेमीकंडक्टरों की मेमोरी, चुम्बकीय और ऑप्टिकल किस्मों, तारशुदा या वायरलेस विकल्पों, वितरण प्रैमों तक अभिगम का अधिकार होगा और वे निष्पादन परीक्षण संचालित करेंगे जिसमें निवेश/निर्गत प्रणालियों या टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ संवाद करना शामिल है। लाइसेंसधारी प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जैसा कि लाइसेंसप्रदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांग की जाए। लाइसेंस प्रदाता ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां नोटिस देने से निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए, सामान्यतः नोटिस देने के बाद ही निरीक्षण करेगा।

54. "सैटकॉम" का अर्थ उपग्रह संचार है।

55. "सेवा" में लाइसेंसप्राप्त सेवा क्षेत्र में लाइसेंसधारक के नेटवर्क पर वॉयस और गैर-वायस संदेशों का संग्रहण, संवहन, पारेषण और डिलीवरी शामिल है और इसमें सिर्फ ऐसी सेवा को छोड़कर, जिसके लिए एक पृथक लाइसेंस की आवश्यकता हो, सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है।

56. "सेवा क्षेत्र" का अर्थ ऐसी भौगोलिक सीमाओं से घिरा विनिर्दिष्ट प्रावेशिक दूरसंचार सर्किल है जिसके भीतर लाइसेंसधारक को सेवा प्रचालित करने और पेशकश करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

57. "सेवा प्रदाता" का अर्थ भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत सेवा उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाता है।

58. "अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र" (एसडीसीए) का अर्थ उन अनेक क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है जिसमें किसी लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र को विभाजित किया गया है और ट्रंक कॉलों को प्रभारित करने के उद्देश्य से इन्हें घोषित किया गया है और जिनके भीतर स्थानीय कॉल प्रभार और स्थानीय संख्यांकन योजना लागू है। कुछ अपवादों को छोड़कर, एसडीसीए राजस्व तहसील/तालुक है।

59. "अल्प दूरी प्रभारण केंद्र (एसडीसीसी)" का अर्थ ट्रंक कॉल प्रभारित करने के उद्देश्य से घोषित अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में कोई विशिष्ट एक्सचेंज है।

60. "सिम कार्ड" उपभोक्ता पहचान माऊल (सिम) कार्ड जिसे किसी मोबाइल स्टेशन में फिट किया जाता है जिसके पश्चात मोबाइल स्टेशन को टेलीफोन काल करने या रिसीव करने के लिए एक्टिवेट किया जा सकता है।

61. "विशेष लेखा परीक्षक" का अर्थ उन लेखा परीक्षकों से है जो लेखा परीक्षकों के पैनल में सूचीबद्ध है और उन्हें कंपनी के लेखा परीक्षकों के समान शक्तियां प्राप्त हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 में दी गई हैं।

62. "ग्राहक" : ग्राहक का अर्थ कोई व्यक्ति या कोई विधिक प्रतिष्ठान शामिल है जो लाइसेंसधारक को शुल्क देता है/ सेवा का उपयोग करता है।

63. "ग्राहक टर्मिनल (यूटी) (फिक्स्ड एंड मोबाइल टर्मिनल या हैंडसेट या मोबाइल स्टेशन )" का अर्थ ग्राहकों को लाइसेंसधारक से मिले टेलीफोन सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रयुक्त उपकरण से है।

64. "टीडीएसएटी" का अर्थ दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण से है।

65. "टीईसी" का अर्थ दूरसंचार इंजीनियरी केंद्र है।

66. "दूरसंचार प्राधिकारी" का अर्थ महानिदेशक दूरसंचार, भारत सरकार है और इसमें उनके द्वारा भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत तार प्राधिकारी के सभी या किन्हीं कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत कोई अधिकारी या कानून द्वारा यथा स्थापित ऐसा प्राधिकारी शामिल है।

67. "टेलीफोन" का अर्थ दूरसंचार उपकरण की कोई मद है जो प्रयोज्य प्रणाली से जोड़े जाने पर उस प्रणाली द्वारा भेजे गए या भेजे जाने वाले दो मार्गीय स्पीच को साथ-साथ अबाधित रूप से संप्रेषित और रिसीव, करने में जैसा भी मामला हो, सक्षम हो।

68. "टैरिफ" का अर्थ दरों और संबंधित दशाओं सहित, जिसमें संदेशों को भारत के बाहर किसी देश को ट्रांसमीट किया जा सकता है, दरें और संबंधित शर्तें जिसमें भारत के भीतर और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं जमा राशि, संस्थापन शुल्क, किराया, निःशुल्क कॉलें, उपयोग प्रभार और कोई अन्य संबंधित शुल्क या सेवा प्रभार है। टैरिफ शब्द का अर्थ वहीं होगा जो द्वाई द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दूरसंचार प्रशुल्क आदेशों में निर्धारित किया गया हो।

69. "द्वाई" का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित द्वाई अधिनियम, 1997 के तहत गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है।

70. "एकीकृत अभिगम सेवाएं (यूएएस)" का अर्थ तारशुदा या वायरलेस टेलीग्राफी के एजेंसी के माध्यम से संदेशों के संवहन के लिए दूरसंचार प्रणाली के द्वारा प्रदत दूरसंचार सेवा से है। एकीकृत अभिगम सेवाओं का अर्थ केवल वास्तविक समय में लाइसेंसधारक के नेटवर्क पर वॉयस या नॉन-वायस संदेशों का पारेषण है। सेवा में किसी भी संदेशों, वायस या नॉन वॉयस का प्रसारण शामिल नहीं है, तथापि केवल सेवा के ग्राहकों नेटवर्क पर पंजीकृत होना चाहिए और अनुमोदित संख्यांकन योजना लागू होगी।

71. "एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाता (यूएएसपी)" का अर्थ किसी विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्र में लाइसेंस के तहत एकीकृत अभिगम सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत लाइसेंसधारक से है।

72. "यूएसओएफ" का अर्थ यूएसओ पर व्यय को पूरा करने के लिए स्थापित "सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि" से है।

73. "यूएसओ" का अर्थ एनटीपी-99 में यथा प्रतिपादित और द्वाई की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात लाइसेंसप्रदाता द्वारा यथा संशोधित सार्वभौमिक सेवा दायित्व है।

74. "मूल्य-वर्द्धित सेवा" : मूल्य-वर्द्धित सेवाएं वर्द्धित सेवाएं हैं जो बुनियादी दूरसंचार सेवाओं और वाहक सेवाओं के मूल्य को बढ़ाती है जिसके लिए पृथक लाइसेंस जारी किए जाते हैं। इस समय सरकार निम्नलिखित मूल्य वर्द्धित सेवाओं के लिए लाइसेंस जारी कर रही है :-

- (i) रेडियो पेंजिंग सेवा
- (ii) पब्लिक मोबाइल ट्रॅकिंग सर्विस
- (iii) वॉयस मेल सेवा
- (iv) क्लोज्ड यूजर्स ग्रुप डोमेस्टिक 64 के बीपीएस डाटा नेटवर्क वाया इन्सैट सेटेलाइट सिस्टम
- (v) वीडियोटेक्स सेवा
- (vi) जीएमपीसीएस

(vii) इन्टरनेट

75. "वी-सैट" का अर्थ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल है।
76. "वीएसएनएल" का अर्थ विदेश संचार निगम लिमिटेड है।
77. "डब्ल्यूपीसी" का अर्थ संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार का बेतार आयोजना और समन्वय रक्षण्ड है।
78. "ईयर" लाइसेंस शुल्क के लिए 31 मार्च, को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा और चार तिमाहियां क्रमशः 30 जून, 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त होंगे।

("राजस्व" और "लाइसेंसशुल्क" के परिकलन के ब्योरे के संबंध में शपथ-पत्र का प्रपत्र)

### शपथ-पत्र

1. मैं..... आयु लगभग..... वर्ष पुत्र  
 श्री..... निवासी..... शपथ लेता हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता  
 हूँ :
2. कि मैं..... (कंपनी का नाम) का..... सेवा क्षेत्र में  
 सेवा का लाइसेंसधारक हूँ और मैं कंपनी..... (कंपनी का नाम) के नाम पर शपथ-पत्र  
 देने के लिए इस कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक..... को पास किए गए संकल्प के तहत  
 विधिवत प्राधिकृत हूँ।
3. कि भाग..... की अनुसूची..... की शर्त सं0.....  
 के अनुपालन में, कंपनी तथा दूरसंचार विभाग के बीच हस्ताक्षरित लाइसेंस करार सं0..... के अनुबंध  
 के अनुपालन में लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए ..... रु0  
 (रुपए.....) का भुगतान..... से ..... तक की  
 अवधि के लिए किया जा रहा है। "राजस्व" और लाइसेंस शुल्क के परिकलन का विवरण  
**परिशिष्ट- II** ..... (संलग्न) के अनुसार दिया गया है।
4. कि पैरा 2 व 3 की विषय-वस्तु और अनुबंध..... में दिया गया विवरण मेरी पूरी  
 जानकारी के अनुसार सत्य और सही है तथा कंपनी के रिकार्ड पर आधारित है।

अभिसाक्षी

### सत्यापन

स्थान..... में दिनांक ..... को यह सत्यापित किया गया कि इस शपथ-पत्र के  
 पैरा 1 से 3 की विषय-वस्तु और अनुबंध के रूप में संलग्न "राजस्व और लाइसेंस शुल्क का विवरण"  
 मेरी पूरी जानकारी में सत्य और सही है इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया  
 नहीं गया है।

अभिसाक्षी

राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संबंधी प्रपत्र

सेवा में,  
निदेशक मंडल,  
.....  
.....  
.....

हमने..... को समाप्त तिमाही के लिए..... (प्रचालकों के नाम) के राजस्व व लाइसेंस शुल्क संबंधी संलग्न विवरण की जांच कर ली है। हमने..... को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि खाते में दर्शाए गए आंकड़ों के साथ कंपनी के राजस्व और लाइसेंस शुल्क संबंधी विवरण में दर्शाए गए..... को समाप्त तिमाही के संचयी आंकड़ों के समाधान की जांच भी की है, जिसकी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई थी। हम समझते हैं कि उपर्युक्त विवरण (और समाधान) को कंपनी व दूरसंचार विभाग के बीच हस्ताक्षरित लाइसेंस करार सं0..... के अनुसार कंपनी द्वारा सरकार को देय लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जाना है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचना और विवरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।
2. हमारे विचार से, कंपनी के पास राजस्व के संबंध में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो इसके आकार और कारोबार की प्रकृति के अनुरूप है। यह प्रणाली, हमारे विचार से, उचित रूप से आश्वस्त करती है कि राजस्व का कोई भी भाग बिना रिकार्ड किया हुआ नहीं है और कि सारा राजस्व उचित राशि और उचित अवधि में रिकार्ड किया जाता है।
3. बिक्री कर, सेवा कर या पीएसटीएन/टॉल/रोमिंग प्रभारों के रूप में देय कोई भी राशि, निम्नलिखित.. .... के अतिरिक्त, इनके देय होने की तारीख से दो माह से अधिक की अवधि के लिए तिमाही (यों) के अंतिम दिन तक बकाया नहीं थी।
4. हमारे विचार से और हमारी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार यह विवरण इस विषय पर उक्त लाइसेंस करार में निहित मानदंडों/दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और यह निम्नलिखित के अतिरिक्त उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर परिकलित अवधि के लिए देय राजस्व व लाइसेंसशुल्क को सच्चे व उचित रूप से दर्शाता है :

\* जो लागू नहीं है उसे काट दें।

(हस्ताक्षर)

राजस्व तथा लाइसेंस शुल्क के विवरण का आरूप  
 (प्रचालक का नाम एवं पता)  
 (सेवा क्षेत्र का नाम) में एकीकृत अभिगम सेवाएं  
 वित्तीय वर्ष की तिमाही का  
 राजस्व एवं लाइसेंस शुल्क का विवरण

(राशि रूपयों में)

क्र०सं०	विवरण	विगत तिमाही का वास्तविक	चालू तिमाही का वास्तविक	चालू तिमाही तक का संचयी
1.	सेवाओं से राजस्व			
क	वायरलाइन उपभोक्ताओं से राजस्व			
i.	किराया			
ii.	सेवा क्षेत्र के भीतर कॉल राजस्व			
iii.	राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल राजस्व			
iv.	अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल राजस्व			
v.	अन्य सेवा नेटवर्कों (प्रचालक-वार ब्योरा दे) के प्रयोग हेतु पास थ्रु राजस्व			
vi.	सेवा कर			
vii.	सेवा प्रभार			
viii.	कोई अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाएं, अतिरिक्त सेवाएं आदि प्रदान किए जाने के कारण लगाए जाने वाले प्रभार			
ix.	वायर लाइन उपभोक्ताओं से कोई अन्य आय/ विविध प्राप्ति			
ख	डब्ल्यूएलएल उपभोक्ताओं (स्थिर) से राजस्व			
i.	किराया			
ii.	सेवा क्षेत्र के भीतर कॉल राजस्व			
iii.	राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल राजस्व			
iv.	अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल राजस्व			
v.	अन्य सेवा नेटवर्कों (प्रचालक-वार ब्योरा दे) के प्रयोग हेतु पास थ्रु राजस्व			
vi.	सेवा कर			
vii.	सेवा प्रभार			

viii.	कोई अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाएं, अतिरिक्त सेवाएं आदि प्रदान किए जाने के कारण लगाए जाने वाले प्रभार			
ix.	डब्ल्यूएलएल उपभोक्ताओं से कोई अन्य आय/ विविध प्राप्ति			
ग.	डब्ल्यूएलएल उपभोक्ताओं से राजस्व : (हैंडहैल्ड)			
i.	किराया			
ii.	सेवा क्षेत्र के भीतर कॉल राजस्व			
iii.	राष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल राजस्व			
iv.	अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी कॉल राजस्व			
v.	अन्य सेवा नेटवर्कों (प्रचालक-वार ब्योरा दे) के प्रयोग हेतु पास थू राजस्व			
vi.	सेवा कर			
vii.	सेवा प्रभार			
viii.	कोई अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाएं, अतिरिक्त सेवाएं आदि प्रदान किए जाने के कारण लगाए जाने वाले प्रभार			
ix.	डब्ल्यूएलएल उपभोक्ताओं से कोई अन्य आय/ विविध प्राप्ति			
घ.	मोबाइल सेवाओं से राजस्व			
घ1	पोस्टपेड विकल्प :			
i.	किराया			
ii.	एक्टिवेशन प्रभार			
iii.	एयरटाईम राजस्व			
iv.	पास थू प्रभार			
v.	सेवा कर			
vi.	रोमिंग प्रभार			
vii.	सेवा प्रभार			
viii.	कोई अन्य मूल्यवर्द्धित सेवाएं, अतिरिक्त सेवाएं आदि प्रदान किए जाने के कारण लगाए जाने वाले प्रभार			
ix.	पोस्ट पेड विकल्पों से कोई अन्य आय/ विविध प्राप्ति			
घ2	प्री-पेड विकल्प			
i.	सभी प्रभारित घटकों के पूर्ण मूल्य सहित प्रीपेड सिम कार्डों की ब्रिकी			
ii.	प्री-पेड विकल्प से कोई अन्य आय/विविध प्राप्ति			

घ.3 i	प्रभारित सभी घटकों के पूर्ण मूल्य सहित मोबाइल सामुदायिक फोन सेवा से राजस्व			
ii.	मोबाइल सामुदायिक फोन सेवा से कोई अन्य आय/ विविध प्राप्ति			
उ.	वाइस मेल/अन्य किसी मूल्य वर्द्धित सेवा से राजस्व			
2.	व्यवसायिक कार्यकलापों से आय (सभी बिक्री कर सहित)			
i.	हैंडसैटों की बिक्री			
ii.	सहायक उपकरणों आदि की बिक्री			
iii.	व्यवसायिक कार्यकलापों से कोई अन्य आय/विविध प्राप्ति			
3.	रोमिंग से राजस्व			
i.	अपने उपभोक्ताओं से रोमिंग सुविधा राजस्व			
ii.	रोमिंग के दौरान इनकमिंग काल के ट्रांसमिशन के लिए एसटीडी/आईएसडी पास थ्रू प्रभारों सहित अन्य नेटवर्क पर विजिट करने वाले अपने उपभोक्ता से रोमिंग राजस्व			
iii.	अर्जित रोमिंग कमीशन			
iv.	अन्य नेटवर्कों से विजिट करने वाले उपभोक्ताओं से रोमिंग राजस्व			
v.	सेवा कर यदि ऊपर शामिल नहीं हुआ है			
vi.	रोमिंग से अन्य कोई आय/विविध प्राप्ति			
4.	निवेश से आय			
i.	ब्याज आय			
ii.	लाभांश आय			
iii.	निवेश से कोई अन्य विविध प्राप्ति			
5.	उपभोक्ताओं से अप्रतिदेय जमा			
6.	आईए तथा आईबी में पहले से शामिल किए गए राजस्व को छोड़कर समस्त कमीशन एवं छूट आदि सहित फ्रैंचाइजियों/पुनः विक्रयकर्ताओं से प्राप्त राजस्व			

7.	अवसंरचना की भागीदारी/पट्टे पर दिए जाने से प्राप्त राजस्व			
8.	बैंडविड्थ, लिंकों, आर एंड जी केसों, टर्नकी परियोजनाओं आदि के विक्रय/पट्टे पर दिए जाने से प्राप्त राजस्व			
9.	पास थ्रो कॉल प्रभारों के संबंध में अन्य प्रचालकों से राजस्व			
10.	इंटरकेवशन प्रदान करने के संबंध में अन्य प्रचालकों से राजस्व			
11.	विविध राजस्व			
कक्ष.	लाइसेंसधारक कंपनी का राजस्व : (1-11 को जोड़ें)			
ख.	घटाएं :			
1.	अन्य सेवा प्रदाता (प्रचालक-वारे) को वास्तविक रूप से प्रदत्त प्रभार			
2.	अन्य सीएमएसपी और जीएमपीसीएस सेवा प्रदाताओं के वास्तविक रूप से प्रदत्त रोमिंग राजस्व (प्रचालक लाट)			
3.	सरकार को अदा किया गया सेवा कर			
4.	सरकार को अदा किया गया विक्रय कर			
खख	घटाया जाने वाला कुल राजस्व (1 + 2 + 3 + 4)			
गग	समायोजित सकल राजस्व (कक्ष-खख)			
	समायोजित सकल राजस्व के.....की दर से राजस्व का हिस्सा			

## वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए मानदंड

- लेखों को लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा प्रचालित प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए पृथक रूप से रखा जाएगा।
- प्राप्त राजस्व की किसी भी श्रेणी, जिसकी राशि कुल प्राप्त राजस्व के 5% से अधिक हो, को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा और किसी अन्य मद/श्रेणी के साथ नहीं मिलाया जाएगा।
- प्राप्त राजस्व में निम्नलिखित शामिल होंगे :
  - (क) उक्त अवधि के लिए बिल में प्रभारित करने योग्य सभी राशियाँ ।
  - (ख) पिछले वर्षों के ऐसे सभी बिल जो पिछले वर्षों के लाभ व हानि संबंधी खातों (में प्रविष्टि करने) से छोड़ दिए गए थे।
  - (ग) ग्राहकों/फ्रैंचाइजियों से एकत्रित की गई कोई भी अप्रतिदेय जमा राशि जितनी कि ये उक्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते में जमा की गई हों।
- उपर्युक्त प्रत्येक मद के लिए सहायक रजिस्टर खाता बही (लेजर) बनाकर रखे जाएंगे ताकि सत्यापन कार्य भी आसान हो सके।
- सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दर्शाया जाएगा और छूट/घटौती का विवरण पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- उपभोक्ताओं से ली गई प्रतिभूति अथवा कोई अन्य जमा राशि प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक रूप से दर्शायी जाएगी और जो राशि प्रतिदेय के लिए देय हो गई है और जिसका भुगतान अभी नहीं किया गया है उसे भी दो श्रेणियों में प्रकट किया जाएगा अर्थात् :
  - 45 दिनों तक
  - 45 दिनों से अधिक
- बिल किया गया, एकत्र किया गया और सरकार को भेजा गया सेवा कर पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- बिल किया गया, एकत्र किया गया और सरकार को भेजा गया बिक्री कर पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- वस्तुओं की बिक्री से हुई आय का विवरण इस प्रकार दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आय और बेची गई मदों की संख्या दर्शायी जाएगी। बेची गई वस्तुओं के मूल्य के परिकलन के साथ-साथ वस्तुसूची के मूल्यांकन का प्रयुक्त तरीका भी प्रकट किया जाएगा।
- बिक्री सकल रूप में दर्शायी जाएगी और दी गई छूट/घटौती तथा बिक्री की आय का विवरण पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- ब्याज और लाभांश से होने वाली आय पृथक रूप से दर्शायी जाएगी, इसमें लाभ हानि खाते के आय पक्ष पर इनके प्रति किया जा रहा कोई भी खर्च शामिल नहीं है।
- स्टॉक में हुई वृद्धि/कमी को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- पिछले वर्षों के नामे की विपरीत प्रविष्टि, यदि कोई हो, के विवरण को घटक-वार विविध शीर्षों (उदाहरणस्वरूप वसूल किए गए अशोध्य ऋणों आदि) के तहत दर्शाया जाएगा।
- आय का मदवार विवरण जिसे संगत व्यय के समक्ष अंकित किया गया है।
- रोमिंग प्रभारों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पृथक रूप से दर्शाया जाएगा ;

- (क) अपने (घरेलू) उपभोक्ताओं से प्रत्येक बाह्य नेटवर्क के लिए वसूल किए गए रोमिंग एयरटाइम प्रभार।
- (ख) प्रत्येक बाह्य नेटवर्क को वार्तविक रूप से जमा कराए गए रोमिंग एयर टाइम प्रभार।
- (ग) प्रतिधारित रोमिंग कमीशन (नेटवर्क-वार)
- (घ) अदा किया गया रोमिंग कमीशन (नेटवर्क-वार)
- (ङ) वसूल किए गए और प्रतिधारित/अन्य प्रचालकों को सौंपे गए किन्हीं अन्य परिवर्तनीय प्रभारों का व्योरा
- घरेलू और आगंतुक उपभोक्ताओं तथा जिनकी बिलिंग नहीं की गई (उदाहरणस्वरूप सर्विस कनेक्शन) उनकी कुल एयरटाइम यूनिटों (मीटर में दर्ज की गई यूनिटों) का व्योरा अलग-अलग प्रस्तुत किया जाना है।

वित्तीय बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) द्वारा ..... सेवा क्षेत्र (सेवा क्षेत्र का नाम) में एकीकृत अभिगम सेवाओं (यूएएस) जिसे इसके बाद सेवा कहा गया है) की स्थापना, रख-रखाव और उसके प्रचालन के लिए ..... के मैसर्स ..... जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारक ..... है, को दिनांक ..... के मांग पत्र/ लाइसेंस सं0..... (जिसे इसके बाद "लाइसेंस" कहा गया है) के अनुसरण में लाइसेंस प्रदान किए जाने की सहमति प्रदान किए जाने के मद्देनजर उक्त लाइसेंस में अंतर्निहित निबंधनों एवं शर्तों पर, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य शुल्क तथा ऐसे अन्य शुल्क अथवा प्रभारों के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप उक्त लाइसेंसशुल्क तथा ऐसे अन्य शुल्क अथवा प्रभारों में ..... रु0(शब्दों में )तक की बैंक गारंटी में.....

प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है, हम ..... (बैंक के नाम और पते तथा अन्य विवरणों का उल्लेख करें) (जिसे इसके बाद "बैंक कहा गया है) लाइसेंसधारक के अनुरोध पर एतद्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से गारंटी देते हैं कि लाइसेंसधारक प्राधिकारी को लाइसेंस शुल्क और अन्य प्रभारों सहित, किंतु यहीं तक सीमित नहीं, सभी देय राशियों का भुगतान करेगा।

2. हम, बैंक, एतद्वारा इस गारंटी की अवधि बढ़ाने अथवा लाइसेंस करार के निबंधनों के अनुसार मौजूदा गारंटी के बदले नई गारंटी दिए जाने में लाइसेंसधारक की असफलता के कारण प्राधिकारी को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा प्राधिकारी को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि या क्षति के लिए लाइसेंस में निर्धारित अवधियों के भीतर उपर्युक्त सभी शुल्कों, बकायों और प्रभारों अथवा इनके किसी भाग का प्राधिकारी को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो ..... रु0 (.....रुपये) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक, एतद्वारा मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रूप में प्राधिकारी को मांग पर तुरंत और बिना विलंब के ऐसी राशि जो ..... रु0 (.....रुपये) मात्र से अधिक न हो, का भुगतान करने का वचन देते हैं और यह भी उल्लेख करते हैं कि दावा की गई यह राशि उक्त लाइसेंस के निबंधनों के अनुसरण में लाइसेंसधारक द्वारा शुल्क या प्रभारों या इनके किसी भाग का भुगतान नहीं किए जाने के कारण है।

4. हम, बैंक, एतद्वारा इस बात की भी घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि क्या लाइसेंसधारक उक्त लाइसेंस के तहत देय उक्त लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य शुल्क या प्रभार या इनके किसी भाग का भुगतान करने में असफल रहा है, इस बारे में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके तहत बैंक द्वारा प्राधिकारी को देय राशि अंतिम होगी और हम पर बाध्यकारी होगी।

5. हम, बैंक, एतद्वारा इस बात की भी घोषणा करते हैं और सहमति देते हैं कि इसमें

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और प्राधिकारी को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा प्राधिकारी के इस बात से

संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त लाइसेंसधारक द्वारा उक्त लाइसेंस के अनुबंध व शर्तों का पालन समर्चित रूप से किया गया है और तदनुसार गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) प्राधिकारी को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त लाइसेंस के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त लाइसेंसधारक द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा उक्त लाइसेंसधारक के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त लाइसेंस से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने अथवा उक्त लाइसेंसधारक के लिए समयावधि बढ़ाए जाने के कारण से अथवा प्राधिकारी की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उक्त लाइसेंसधारक से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभूति के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) लाइसेंसधारक के विरुद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा **लाइसेंसधारक** द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

6. हम, बैंक यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान प्राधिकारी की लिखित रूप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

7. उपर्युक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, गारंटी के तहत, हमारी देयता.....रु० तक सीमित रहेगी और हमारी गारंटी इसकी तारीख से लेकर.....वर्ष तक प्रभावी रहेगी। इस गारंटी के तहत, जब तक इस तारीख अर्थात् .....तक हमसे लिखित रूप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत आपके समस्त अधिकार जब्त हो जाएंगे और हम उसके तहत अपने समस्त दायित्वों से स्वतंत्र और मुक्त हो जाएंगे।

दिनांक ..... दिन ..... कृते .....

(बैंक का नाम)

३

1.....  
.....

2.....  
.....  
.....

## कार्य-निष्पादन बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में,

## भारत के राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसके बाद 'प्राधिकारी' कहा गया है) द्वारा मैसर्स निबंधन और शर्तों पर जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उक्त लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के खंड 34 का विधिवत अनुपालन और कार्यनिष्ठादान करने के लिए जमानत की राशि द्वारा सेवा के लिए .....रुपए (शब्दों में.....) तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, दिनांक (इसके पश्चात उक्त लाइसेंस कहा जाएगा) .....के मांग पत्र/लाइसेंस सं0.....के अनुसार एकीकृत अभिगम सेवाएं (यूएएस) (यहां जिसे इसके बाद 'सेवा' कहा गया है) की स्थापना, रख-रखाव और प्रवालन करने के लिए सहमति दिए जाने के मद्देनजर इसके बाद 'बैंक' कहा गया है) की विवरण लिखें (जिसे इसके बाद 'बैंक' कहा गया) लाइसेंसधारक के हम .....(बैंक का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) अनुरोध पर एतदद्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी देते हैं कि लाइसेंसधारक उक्त लाइसेंस के खंड 34 से संबंधित और/अथवा उसके कार्य निष्ठादान के लिए लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की जाने वाली अपेक्षित सभी आवश्यक और दक्ष सेवाएं प्रदान करेगा और आगे इस बात की गारंटी देता है कि सेवा जो लाइसेंसधारक द्वारा उक्त लाइसेंस के तहत प्रदान की जाएगी, प्राधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के खंड 34 के अनुसार वास्तव में निष्ठादित की जाएगी।

2. हम, बैंक, इस गारंटी की वैधता बढ़ाने अथवा मौजूदा गारंटी के बदले नई गारंटी दिए जाने में विफलता सहित उक्त लाइसेंस में निहित निबंधन और शर्तों के खंड 34 का लाइसेंसधारक द्वारा उल्लंघन होने के कारण प्राधिकारी को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि और क्षति के लिए प्राधिकारी को एतदद्वारा अधिकतम.....रूपए (.....रूपए मात्र) की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम, बैंक, एतद् द्वारा उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसरण में मात्र प्रतिभूति के रूप में नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रूप में प्राधिकारी को निरपेक्ष रूप से, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त के .....रूपए (.....रूपए मात्र) की राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं ताकि उक्त लाइसेंस के खंड 34 के तहत लाइसेंसधारक से उसके सभी दायित्वों का उचित और विश्वासजनक रूप से अनुपालन कराया जा सके।

4. हम, बैंक, प्राधिकारी द्वारा मांग करने पर तुरंत, बिना किसी विलंब के इस गारंटी के तहत बकाया और देय राशि का भुगतान करने का भी वचन देते हैं और यह उल्लेख करते हैं कि दावा की गई यह राशि उक्त लाइसेंस के किन्हीं निर्बंधन या शर्तों के अनुसरण में उक्त लाइसेंसधारक द्वारा किए गए उल्लंघन के कारण या उक्त लाइसेंस के खंड 34 के तहत लाइसेंसधारक द्वारा अपने किन्हीं दायित्वों का निष्पादन करने में विफलता के कारण प्राधिकारी को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा उसे होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि या क्षति के कारण देय है।

5. हम, बैंक एतद्वारा सहमत हैं कि क्या लाइसेंसधारक उपर्युक्त खंड 34 के तहत अपने कर्तव्यों का निष्पादन या निर्वहन करने में विफल रहा है या इसकी उपेक्षा की है और /या सेवा कमियों और दोषों से मुक्त है और उक्त लाइसेंस के निवंधन और शर्तों के खंड 34 के अनुरूप है या नहीं है और यहां बैंक द्वारा प्राधिकारी को देय राशि क्या है, इस बारे में प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बैंक पर बाध्यकारी होगा।

6 हम, बैंक, एतदद्वारा घोषणा करते हैं और सहमत हैं कि :

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और प्राधिकारी को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने अथवा प्राधिकारी के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त लाइसेंसधारक द्वारा उक्त लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के खंड 34 का पालन समुचित रूप से किया गया है और तदनुसार गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

6. (ख) प्राधिकारी को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त लाइसेंसधारक के किसी निवंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त लाइसेंसधारक द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर उक्त लाइसेंसधारक के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त लाइसेंस से संबंधित किन्हीं प्राधिकारी द्वारा उक्त लाइसेंसधारक के पूर्ण स्वतंत्रता होगी और प्राधिकारी की ओर से छूट दिए निवंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और प्राधिकारी को जाने अथवा चूक हो जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उक्त लाइसेंसधारक से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभूति के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) लाइसेंसधारक के विरुद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा लाइसेंसधारक द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

7. हम, बैंक, यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान प्राधिकारी की लिखित रूप में पहले से तो गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

8. उपर्युक्त दी गई किसी बात के होते हुए भी, गारंटी के तहत, हमारी देयता..... रूपए तक सीमित रहेगी और हमारी गारंटी इस तारीख से वर्ष..... तक प्रभावी रहेगी। इस गारंटी के तहत, जब तक इस तारीख अर्थात ..... तक हमसे लिखित रूप में कोई मांग या दावा नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत आपके समस्त अधिकार जब्त हो जाएंगे और हम उसके तहत अपने समस्त दायित्वों से स्वतंत्र और मुक्त हो जाएंगे।

दिनांक ..... दिन ..... कृते .....  
(बैंक का नाम)

ग्रन्थालय

1.....  
.....  
.....  
.....

2.....  
.....  
.....

सेवा क्षेत्र (दूरसंचार सर्किल/महानगर) तथा इस लाइसेंस के उद्देश्यार्थ उनके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र

क्र0सं0	सेवा क्षेत्र का नाम	कवर किए गए क्षेत्र	श्रेणी
01	प0 बंगाल सेवा क्षेत्र	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा कोलकाता महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर होने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, सिकिम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र।	ख
02	आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्र	आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	क
03	असम सेवा क्षेत्र	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ग
04	बिहार सेवा क्षेत्र	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 2000 का 30) के अनुसरण में नवनिर्मित झारखण्ड राज्य तथा पुनर्गठित बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ग
05	गुजरात सेवा क्षेत्र	गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र, सिल्वासा (दादर एवं नागर हवेली) के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	क
06	हरियाणा सेवा क्षेत्र	फरीदाबाद एवं गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्रों तथा पंचकूला नगर को छोड़कर, हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ख
07	हिमाचल प्रदेश सेवा क्षेत्र	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ग
08	जम्मू एवं कश्मीर सेवा क्षेत्र	लद्दाख के स्वायत्त परिषद सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ग
09	कर्नाटक सेवा क्षेत्र	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	क
10	केरल सेवा क्षेत्र	केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र - लक्ष्मीप एवं मिनिकॉय के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ख
11	मध्य प्रदेश सेवा क्षेत्र	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 : 2000 का 28) के अनुसरण में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य तथा पुनर्गठित मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ख
12	महाराष्ट्र सेवा क्षेत्र	मुम्बई महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, गोवा संघ राज्य क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	क
13	पूर्वोत्तर सेवा क्षेत्र	अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ग
14	उड़ीसा सेवा क्षेत्र	उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ग
15	पंजाब सेवा क्षेत्र	पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र तथा हरियाणा के पंचकूला नगर के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ख
16	राजस्थान सेवा क्षेत्र	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	ख
17	तमिलनाडु सेवा क्षेत्र (चेन्नई सेवा क्षेत्र सहित)	चेन्नई टेलीफोन, मराईमलाई नगर नियांत संवर्धन जोन (एमपीईजेड), मिनजुर एवं महाबलीपुरम एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्रों सहित तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।	क

17क	तमिलनाडु सेवा क्षेत्र (चेन्नई सेवा क्षेत्र को छोड़कर)	चेन्नई टेलीफोन, मराईमलाई नगर निर्यात संबद्धन ज़ोन (एमपीईजेड), मिनजुर एवं महाबलीपुरम एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र को छोड़कर तमिलनाडु, राज्य एवं पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र	
17 ख	चेन्नई सेवा क्षेत्र	चेन्नई टेलीफोन, मराईमलाई नगर निर्यात संबद्धन ज़ोन (एमपीईजेड), मिनजुर एवं महाबलीपुरम एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र	ख
18	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) सेवा क्षेत्र	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी एवं इटावा। इसमें गाजियाबाद एवं नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। हालांकि, इसमें दिनांक 25 अगस्त, 2000 के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(सं0 2000 का 29) के अनुसरण में नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य शामिल होगा।	ख
19	उत्तर प्रदेश (पूर्व) सेवा क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : शाहजहांपुर, फरुखाबाद, कानपुर एवं जालौन।	ख
20	दिल्ली सेवा क्षेत्र	दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, एवं गुडगांव टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र।	महानगर
21	कोलकाता सेवा क्षेत्र	कलकत्ता टेलीफोन्स के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र।	महानगर
22	मुम्बई सेवा क्षेत्र	मुम्बई, नवी मुम्बई एवं कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र।	महानगर

### नोट :

- येनम, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का भाग, पूर्वी गोदावरी अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र के आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल द्वारा सेवित है।
- एक्सचेंजों के लिए स्थानीय क्षेत्रों की परिभाषा मौजूदा सेल्यूलर प्रचालकों पर उसी तरह लागू होंगी जैसे भेट्रो शहर में सेल्यूलर लाइसेंसों को अनुमति देते समय लागू होती हैं।
- इस लाइसेंस के लिए उपर्युक्त सेवा क्षेत्र के संबंध में स्थानीय क्षेत्रों के लिए यथा प्रयोज्य परिभाषा वर्ष 1994 एवं 1995 में, जब वे लाइसेंस उन्हें प्रदान किए गए, सेल्यूलर मोबाइल सेवा लाइसेंसों के लिए प्रयोज्य परिभाषा के अनुसार है। यह ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के संबंधित राजपत्र अधिसूचना, जहां कहीं भी जारी की गई, के अनुसार तथा भारतीय टेलीफोन नियमावली 1951 के नियम 2(डब्ल्यू) की सांविधिक परिभाषा के अनुसार, जैसा कि वर्ष 1994/1995 के दौरान, कोई विशिष्ट राजपत्र अधिसूचना के जारी नहीं होने पर, अधिसूचना लागू थी, होगी।

त्रिपक्षीय करार

यह त्रिपक्षीय करार आज दिनांक ..... 2000 को ..... पर निम्नलिखित के बीच किया गया ;

भारत के राष्ट्रपति, श्री ..... , उप महानिदेशक (बेसिक सेवाएं), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली - 110001 के माध्यम से कार्य करते हुए (जिसे इसके बाद "लाइसेंस प्रदाता" कहा गया है)

और

....., कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... पर स्थित है, के दिनांक ..... के बोर्ड के संकल्प की शर्तों के अनुसार दिनांक ..... को निष्पादित सामान्य मुख्तारनामा के अनुसरण में विधिवत् रूप से नियुक्त अटार्नी/प्राधिकृत व्यक्ति श्री ..... के माध्यम से कार्य करते हुए, (जिसे इसके बाद "लाइसेंसधारक" कहा गया है)

और

....., स्वयं प्रदाता के रूप में कार्य करते हुए तथा सूची में सूचीबद्ध ऋणदाताओं के एजेंट के रूप में दिनांक ..... के बोर्ड के संकल्प की शर्तों के अनुसार दिनांक ..... को निष्पादित सामान्य मुख्तारनामा के अनुसरण में विधिवत् रूप से नियुक्त अटार्नी/प्राधिकृत अधिकारी श्री ..... के माध्यम से (जिसे इसके बाद "एजेंट" कहा गया है)।

जबकि :

(i) लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारक के मध्य दिनांक ..... को हस्ताक्षरित लाइसेंस करार के तहत, उनके मध्य सहमत और इसमें उल्लिखित निबंधन, शर्तों और प्रसंविदा पर सर्किल/सेवा क्षेत्र में बेसिक/सेल्युलर टेलीफोन सेवा/रेडियो पेंजिंग सेवा की स्थापना, अनुरक्षण और कार्यकरण वाली दूरसंचार परियोजना के लिए लाइसेंस प्रदाता ने लाइसेंसधारक को लाइसेंस प्रदान किया है।

(ii) उपर्युक्त लाइसेंस के अनुसरण में लाइसेंसधारक द्वारा स्थापित की जाने वाली परियोजना के लिए सहायता देने और वित्त पोषण संबंधी सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से यहां पक्षकार (पार्टियां) लाइसेंसधारक को वित्तीय सहायता देने के कारण उत्पन्न होने वाले ऋणदाता के हितों को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए इस करार में इसके बाद प्रावधान के अनुसार, लाइसेंस के अंतरण/अभिलेखबद्ध करने के इच्छुक हैं।

(iii) संबंधित ऋणदाताओं के साथ लाइसेंसधारक द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित ऋण करारों में निर्धारित निबंधनों, शर्तों और प्रसंविदा पर उनके मध्य परस्पर रूप से सहमत सीमा तक, लाइसेंसधारक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऋणदाता सहमत हो गए हैं।

अब यह करार निम्नानुसार प्रमाणित करता है :

### अनुच्छेद-1-परिभाषा

इस करार के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा :

1.1 "एजेंट" का तात्पर्य .....(एजेंट का नाम लिखें) भारतीय अनुसूचित बैंक/भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/बहुसंख्यक भारतीयों द्वारा नियंत्रित, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी से है, जो स्वयं के लिए कार्य करते हुए भारत में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्त पोषण का कार्य कर रही हो और जो ऐसे ऋणदाताओं के संघ, जिसने इस परियोजना के लिए **लाइसेंसधारक** को वित्तीय सहायता देने की सहमति दे दी है, के अन्य सदस्यों के लिए एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हो।

[ स्पष्टीकरण : **लाइसेंसधारक** की वित्तीय सहायता में भाग लेने वाले भारतीय वित्तीय संस्थान या अनुसूचित बैंक ही एजेंट के रूप में कार्य करेंगे ]

1.2 "चूक की घटना" का तात्पर्य निम्नलिखित किसी भी घटना का घटित होना है :-

(i) **लाइसेंसधारक** द्वारा **लाइसेंस** करार के अंतर्गत, **लाइसेंस** प्रदाता को विधिवत् रूप से देय **लाइसेंस** शुल्क अथवा अन्य बकायों के भुगतान में चूक।

(ii) ऋण करार के निबंधन और शर्तों में वास्तविक (मैटिरियल) चूक।

[स्पष्टीकरण :"वास्तविक (मैटिरियल) चूक" का तात्पर्य ऋण करार के अंतर्गत **लाइसेंसधारक** द्वारा एक माह की न्यूनतम अवधि तक मूलधन अथवा ब्याज या दोनों के किन्हीं दो तिमाही किस्तों अथवा एक अर्धवार्षिक किस्त के भुगतान में लगातार चूक से होगा अथवा **लाइसेंसधारक** द्वारा ऋण करार के निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार उल्लंघन करने अथवा **लाइसेंसधारक** द्वारा ऋणदाता के पक्ष में विधिवत् रूप से निष्पादित किन्हीं अन्य दस्तावेज के उल्लंघन करने से होगा जिससे एजेंट के सुविचारित मत से परियोजना के कार्य या संचालन संबंधी **लाइसेंसधारक** की क्षमता पर प्रतिकूल और वास्तविक प्रभाव पड़ने की संभावना है।)

1.3 "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऋण करार और/या इसकी अनुसूची में उल्लिखित परियोजनाओं के संबंध में संबंधित किसी प्रकार के अन्य करारों के अंतर्गत ऋणदाताओं द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता अथवा वित्तीय सहायता के लिए दी जाने वाली सहमति अथवा ऋणदाताओं को देय किसी प्रकार की राशि से है।

1.4 "**लाइसेंस**" का तात्पर्य **लाइसेंसधारक** द्वारा .....सेवा के प्रचालन के लिए जिसमें समय-समय पर इसमें किए गए किसी प्रकार के संशोधन शामिल हैं, .....सेवा क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस प्रदाता और **लाइसेंसधारक** बीच दिनांक.....को हस्ताक्षरित **लाइसेंस** करार के अंतर्गत **लाइसेंस** से है।

1.5 "ऋणदाता" का तात्पर्य इसकी अनुसूची में उल्लिखित पक्षकारों से है जिनमें किसी सिडिकेंट के सदस्य अथवा किसी सिडिकेंट में भागीदार ऋणदाता/वित्त पोषण की हिस्सेदारी करने वाले भी शामिल हैं।

1.6 "ऋणदाता की देयताएं" का तात्पर्य परियोजना के संबंध में **लाइसेंसधारक** द्वारा ऋणदाताओं से उधार ली गई संपूर्ण राशि से है, चाहे वह ऋण करार अथवा परियोजना से संबंधित अन्य संबंधित करारों के अंतर्गत देय हो या न हो।

1.7 "ऋण करार" का तात्पर्य इसकी अनुसूची में उल्लिखित और वित्तीय सहायता से संबंधित ऋणदाता अथवा ऋणदाताओं और **लाइसेंसधारक** के बीच हस्ताक्षरित/हस्ताक्षरित किए जाने वाले करारों से है।

1.8 "परियोजना" का तात्पर्य .....सर्किल/सेवा क्षेत्र में बेसिक टेलीफोन-सेवा/सीएमटीएस/रेडियो पेंजिंग सेवा की स्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए लाइसेंसधारक की बेसिक टेलीफोन सेवा/सेल्फ्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस)/रेडियो पेंजिंग सेवा परियोजना से है।

1.9 "चुनी गई कंपनी" का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की परिभाषा के अंतर्गत ऐसी भारतीय कंपनी से है जिसे ऋणदाताओं द्वारा चुना गया हो तथा इस करार में यथा प्रदत लाइसेंस के समनुदेशन/अंतरण के प्रयोजनार्थ लाइसेंस प्रदाता को प्रस्तावित किया गया हो।

## अनुच्छेद-2

वित्तीय सहायता हेतु प्रतिभूति के रूप में लाइसेंस का अंतरण अथवा उसे सौंपा जाना

2.1 लाइसेंस प्रदाता एतद्वारा इसके तहत अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसरण में उधारदाताओं द्वारा चुनी गई कंपनी के पक्ष में लाइसेंस का अंतरण करने अथवा उस पर पृष्ठांकन द्वारा उसे सौंपे जाने की सहमति प्रदान करता है बशर्ते कि इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात से उधारदाता लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारक के रूप में स्वयं अथवा सामूहिक रूप में सेवा का प्रचालन करने का हकदार नहीं होगा।

2.2(क) एजेंट किसी महत्वपूर्ण चूक की घटना घटित होने के विषय में लाइसेंसधारक को अधिसूचित करेगा और साथ ही लाइसेंस प्रदाता के सूचित करेगा और लाइसेंसधारक से यह अपेक्षित होगा कि वह ऐसे नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसका उपचार और सुधार करे।

(ख) चूक की घटना का नोटिस ऋण करार के तहत ऐसी चूक की घटना के लिए निर्णायक प्रमाण होगा और इस करार के प्रयोजनार्थ अंतिम और लाइसेंसधारक के लिए बाध्यकारी होगा।

(ग) लाइसेंस प्रदाता और लाइसेंसधारक एतद्वारा इस बात पर सहमति देते हैं कि चूक की घटना के नोटिस की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद यदि लाइसेंसधारक चूक का उपचार अथवा सुधार कर पाने में असफल रहता है अथवा असमर्थ रहता है तो उधारदाता लाइसेंसधारक के लाइसेंस सहित उसकी परियोजना से संबंधित समस्त परिसंपत्तियों के साथ-साथ परियोजना को अधिकार में लेने और चुनी गई कंपनी को, लाइसेंस करार के तहत लाइसेंस प्रदाता के प्रति और उधारदाता के प्रति उनके संबंधित ऋण करारों के तहत, लाइसेंसधारक के दायित्वों और उसकी बाध्यताओं के विषय में ऐसी चुनी गई कंपनी के पूर्वानुमान पर उनका अंतरण करने के लिए, प्रस्ताव अथवा निविदाएं आमंत्रित करने, उसका सौदा करने और उनको प्राप्त करने का कार्य कर सकता है।

2.3 चुनी गई कंपनी को परियोजना की परिसंपत्तियों के अंतरण हेतु निम्नलिखित पात्रता मानक पूरे करने होंगे।

(क) चुनी गई कंपनी लाइसेंस करार के तहत कर्तव्यों, देयताओं और दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन करने में समर्थ होगी।

(ख) चुनी गई कंपनी वित्तीय सहायता हेतु उधारदाताओं की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ होगी और वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करेगी।

(ग) चुनी गई कंपनी लाइसेंस प्रदाता को देय अन्य राशियों तथा उधारदाता को देय राशियों सहित लाइसेंस शुल्क की देयता ग्रहण करने में समर्थ होगी और वह इसकी आवश्यक सहमति देगी।

(घ) चुनी गई कंपनी अंतरण का प्रस्ताव तैयार किए जाने के समय उन सभी नेटवर्थ और अनुभव संबंधी मानकों तथा तकनीकी एवं इक्विटी संबंधी मानदंडों को पूरा करेगी जो लाइसेंसधारक के चयन हेतु अपनाए गए थे।

(ङ) ऐसी किसी कंपनी अथवा उसकी सहयोगी कंपनी का चयन नहीं किया जाना चाहिए जिसे कोई लाइसेंस प्रदान किया गया था/है और जो चूककर्ता थी/चूककर्ता बन गई।

(च) कोई अन्य समुचित मानक, जो लाइसेंस प्रदाता द्वारा सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से समय-समय पर निर्धारित किए जाएं।

2.4 अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, एजेंट लाइसेंस का अंतरण/सुपुर्दगी करवाने के लिए जिसकी प्राप्ति उसका अधिकार बनता है लाइसेंस प्रदाता को अधिसूचित करेगा और लाइसेंस प्रदाता उसका रिकार्ड रखेगा।

2.5 इस करार के अनुसार, चुनी गई कंपनी को लाइसेंस का अंतरण अथवा सुपुर्दगी किए जाने से पूर्व लाइसेंस प्रदाता अनुच्छेद 2.3 के तहत पात्रता संबंधी मानदंडों के विषय में स्वयं को संतुष्ट करेगा और इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

### अनुच्छेद-3 लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी और पृष्ठांकन का तरीका

3.1 लाइसेंस का अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन करवाने वाले एजेंट के लिए इसका तौर-तरीका नीचे दी गई व्यवस्था के अनुसार होगा :

(i) अनुच्छेद 2.2 के अनुसार, एजेंट नोटिस की तारीख 30 दिन पूरे हो जाने के बाद, चुनी गई कंपनी द्वारा उधारदाता की देय राशि और लाइसेंस प्रदाता की देय राशि के साथ-साथ परियोजना से संबंधित लाइसेंसधारक के लाइसेंस सहित परिसंपत्तियों का अंतरण करवाने अथवा उनको अधिकार में लेने के लिए या तो निजी तौर पर मोल-तोल करने अथवा सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव आमंत्रित, प्राप्त कर सकता है और उसका मोल-तोल कर सकता है।

(ii) एजेंट उधारदाताओं की ओर से लाइसेंस प्रदाता को उसकी स्वीकृति हेतु चुनी जाने वाली कंपनी के नाम की सिफारिश करेगा और लाइसेंस प्रदाता को निम्नलिखित के लिए अनुरोध करेगा :

क) उधारदाताओं और चुनी गई कंपनी के बीच जिन शर्तों पर सहमति हुई हो उनके अनुसार परियोजना के नेटवर्क के प्रचालन का अधिकार चुनी गई कंपनी को अंतरित करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु ।

ख) मूल लाइसेंस की अवशेष अवधि के लिए समान निबंधनों एवं शर्तों पर, चुनी गई कंपनी को लाइसेंस के पृष्ठांकन और अंतरण हेतु ।

ग) इस करार में यथा-अंतर्विष्ट समान निबंधनों एवं शर्तों पर उधारदाताओं और चुनी गई कंपनी के साथ त्रिपक्षीय करार करने हेतु ।

(घ) चुनी गई कंपनी द्वारा दिए गए उपयुक्त आवेदनों के आधार पर सेवा के प्रचालन हेतु आवश्यक डब्ल्यूपीसी, साकफा तथा अन्य अनुमोदनों, क्लीयरेंस, अनुमतियां प्रदान कराने की सुविधा प्रदान करने हेतु।

(iii) लाइसेंस प्रदाता अनुच्छेद 2.3 और 2.5 के अनुसार निर्दिष्ट और निर्धारित नेटवर्थ, अनुभव, तकनीकी और इकियटी पैरामीटरों जैसे मानकों की संतुष्टि की शर्त के अध्यधीन और अनुच्छेद 2.2 (ग) में किए गए उपबंध के अनुसार चुनी गई कंपनी द्वारा देयताओं को ग्रहण किए जाने के आधार पर, अवशेष अवधि के लिए, चुनी गई कंपनी के पक्ष में, लाइसेंस करार में यथा-अंतर्विष्ट समान निबंधनों और शर्तों पर, चुनी गई कंपनी को मौजूदा लाइसेंस के पृष्ठांकन द्वारा अंतरण/सुपुर्दगी की कार्रवाई करेगा।

(iv) यदि लाइसेंस प्रदाता को, इस करार के अनुसार चुनी गई कंपनी के पक्ष में लाइसेंस का अंतरण करने में कोई आपत्ति हो तो, वह या तो एजेंट द्वारा किया गया प्रस्ताव लाइसेंस प्रदाता को प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर अथवा लाइसेंस प्रदाता द्वारा एजेंट से मांगे गए किसी स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख, इनमें जो तारीख बाद में पड़े, तक अपनी अस्वीकृति हेतु एजेंट की सुनवाई करने के बाद एक तर्कसंगत आदेश देगा। यदि लाइसेंस प्रदाता द्वारा, चुनी जाने वाली कंपनी के चयन हेतु, उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो सांयोगिक अथवा जानबूझ कर दी गई चूक अथवा इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाए जाने के मामलों को छोड़कर, चुनी गई कंपनी को अथवा इसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाए जाने के मामलों को छोड़कर, चुनी गई कंपनी के स्वीकार कर लिया माना जाएगा। इसके आधार पर लाइसेंस प्रदाता इसकी स्वीकृति/चुनी गई कंपनी के बारे में मान ली गई स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर लाइसेंस का अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन कर देगा।

तथापि, यह इस शर्त के अधीन है कि उपर्युक्त बातों के अनुसार अस्वीकृति होने की स्थिति में, एजेंट किसी अन्य चुनी जाने वाली कंपनी का प्रस्ताव कर सकता है जिसके आधार पर, उसकी स्वीकृति के लिए, इस करार में उल्लिखित प्रक्रिया की एक बार पुनः पुनरावृत्ति की जाएगी और उसका अनुपालन किया जाएगा।

(v) चुनी जाने वाली कंपनी का चयन किए जाने में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा और लाइसेंसधारक और उधारदाता/एजेंट पर बाध्यकारी होगा।

(vi) इस करार के अनुसार एजेंट द्वारा की जाने वाली समस्त कार्रवाई उधारदाताओं के हित के लिए होगी और उधारदाताओं पर बाध्यकारी होगी। इस करार के अनुसार, एजेंट परियोजना के अंतरण हेतु क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिफल के कारण मिलने वाला भुगतान प्राप्त करने के लिए और सभी उधारदाताओं के लिए और उनकी ओर से इसका वैध रूप से निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत है। एजेंट द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त धनराशि उसके द्वारा अमानत के रूप में रखी जाएगी और उसे उधारदाताओं के बीच पारस्परिक रूप से की गई व्यवरथा द्वारा यथा-संशोधित ऋण करारों के तहत उनके संबंधित अधिकारों के अनुसार वितरित किए जाने के लिए उधारदाताओं को सौंप दी जाएगी।

3.2 जब तक लाइसेंस प्रदाता द्वारा अन्यथा रूप से इस बात की सहमति न दी जाए, किसी चुनी जाने वाली कंपनी के चयन हेतु अनुच्छेद 3.1 में यथा-निर्धारित समस्त कार्रवाई, चाहे वह पहला अवसर हो अथवा बाद के अवसर हों और चुनी जाने वाली कंपनी के पक्ष में लाइसेंस के अंतरण हेतु लाइसेंस प्रदाता को अंतिम रूप से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कार्रवाई एजेंट द्वारा चूक की स्थिति की सूचना देने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अथवा ऐसी अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी जिसकी लाइसेंस प्रदाता और एजेंट द्वारा पारस्परिक रूप से स्वीकृति दी गई है।

**3.3** लाइसेंसधारक चुनी गई कंपनी के पक्ष में लाइसेंस की सुपुर्दगी/ अंतरण की कार्रवाई सहित इस करार के अनुसार एजेंट अथवा उधारदाता अथवा लाइसेंस प्रदाता की गई कार्रवाई को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकृति प्रदान करता है और उसे चुनौती देने के किसी अधिकार का अधित्याग करता है। लाइसेंसधारक इस बात से सहमत है और यह पुष्टि करता है कि इसे परियोजना की परिसंपत्तियों और लाइसेंसधारक के शेयरों का पुनर्मूल्यांकन करवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। लाइसेंसधारक द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि उधारदाताओं का अधिकार अपरिवर्तनीय है और किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में इस पर विवाद नहीं किया जाएगा और लाइसेंसधारक को, उधारदाताओं द्वारा एजेंट के माध्यम से किए गए अनुरोध के अनुसार, लाइसेंस प्रदाता अथवा उधारदाताओं को लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन को कार्यान्वयित करने/प्रेरित करने से रोकने, उसमें बाधा डालने, निषेधाज्ञा देने अथवा उसका निरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा और वह उसकी उपचारात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। इसमें अंतर्विष्ट किन्हीं अन्य बातों के होते हुए, अनुच्छेद 7.11 के उपबंध लागू होते रहेंगे।

3.4 यदि लाइसेंस प्रदाता लाइसेंस का अंतरण चुनी गई कंपनी के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को करने का निर्णय करता है तो वह भावी अंतरितियों अथवा जिनको सुपुर्दगी की जानी है उन व्यक्तियों से बोलियां आमंत्रित करते समय उधारदाता को देय राशि और साथ ही लाइसेंस प्रदाता को देय राशि का ध्यान रखेगा और ऐसे अंतरिती अथवा जिसको सुपुर्दगी की जानी है उस व्यक्ति द्वारा उधारदाता को देय राशि का भुगतान किए जाने अथवा उसका दायित्व लेने के लिए उधारदाता की सहमति से उसमें उपयुक्त शर्त को शामिल करेगा। ऐसे अंतरिती अथवा जिस व्यक्ति को सुपुर्दगी की गई है उसके पास यह विकल्प होगा कि वह उधारदाता के ऋण का पूर्ण रूप से पुनः भुगतान करे अथवा यदि उधारदाता को देय राशि बकाया रह जाती है और उसका निपटान नहीं किया जाता है तो इस करार के समान एक त्रिपक्षीय करार का निष्पादन करे।

3.5 यदि चुने जाने के लिए कोई कंपनी (उपर्युक्त अनुच्छेद 3.4 में की गई व्यवस्था के अनुसार नया/वैकल्पिक लाइसेंसधारक) नहीं मिलती है तो लाइसेंस करार समाप्त हो जाएगा और प्रथम उत्तरदायित्व/अधिकार/वरीयता वाले लाइसेंस प्रदाता को, उसे देय राशि की वसूली हेतु चूककर्ता लाइसेंसधारक की परिसंपत्ति/बुनियादी ढांचे का विक्रय करके, ऐसे विक्रय से होने वाली आय से करना होगा। इस प्रकार के विक्रय की आय से करना होगा। इस प्रकार के विक्रय की आय यदि शेष बची तो उसका उपयोग यथासंभव उधारदाताओं को देय राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए किया जाएगा यदि और कुछ राशि शेष बची तो वह चूककर्ता लाइसेंसधारक को दे दी जाएगी। चूककर्ता लाइसेंसधारक, मौजूदा बाजारी शक्तियों के अनुसार समस्त सुधारात्मक उपायों की लागत हेतु लाइसेंस प्रदाता के प्रति उत्तरदायी होगा और प्रत्येक दृष्टि से लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।

3.6 यह शर्त सर्वदा रहेगी कि इस करार में किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि लाइसेंस प्रदाता ने कोई गारंटी अथवा जमानत दी है और सुरक्षा तौर पर इस बात की सहमति दी है कि लाइसेंस प्रदाता ने उधारदाताओं द्वारा लाइसेंसधारकों को दी गई अथवा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की वसूली हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई जमानत, गारंटी अथवा काउंटर गारंटी नहीं दी है।

**अनुच्छेद-4**  
**सेवा का अंतरिम संरक्षण**  
**और प्रतिभूति का परिरक्षण**

4. यहां ऊपर उल्लिखित बातों के अनुसार अथवा ऐसी अन्य परिस्थितियों, जिनमें एजेंट के सुविचारित मत के अनुसार उधारदाता की जमानत पर प्रतिकूल और पर्याप्त रूप से दुष्टभाव पड़ने की संभावना हो, उसमें एजेंट द्वारा चूक की स्थिति का नोटिस जारी किए जाने पर (और लाइसेंसधारक द्वारा 30 दिनों के भीतर उसका उपचार नहीं किए जाने पर) उधारदाता अपनी जमानत के परिरक्षण और संरक्षण हेतु आदाता बने रहने के लिए एहतियाती कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा। यहां किए गए प्रावधान के अनुसार, एजेंट प्रथमतः लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन के लंबित रहते हुए ऐसे आदाता का उत्तरदायित्व ग्रहण करने और सेवा का प्रचालन करने के लिए लाइसेंस प्रदाता को अधिसूचित करेगा परंतु लाइसेंस प्रदाता द्वारा आदाता का उत्तरदायित्व ग्रहण कराने से अस्वीकार किए जाने की स्थिति में उधारदाता इस करार के अनुसार, लाइसेंस प्रदाता द्वारा लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन किए जाने के कार्य के लंबित रहते हुए, न्यायालय के हस्तक्षेप से अथवा हस्तक्षेप के बिना, परियोजना और प्राप्य राशि के आदाता की नियुक्ति करने का हकदार होगा। आदाता के रूप में नियुक्ति किसी चुनी जाने वाली कंपनी को लाइसेंस के अंतरण/सुपुर्दगी/पृष्ठांकन के साथ को-टर्मिनस होगी। अभिग्राही अभिग्राहिता की परिसंपत्तियों को संरक्षित करने एवं एजेंट की नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अभिग्राहिता के उचित एवं सही लेखा को एजेंट को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। अभिग्राही नेटवर्क के उपभोक्ता आधार को संरक्षित करने तथा लाइसेंस दायित्वों के अनुरूप सेवा को जारी रखने के लिए यथासंभव प्रयास करेगा। ऐसे अभिग्राही की नियुक्ति लाइसेंसदाता एवं ऋणदाताओं की सहमति से, जैसाकि इसके अंतर्गत उल्लिखित है या अभिग्राही की नियुक्ति संबंधी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत की जा सकती है, चाहे ऋणदाताओं द्वारा कोई भी वसूली या बंधक संबंधी दावा नहीं किया गया हो या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी कार्यवाही या मुकदमा द्वारा दायर नहीं किया गया हो। अभिग्राही या कोर्ट अभिग्राही की नियुक्ति संबंधी ऐसी कोई कार्रवाई, जो ऊपर उल्लिखित है, ऋण करारों के तहत ऋणदाता के अन्य अधिकारों एवं उपचारों के प्रतिकूल नहीं होगा।

**अनुच्छेद 5**  
**लाइसेंसदाता द्वारा लाइसेंस को समाप्त किया जाना**

5.1 यदि लाइसेंस करार के अंतर्गत ऐसी कोई बात होती है जिससे लाइसेंसदाता लाइसेंस को समाप्त करने के लिए अधिकृत हो जाए तो लाइसेंसदाता को लाइसेंस समाप्त करने का निर्णय लेने से पूर्व एजेंट को सूचित करना होगा तथा ऋणदाता ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात इन बाधाओं को लाइसेंसदाता से नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर यदि उनके द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है, दूर कर सकते हैं अन्यथा लाइसेंसदाता लाइसेंसधारी या एजेंट को आगे सूचना दिए बिना ही लाइसेंस करार को समाप्त करने के लिए अधिकृत होगा, जो ऋणदाताओं के क्षतिपूति (लाइसेंसदाता के देयताओं यदि कोई हो, के निपटान के बाद) प्राप्ति संबंधी अधिकार के अध्यधीन होगा।

5.2 एजेंट, ऐसे नोटिस के प्राप्त होने पर ऐसी किसी घटना, जिसकी वजह से लाइसेंस को समाप्त किया जा सकता है, के घटित होने के बारे में सूचित करते हुए, जैसाकि अनुच्छेद 5.1 में उल्लिखित है, ऐसी नोटिस को "चूक की स्थिति" का रूप देने के लिए तत्काल कदम उठाएगा तथा वह उपर्युक्त अनुच्छेद 2 एवं 3 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार भावी चयनित व्यक्ति द्वारा लाइसेंसधारी की परियोजना को हाथ में लेने या हस्तांतरित करने हेतु ऑफर को आमंत्रित प्रक्रामित करने संबंधी कदम उठाएगा।

अनुच्छेद 6  
ऋणदाताओं का क्षतिपूर्ति का अधिकार

6.1 लाइसेंसधारी ऋणदाताओं को दी जाने वाली ऐसी किसी क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु एतद्वारा, लाइसेंसधारी द्वारा ऋणदाताओं/लाइसेंसदाता के विरुद्ध किसी प्रकार के विवाद या आपत्ति या दावा के विचाराधीन होने की संभावना के होते हुए भी, स्पष्ट रूप से प्राधिकृत करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार ऋणदाताओं को सीधे किया गया भुगतान या किया जाने वाला भुगतान लाइसेंसधारी को ऋणदाताओं को प्राप्त भुगतान की राशि की सीमा तक वैध उन्मोचन प्रदान करेगा। ऐसे सभी भुगतान ऋणदाताओं के पक्ष में होंगे तथा उनके द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, जिनमें लाइसेंसधारी द्वारा परिसंपत्तियों के लिए नियुक्त परिसमापक या प्राप्तकर्ता शामिल नहीं हो।

6.2 लाइसेंसधारी, लाइसेंसदाता एवं ऋणदाताओं के देयताओं तथा चयनित व्यक्ति को नेटवर्क के अंतरण से संबंध अन्य प्रत्यक्ष शुल्कों या प्रभारों के भुगतान जिसका भुगतान मूल राशि में से की जा चुकी हो, के पश्चात शेष बची राशि को प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा।

अनुच्छेद 7  
सामान्य

7.1 पक्षकार एतद्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख करती हैं और प्रमाणित करती हैं कि वे इस त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने के लिए पूर्णतः समर्थ हैं तथा एजेंट ऋणदाताओं के कंसोर्टियम के सदस्यों के लिए एवं उनकी ओर से त्रिपक्षीय करार में भागीदार होने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत हैं

7.2 इस करार के अंतर्गत नोटिस सर्वप्रथम उपर्युक्त उल्लिखित प्रेषितियों को भेजे जाएंगे। किसी भी पार्टी के पते में होने वाले परिवर्तन को पावती सहित पंजीकृत डाक से अधिसूचित किया जाएगा, जिसे अन्य पार्टियों को जारी किया जाएगा। विधिवत अधिसूचित करके पंजीकृत डाक, जिसमें पावती वापस प्राप्त होनी हो, के माध्यम से अन्य पक्षकारों को वितरित किया जाएगा।

7.3 इस करार में पहले प्रयुक्त पदों "लाइसेंसदाता," "लाइसेंसधारी," "ऋणदाताओं" एवं "एजेंट" को तात्पर्य जब तक कि करार में उल्लिखित विषय-वर्तु या संदर्भ से कुछ असंगत न हो जाए, उनके संबंधित प्रतिस्थापनों, उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों, प्रशासकों एवं अनुमत समनुदेशितों से भी होगा।

7.4 यह करार किसी ऋणदाता या एजेंट या उत्तराधिकारी की पुनर्व्यवस्था से प्रभावित नहीं होगा तथा ऐसे ऋणदाता या एजेंट के हित में उत्तराधिकारी को इस करार का लाभ मिलेगा।

7.5 इस करार में किया गया संशोधन या परिवर्तन उस समय प्रभावी होगा जब ऐसा परिवर्तन या संशोधन संबंधित पक्षों के हस्ताक्षर से लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए।

7.6 लाइसेंसधारक को इस करार या परियोजना के अंतरण या समनुदेशन के किसी विलेख के अनुसार यथा लागू सभी स्टांप शुल्कों या अन्य चुंगियों, लागतों, प्रभारों एवं खर्चों का वहन करने के लिए आबद्ध होगा तथा ऋणदाताओं द्वारा अस्थायी रूप से यह भुगतान किए जाने की स्थिति में भुगतान की इस राशि को ऋणदाताओं की देयताओं की राशि भाग माना जाएगा।

7.7 सभी पक्ष इस बात पर स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस करार के पूर्ण रूप से एवं उचित रूप से प्रभावी होने के प्रयोजनार्थ लाइसेंस करार एवं इस करार को एक साथ पढ़ा जाएगा एवं सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाएगा।

7.8 इस करार के अंतर्गत एजेंट के परामर्श, सिफारिश या अनुमोदन को हमेशा प्रत्येक संबंधित ऋणदाता का परामर्श, सिफारिश या अनुमोदन के रूप में माना जाएगा।

7.9 इस करार में अंतनिर्हित किन्हीं तथ्यों के होते हुए भी क्रमशः लाइसेंस करार एवं अंतर्संयोजन करार के अंतर्गत लाइसेंसकर्ता को प्राप्त अधिकार एवं प्रतिविधान संरक्षित और अप्रभावित रहेंगे।

7.10 ऋणदाताओं के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वे इस करार के उपबंधों को लागू करने के पूर्व वे अपने किसी उपचार को लागू करें या निःशेष करें।

7.11(i) इस करार से या इसके संबंध में उत्पन्न किसी विवाद, मतभेद या दावा का निर्णय विवाचन के आधार पर किया जाएगा तथा यह निर्णय (भारत के) माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी संशोधन या पुनर्धनियम के अध्यधीन होगा एवं भारत के कानून के तहत विनियमित होगा। विवाचन का स्थान नई दिल्ली होगा तथा ऐसे विवाचन करार या अधिनिर्णय या परियोजना की संपत्ति या परिसंपत्तियों से संबंधित किसी मामले में निर्णय करने का न्यायाधिकार नई दिल्ली स्थिति न्यायालयों का ही होगा।

(ii) विवाचन कराने के पूर्व, सभी पक्षों के ऊपर उल्लिखित विवाद या मतभेद या दावे संबंधित मामले को सद्भावपूर्वक एवं आपसी समझौते से निपटाने का प्रयास करना होगा तथा समझौते से मामले का समाधान नहीं होने पर विवाचन का सहारा लिया जाएगा।

(iii) प्रत्येक पक्ष किसी विवाद, मतभेद या दावे से संबंधित मामले के निपटान के लिए विवाचक नियुक्त करेगा तथा इस प्रयोजनार्थ गठित विवाचक अधिकरण अंतिम विवाचक की नियुक्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर अधिनिर्णय देगा। इन नियुक्त विवाचकों की संख्या सम होने की स्थिति में ये विवाचक दूसरे विवाचक का चयन आपसी सहमति से करेंगे, जो विवाचक अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।

**अनुसूची**  
**ऋणदाताओं की सूची एवं ऋणों के ब्यौरे**  
**क. ऋणदाताओं एवं ऋण राशि/वित्तीय सहायता की सूची**

ऋणदाताओं के नाम	ऋण की राशि	ऋण करार की तिथि

ख. ऋणों के संघटन/भागीदारी के ब्यौरे

ग. सभी पक्षों ने उपर उल्लिखित तिथि, माह एवं वर्ष को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर किए हैं और अपने-अपने मोहर लगाए हैं।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप महानिदेशक (बुनियादी सेवाएं/वीएएस) के द्वारा निम्नलिखित के समक्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, मोहर लगाए हैं, जारी किए गए हैं :

तथा

अन्य ऋणदाताओं के एजेंट के रूप में .....की ओर से .....के नियुक्त अटॉर्नी  
 विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी श्री.....द्वारा.....के समक्ष हस्ताक्षरित एवं जारी

तथा

(.....)

.....लिमिटेड ने निदेशक मंडल के संकल्प के अनुसरण में तथा उनके द्वारा.....2000 की  
 .....तारीख को स्वीकृत साझा मोहर को श्री.....एवं श्री.....के समक्ष  
 लगाया है, जिन्होंने इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर किए हैं।